लोक-सभा
वाद-विवाद

सोमवार,
१४ मार्च, १९५५

(भाग १——प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
1-4-91
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ... ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ... ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ... ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ... ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

अंक २०—मंगलवार, २२ मार्च १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४६५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक-सभा

सोमवार, १४ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे दुर्घटनाएं

*८६४. **श्री एस० एन० दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में ऐसे कितनी लेवेल क्रासिंग हैं जिन पर कोई आदमी तैनात नहीं होता है ;

(ख) उन लेवेल क्रासिंगों पर जिन पर कोई आदमी तैनात नहीं होता है गत दो वर्षों में कितनी दुर्घटनायें हुईं ; और

(ग) क्या विभिन्न रेलों में ऐसे रेलवे क्रासिंगों पर आदमी रखने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) विभिन्न रेलों में ऐसे लेवेल क्रासिंगों की संख्या जिन पर कोई आदमी तैनात नहीं होते हैं, २१६५६ है।

(ख) १९५३ और १९५४ में १२७ रेल दुर्घटनायें ।

(ग) ऐसे लेवेल क्रासिंगों पर जिन पर कोई आदमी तैनात नहीं होते हैं आदमी रखने के विषय पर स्थानीय असैनिक प्राधिकारियों के परामर्श से तब विचार किया जाता है जब कि रेल यातायात या सड़क यातायात में या दोनों में इतनी वृद्धि हो जाती है कि ऐसी कार्यवाही न्यायोचित हो जाये ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि उन लेवेल क्रासिंगों पर जहां १२७ दुर्घटनायें हुई बताई जाती हैं कोई आदमी रखे गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि उस लेवेल क्रासिंग पर, जहां एक मोटर लारी के रेलगाड़ी से भिड़ जाने के कारण १५ छात्रों की मृत्यु हुई थी, कोई आदमी तैनात किया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी नहीं । यहां मैं बताना चाहता हूं कि लेवेल क्रासिंग पर आदमी रखना किसी फाटक विशेष पर होने वाले यातायात के परिणाम पर निर्भर होता है, और न कि किसी छिटपुट दुर्घटना पर जो वहां हो जाये ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन लेवेल क्रासिंगों पर अब आदमी रखने की आवश्यकता के बारे में कोई जांच की गयी है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम हमेशा इन विषयों पर पुनर्विलोकन करते रहते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि लेवेल क्रासिंगों पर इन दुर्घटनाओं

लोक-सभा

सोमवार, १४ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे दुर्घटनाएं

*८६४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में ऐसे कितनी लेवेल क्रासिंग हैं जिन पर कोई आदमी तैनात नहीं होता है ;

(ख) उन लेवेल क्रासिंगों पर जिन पर कोई आदमी तैनात नहीं होता है गत दो वर्षों में कितनी दुर्घटनायें हुईं ; और

(ग) क्या विभिन्न रेलों में ऐसे रेलवे क्रांसिगों पर आदमी रखने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) विभिन्न रेलों में ऐसे लेवेल क्रासिंगों की संख्या जिन पर कोई आदमी तैनात नहीं होते हैं, २१९५९ है।

(ख) १९५३ और १९५४ में १२७ रेल दुर्घटनायें ।

(ग) ऐसे लेवेल क्रासिंगों पर जिन पर कोई आदमी तैनात नहीं होते हैं आदमी रखने के विषय पर स्थानीय असैनिक प्राधिकारियों के परामर्श से तब विचार किया जाता है जब कि रेल यातायात या सड़क यातायात में या दोनों में इतनी वृद्धि हो जाती है कि ऐसी कार्यवाही न्यायोचित हो जाये ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि उन लेवेल क्रासिंगों पर जहां १२७ दुर्घटनायें हुई बताई जाती हैं कोई आदमी रखे गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि उस लेवेल क्रासिंग पर, जहां एक मोटर लारी के रेलगाड़ी से भिड़ जाने के कारण १५ छात्रों की मृत्यु हुई थी, कोई आदमी तैनात किया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी नहीं । यहां मैं बताना चाहता हूं कि लेवेल क्रासिंग पर आदमी रखना किसी फाटक विशेष पर होने वाले यातायात के परिणाम पर निर्भर होता है, और न कि किसी छिटपुट दुर्घटना पर जो वहां हो जाये ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन लेवेल क्रासिंगों पर अब आदमी रखने की आवश्यकता के बारे में कोई जांच की गयी है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम हमेशा इन विषयों पर पुनर्विलोकन करते रहते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि लेवेल क्रासिंगों पर इन दुर्घटनाओं

के होने के बाद रेलवे लाइनों पर कोई सड़कें बनायी गयी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : रेलवे लाइनों पर सड़कें ?

श्री एस० सी० सामन्त : हां, रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिये सड़कें ।

श्री शाहनवाज खां : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का निर्देश ऊपरी पुलों अथवा नीचे के रास्ते से है । मैं नहीं जानता कि क्या उन की यही कल्पना है अथवा नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : स्टेशनों के बहुत निकट लेवेल क्रासिंग होते हैं । यदि वहां कोई आदमी न हो, तो स्टेशन पहुंचने के लिये रेलवे लाईन के नजदीक से दूसरा रास्ता हो सकता है ।

श्री शाहनवाज खां : यदि रेलवे लाईन पार करनी हो तो या तो आप को उस के ऊपर या नीचे से जाना होता है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का क्या आशय है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह जो रेलवे क्रासिंग मेन्ड हैं वहां पर क्या एक ही आदमी की २४ घंटे की ड्यूटी रहती है या एक से ज्यादा आदमियों की भी ड्यूटी होती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ड्यूटी बदलती भी रहती है । जो कम जरुरी लेवेल क्रासिंग हैं वहां पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि एक ही आदमी रहता है । लेकिन मैं हाउस को यह बतलाना चाहता हूं कि इस मसले पर हम फिर से विचार कर रहे हैं और मैं ने रेलवे बोर्ड को ताकीद की है कि सारे सवाल को वह फिर से देखें और कहां कहां आदमी वाले लेवेल क्रासिंग और बढ़ने चाहियें इस पर विचार करें ।

वन श्रमिकों की सहकारी समितियां

***८६५. श्री भक्त दर्शन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में कुछ जंगलों के ठेके वन-श्रमिकों की सहकारी समितियों को दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वन-श्रमिकों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के बारे में अन्य राज्य सरकारों को कोई परामर्श दिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई प्रदेश में जिन वन-श्रमिक सहकारी समितियो को वन विभाग के ठेके दिये गये हैं, उन से श्रमिकों को और स्वयं वन विभाग को लाभ हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस स्कीम से स्टेट गवर्नमेंट को और वहां काम करने वालों को बहुत कुछ लाभ हुआ है, और इसलिये और स्टेटों को भी इसे अपनाने की सिफारिश की गयी है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय को इस विषय की सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में भी इसी तरह की वन-श्रमिक सहकारी समितियों का संगठन किया गया है, और क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई सलाह दी गयी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस बारे में फिलहाल कुछ मालूम नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन उठे --

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, यह पूरी तौर से राज्य का विषय है । क्या मैं सही हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां ।

श्री टी० एन० सिंह : नहीं, यह एक अखिल भारतीय विषय है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह पूरी तौर से राज्य का विषय है ।

श्री के० के० बसु : वह संदेहपूर्ण है :

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मैं बिलकुल निश्चित हूं ।

गन्ने का मूल्य

*८६६. **श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में २० नवम्बर, १९५४ को वालचन्द नगर में हुई भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति की बैठक द्वारा पारित संकल्प पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गन्ने के मूल्य का पुनरीक्षण करने की प्रस्थापना करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

श्री झूलन सिंह : इस विषय पर देश में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के सर्वसम्मत मत को दृष्टि में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भारतीय गन्ना समिति जैसी विशेषज्ञ संस्था से अपना मतभेद होने के विस्तृत आधार बताने वाला एक वक्तव्य जारी करना वांछनीय समझती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कहना गलत है कि इतना एकमत है, जितना कि मेरे माननीय मंत्री सोचते हैं । उदाहरणार्थ, मैं बता सकता हूं कि अधिकतर राज्य सरकारें गन्ने के १ रुपये ७ आने की दर से संतुष्ट थीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कभी चीनी के मूल्य को गन्ने के मूल्य से संबद्ध करने का प्रयत्न किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : उत्पादन लागत मालूम करने के लिये अब भारतीय केन्द्रीय गन्ना गवेषणा समिति एक प्रयोगात्मक योजना चला रही है ।

श्री हेडा : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में सरकारी सुझावों अथवा सूत्रों को एच्छिक आधार पर स्वीकार किया गया है और अनेक मामलों में अनेक मिलें उनका पालन नहीं करती हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह सोचती है कि उस के द्वारा रखे गये किसी भी सुझाव अथवा सूत्र का अनिवार्य-रूप से पालन किया जाये ?

श्री ए० पी० जैन : जहां तक स्वीकार करने का प्रश्न है, सभी मिलों ने ऐच्छिक आधार पर भी स्वीकार कर लिया है । जैसा कि मैं ने दूसरे दिन सभा में बताया था, हम गन्ने के मूल्य को चीनी के बिक्री मूल्य के साथ, संबद्ध करने के सम्पूर्ण प्रश्न पर जिस में लाभ में अंश भी सम्मिलित है,

विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने जा रहे हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : अभी सरकार ने बताया कि चीनी के मूल्य में गन्ने की क्या कास्ट होती है यह बतलाने के लिये शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहा गया है । क्या गवर्नमेंट को अभी तक अपने गवर्नमेंट फार्म से यह पता नहीं चला कि शुगरकेन के प्रोडक्शन की क्या कास्ट होती है ।

श्री ए० पी० जैन : यह सवाल तो बिल्कुल अलहिदा है कि किसान का क्या खर्च पड़ता है । उस की जांच होगी ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या गवर्नमेंट को . . . . .

अध्यक्ष महोदय : हमें इस विषय पर अधिक तर्क नहीं करना चाहिये ।

चिंगलपेट में कुष्ट रोग गवेषणा संस्था

***८६७. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि कुष्ट रोग गवेषणा संस्था, चिंगलपेट मद्रास में किस प्रकार का गवेषणा कार्य किया जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : कुष्ट रोग के "लिप्रोमेटस" मरीजों को दिये गये बी० सी० जी० के टीके के प्रभाव पर और बच्चों में फैले हुए कुष्ट रोग की व्यापकता सम्बन्धित खोजें जो लेडी विलिंगडन लिप्रोसी सैनेटोरियम, तिरुमणि, जिला चिंगलपेट और बच्चों के लिये सिलवर जुबिली चिलड्रन्स क्लीनीक, सैय्यदपेट में हो रही थी, वही अनुसन्धान अभी केन्द्रीय कुष्ट रोग शिक्षण व अनुसन्धान संस्था में, जिस की संस्थापना ५ जनवरी, १९५५ को हुई है, जारी है । संस्था के डायरेक्टर की नियुक्ति के बाद अनुसन्धान सम्बन्धित कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी हाल में जमशेदपुर में हुए कुष्ट सम्मेलन की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : हां । अभी हाल में हुए महत्त्वपूर्ण सम्मेलन द्वारा किये गये सभी सुझावों पर सदा विचार किया जाता है । केन्द्रीय गवेषणा संस्था के इस विशिष्ट पहलु में एक समिति १९४८ में बनायी गयी थी और उस ने अपनी सिफारिशें की, जिन में से अधिकतर स्वीकार कर ली गयी हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : गवेषणा कार्य के सम्बन्ध में, सम्मेलन के सभापति श्री जी० वी० मावलंकार ने अपने भाषण में एक सुझाव रखा था कि :

> "मद्रास की नयी केन्द्रीय कुष्ट शिक्षण और गवेषणा संस्था प्रयोगशालाओं में योग्य व्यक्तियों द्वारा किये गये गवेषणा कार्य के अतिरिक्त अपना स्वतः अंशदान तो अवश्य ही करेगी किन्तु कुष्ट संस्थाओं में भी एक गवेषणा विभाग होना चाहिये जहां योग्य अनुसन्धान कर्त्ता गवेषणा कार्य कर सकें ।"

क्या सरकार इस प्रस्थापना को स्वीकार करेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : निश्चय ही उस पर विचार किया जायेगा ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार के पास इस देश के कुष्ट रोगियों की ठीक ठीक संख्या के बारे में कोई आंकड़े हैं ।

राजकुमारी अमृत कौर : यह बताना बहुत कठिन है किन्तु हम समझते हैं कि भारत में कुष्ट रोगियों की संख्या कम से कम २० लाख है ।

डा० रामा राव : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने हिन्दी में यह बताया कि चिंगलपेट में कुष्ट निवारण के एक तरीके के रूप में बी० सी० जी० टीके का प्रयोग कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि उस प्रयोग से कोई परिणाम निकाले गये हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : बी० सी० जी० का प्रयोग अभी हाल ही में प्रारम्भ हुआ है और इसलिये अभी उस के परिणाम बताना समय से बहुत पहले की बात है।

यात्री सुविधायें

*९६८. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में उत्तरपूर्वी रेलवे में कितने मुसाफिरखाने बनाये गये हैं ; और

(ख) क्या यह तथ्य है कि दिघवाड़ा रेलवे स्टेशन पर तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिये विश्राम स्थान बनाने के बजाय, जैसा कि पहले विचार था, ऊंचे दर्जे के मुसाफिरों के लिये एक प्रतीक्षालय बनाया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये और ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये ७ विश्राम-कक्ष तथा प्रतीक्षालय बनाये गये हैं।

(ख) यह तथ्य है कि दिघवाड़ा में ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षालय बनाया गया है क्योंकि इस स्टेशन पर ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये कोई प्रतीक्षालय नहीं था। तीसरे दर्जे के यात्रियों के विश्राम स्थान के विस्तार का कार्य भी शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई एक नियम बनाया गया है या कोई सिद्धांत ऐसे नियुक्त किये गये हैं कि कहां कहां वेटिंग हाल्स और पैसेंजर शेड्स बनाये जायें ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, इस के लिये तो खास हिदायतें जारी की गयी हैं और उन्हीं के मुताबिक काम किया जाता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि दिघवाड़ा रेलवे स्टेशन पर अपर क्लास के पैसेंजर शायद ही एक या दो नित्य आते हैं जब कि थर्ड क्लास के पैसेंजर चार सौ और पांच सौ के करीब रोज वहां पर आते हैं तो वहां पर अपर क्लास का वेटिंग हॉल बनाने की क्या जरुरत थी ?

श्री शाहनवाज खां : वहां दिघवाड़ा में एक वेटिंग हॉल है जो बुकिंग विंडो का वेटिंग हाल है और उस के लिये यह सुना गया है कि २८५ मुरब्बा फुट जगह वहां के थर्ड क्लास के मुसाफिरों के लिये काफी है लेकिन उस के बरअक्स ३५२ मुरब्बा फुट जगह वहां पर थर्ड क्लास के पैसेंजर के लिये मौजूद है, अब हमारे आनरेबुल मेम्बर वगैरह भी वहां पर जाते रहते हैं तो उन के वास्ते हम ने अपर क्लास का वेटिंग हॉल भी बना दिया है।

श्री बोगावत : क्या सरकार को विदित है कि धोंड मन्माड लाईन पर स्थित औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र में प्रतीक्षालयों की अत्यधिक आवश्यकता है।

श्री शाहनवाज खां : रेलवे बोर्ड ने एक निश्चित नीति निर्धारित कर दी है, जिस के अनुसार सभी स्टेशनों पर प्रतीक्षालय बनाये जाने को हैं। यह उन न्यूनतम सुविधाओं में से एक हैं जो यथासंभव शीघ्र सभी स्टेशनों पर दी जायंगी।

भारतीय नौवहन

***८७१. श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि नौवहन-विकास-कार्यक्रम के लिये २३.१६ करोड़ रुपये के व्यय की कल्पना की गयी थी, किन्तु पिछले तीन वर्षों में इस पर केवल ६.५४ करोड़ रुपये ही खर्च किये जा सके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्रश्न के प्रथम भाग के लिये उत्तर हां है। दूसरे भाग के सम्बन्ध में, स्थिति यह है कि गत तीन वर्षों में अर्थात् १९५१–५२ १९५२–५३, और १९५३–५४ में ८.४९ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। चालू वर्ष में अब तक व्यय के लिये ११.०८ करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। इस प्रकार अब तक मंजूर की गयी कुल धनराशि १९.५७ करोड़ रुपये है और आशा की जाती है कि योजना अवधि के समाप्त होने के पूर्व २३.१६ करोड़ रुपये की सारी धनराशि खर्च हो जायेगी।

(ख) भाग (क) के उत्तर में बतायी स्थिति को देखते हुए, व्यय की प्रगति को धीमा नहीं कहा जा सकता है।

श्री विभूति मिश्र : २३ करोड़ रुपया जो कुल इस के लिये अलाट किया गया है, उस में से सरकार केवल ६ करोड़ रुपया खर्च कर पायी है और काफी रुपया बच गया है तो शिपिंग के महत्त्व को देखते हुए सरकार इस बाकी रुपये को जल्द से जल्द खर्च करने के लिये क्या सोच रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जवाब में बहुत साफ कहा गया है कि ८ करोड़ रुपया तो खर्च हुआ, लेकिन ११ करोड़ और ज्यादा खर्च हो जाने वाला है और हम यह उम्मीद करते हैं कि २३ करोड़ रुपया जो इस के लिये रखा गया है, वह पूरा खर्च हो जायेगा। इस से ज्यादा हम क्या कोशिश कर सकते हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान सन् ५५–५६ में समाप्त हो रहा है, तीन साल में केवल ८ करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया है, तो अगले दो साल में बाकी सारा रुपया कैसे खर्च हो पायेगा ? आपका जवाब स्पष्ट नहीं है।

श्री अलगेशन : तथ्य यह है कि तटीय नौवहन के लिये जिन ऋणों का उपबन्ध हम ने किया था उन का उपयोग नहीं किया गया था और नवम्बर १९५३ तक विदेशी कंपनियों ने विदेशी नौवहन के लिये अलग रखे गये ऋणों का उपयोग नहीं किया। तब ऋणों की शर्तें और सरल कर दी गयीं और अब उन्होंने इन ऋणों का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है। अतः आशा की जाती है कि प्रगति अधिक शीघ्र होगी।

श्री जोकीम आलवा : क्या टैन्कर्स की खरीद के लिये कोई धनराशि विशेष रुप से आवंटित की गयी थी, और क्या सरकार जहाज मालिकों को टैन्कर्स की खरीद के लिये सहायता देना चाहती हैं।

श्री अलगेशन : निजी जहाज मालिक टैन्कर्स की खरीद के लिये अधिक उत्सुक नहीं थे।

समाचार पत्रों के लिये डाक सम्बन्धी रियायतें

***८७२. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में समाचारपत्रों को दी गई डाक सम्बन्धी रियायतों के कारण डाक तथा तार विभाग को राजस्व की कुल कितनी हानि हुई हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हानि का अनुमान ११६ लाख रुपये है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस रियायत को पाने वाले पत्रों में वर्ग पहेलियां, व्यापार पत्रिकायें और सभी ऐसी निजी प्रकाशन जो व्यापारियों को दर और अन्य चीज़ बताते हैं, सम्मिलित हैं?

श्री जगजीवन राम : वे सभी पत्र, जो 'समाचारपत्र' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं और सम्बन्धित पोस्टमास्टर जनरल द्वारा पंजीबद्ध हैं, इस रियायत को पाते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह तथ्य है कि अन्य देशों में समाचारपत्रों की ऐसी श्रेणियां हैं जो रियायती दरों पर भेजी जा सकती हैं अर्थात् समाचार देने वाले वे समाचारपत्रों--दैनिक अथवा साप्तहिक--और व्यापार सम्बन्धी समाचारों अथवा दर देने वाले अन्य पत्रों से विभिन्न रखी जाती हैं ?

श्री जगजीवन राम : कुछ हद तक यह तथ्य है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने भारत में भी इन पत्रों को श्रेणियों में विभाजित करने की आवश्यकता पर जैसा कि अन्य देशों में किया गया है, विचार किया है जिस से कि हम कम से कम आधी धनराशि, जिस की हमें आज हानि हो रही है, बचा सकें ?

श्री जगजीवन राम : हां, सारा प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ११६ लाख रुपये का यह घाटा उन समाचारपत्रों के आधार पर लगाया गया है जो ये रियायतें पाने के अधिकारी नहीं हैं और उस के परिणामस्वरूप घाटा हुआ है अथवा इस आधार पर लगाया गया है कि उन के समाचारपत्र होने या न होने के बावजूद उन पर जो औसतन् बुकपोस्ट दर लगायी जाती है ?

श्री जगजीवन राम : नहीं, उन सभी समाचारपत्रों के सम्बन्ध में है जो पंजीबद्ध हैं और इस रियायत का उपयोग कर रहे हैं ।

जवारा नामक लोगों द्वारा आक्रमण

*८७३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान द्वीप में जंगल काटने वाले मजदूरों को उन जगलों में रहने वाले जवारा नामक लोगों का बहुधा शिकार होना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो १९५४-५५ में उन मजदूरों पर ऐसे कितने आक्रमण किये गये ; और

(ग) उन आक्रमणों में कितने मज़दूरों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, कभी कभी ।

(ख) एक, तारीख २२-१०-१९५४ को ।

(ग) दो मजदूर घायल हुए ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को इस बात का पता लग गया है कि किन कारणों से जवारा लोग लकड़ी काटने वालों पर आक्रमण करते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कभी कभी उन का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिये वे ऐसा करते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार द्वारा इन 'जवारा' लोगों को, जिन की संख्या अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ४,००० अनुमान की जाती है, सभ्यता के निकट लाने का कोई प्रयत्न किया गया है, यदि हां तो कब ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक इस प्रश्न का मेरे मंत्रालय से सम्बन्ध है, हमारा कार्य केवल वनों का उपयोग करना ही है, और मैंने केवल उन बातों की ओर निर्देश किया है जो इन लोगों ने की हैं। जो प्रश्न मेरे माननीय मित्र ने पूछा है वह गृहकार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर वे जवारा लोग रहते हैं, वहां के जंगलों आदि की सफाई के लिये क्या कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस के लिये नोटिस चाहिये।

श्री के० के० बसु : क्या मंत्री महोदय ने इसका कोई इलाज किया है कि आगे से उन का दिमाग खराब न हो। दिमाग खराब हो जाने वालों को दवा दें।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

डा० राम सुभग सिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि उन लोगों का दिमाग खराब होता है इसलिये आक्रमण करते हैं क्या यह सही है कि जंगल काटते समय जवारा लोगों के घर द्वार नष्ट कर दिये जाते हैं जिसके कारण नाराज़ हो कर वे लोग आक्रमण करते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं समझता कि इसका यह कारण है।

तालाब की कीचड़

***८७४. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन राज्यों में तालाबों की कीचड़ को सामान्यतः खाद देने के काम में प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या तालाब की कीचड़ के मूयन (नाइट्रीफ़िकेशन) सम्बन्धी कोई प्रयोग किये गये हैं ;

(ग) यदि हां तो क्या मिदनापुर ज़िला स्थित राजनगर के तालाब की कीचड़ पर भी इस प्रकार का प्रयोग किया गया था; और

(घ) क्या परिणाम निकले तथा उनका लाभप्रद प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, बम्बई, मैसूर, उड़ीसा, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, कच्छ तथा मद्रास के राज्यों में तालाब की कीचड़ का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है।

(ख) भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार की आर्थिक सहायता से कोई प्रयोग नहीं किये गये हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इसके सम्बन्ध में कोई ग़ैर सरकारी गवेषणा की गई थी ? क्या सरकार के पास कोई जानकारी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा मैंने बताया जान बूझ कर कोई गवेषणा नहीं की गई है परन्तु राज्य सरकारों ने कीचड़ का कुछ विश्लेषण किया है। मेरे पास नाई-

ट्रोजिन, फ़ासफ़ोरस इत्यादि की प्रतिशतता के आंकड़े हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या तालाब की कीचड़ को जिस रूप में वह प्राप्त होती है उसी रूप में काम में लाया जाता है या उसे सुखा कर उसे कुछ अन्य वस्तुओं से मिलाया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस का प्रयोग इन सभी रूपों में किया जाता है और इस की उपादेयता कीचड़ की स्थिति विशेष पर निर्भर करती है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस का कोई अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार कितनी मात्रा में खाद तैयार किया जाता है तथा उस का किस सीमा तक प्रयोग किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां । एक मोटा अनुमान मेरे पास है मेरा विचार है कि यह एकदम ठीक नहीं है । ऐसा जान पड़ता है कि कुल ३५ करोड़ टन कीचड़ उपलब्ध हो सकती है जिस में से ९४ लाख टन का तो उपयोग भी किया जा रहा है ।

केन्द्रीय यंत्र-चालित फार्म

*८७७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १३ मई १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस से ज्ञात हो कि :

(क) १९५३-५४ में प्रत्येक केन्द्रीय यंत्र-चालित फार्म में उगाई गई फसल का मूल्य क्या था ;

(ख) प्रत्येक फार्म पर आजतक हुआ आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय कितना है ; और

(ग) प्रत्येक फार्म पर काम करने वाले कृषकों की संख्या कितनी है तथा उन का किन शर्तों पर भूमि दी गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री के० सी० सोधिया : विवरण में दोनों फार्मों का आवर्तक व्यय लगभग १४ लाख रुपया दिखाया गया है जबकि फसल कुल ४ लाख रूपये की हुई है । इतनी कम फसल होने के क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अनावर्तक व्यय का निर्देश कर रहे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं आवर्त्तक व्यय का निर्देश कर रहा हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख : इन फार्मों का संचालन एक योजना के अनुसार किया जाता है और यह सच है कि कुछ वर्षों में हमारा अनुमान गलत साबित हुआ है। परन्तु हम आशा करते हैं कि अंत में हम इस कमी को कुछ अर्थों में पूरा कर लेंगे ।

श्री के० सी० सोधिया : इन दो वर्षों में सारे देश में फसल बहुत अच्छी हुई है । इन फार्मों में इतनी कम फसल होने के विशेष कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह बात याद रखी जानी चाहिये कि यह प्रयोगात्मक फार्म है । कम से कम जम्मू फार्म तो प्रयोगात्मक फार्म ही है । इस का कार्य अभी हाल में ही आरम्भ हुआ है मैं ने अभी हाल में सुलतानपुर फार्म को देखा था । मैं उस के काम से संतुष्ट नहीं हूं । मैं वहां की प्रणाली की पूर्णरूपेण अदलबदली करा रहा हूं जिस से कि यदि

वह लाभदायक न हों तो कम से कम हानि ही न्यूनतम हो ।

श्री वैलायुधन : क्या गत चार वर्षों का यह अनुभव नहीं है कि आवर्तक व्यय के दृष्टिकोण से ये यंत्र-संचालित फार्म बहुत बड़ा घाटा देते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : यह ठीक है कि हानि हुई है और इसीलिये हम उन की कार्य प्रणाली को बदलने का विचार कर रहे हैं ?

उपनगरीय रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

*८७८. **श्री सारंगधर दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की उपनगरीय रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यह परियोजना कब आरम्भ होने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

श्री सारंगधर दास : क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के परिवहन सदस्य ने एक प्रेस सम्मेलन में यह बताया था कि कलकत्ता उपनगरीय विद्युतीकरण योजना लगभग १९५७ के मध्य तक पूरी हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : संभवतः माननीय सदस्य उत्तर को समझ नहीं पाये हैं । इस योजना का कार्य जारी है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्य १९५७ के मध्य तक समाप्त हो जायेगा ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जहां तक मुझे स्मरण है आय व्यय में इस प्रकार का कुछ संकेत किया गया था कि संभव है कि लगभग १९५७ के अन्त तक इस योजना के कार्य को समाप्त कर दिया जाये ।

श्री सारंगधर दास : : क्या कलकत्ता, डमडम, खिदिरपुर डाक्स, बजबज तथा रानाघाट स्टेशनों के आस पास की अन्य योजनायें आरम्भ की जायेंगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : हावड़ा से बर्दवान तक की योजना पर काम किया जा रहा है । इस के समाप्त होते ही उन अन्य योजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा जिन का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है । वह भी कार्यक्रम में हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास की बड़ी बड़ी स्कीमों के अतिरिक्त ऐसी छोटी छोटी योजनाओं, जैसे अलग अलग स्टेशनों को उन के अपने संस्थापनों द्वारा विद्युतीकरण, को आरम्भ कर रही है ?

श्री अलगेशन : यह स्टेशनों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम है जो यात्री सुविधाओं के अन्तर्गत आता है । हम स्टेशनों के विद्युतीकरण का काम कर रहे हैं । परन्तु ये कार्यक्रम लाइनों के विद्युतीकरण से सम्बन्ध रखता है ।

पशुमहामारी रोग

*८८१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पशुमहामारी रोग के उन्मूलन में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) १९५४ में इस काम के लिये नियुक्त की गई समिति ने क्या काम किया है?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). समिति के कार्यों तथा

पशुमहामारी रोग के नियंत्रण के सम्बन्ध में की गई प्रगति को बताने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या इस रोग को फैलने से रोकने के लिये, वैज्ञानिकों द्वारा यह बात वांछनीय समझी गयी थी कि सभी जीवित पशुओं के टीके लगाये जायें, यदि हां तो ऐसा करना कहां तक संभव हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह अच्छा तो होगा कि भारत के तमाम पशुओं के टीके लगाये जांय परन्तु यह बहुत बड़ा काम है। इसलिये हमने दक्षिण से आरम्भ किया है और हम धीरे धीरे इस समस्या को हल कर रहे हैं।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : विवरण से पता चलता है कि बम्बई, कुर्ग तथा हैदराबाद में सामूहिक रूप से टीके लगाने की एक योजना चलाई गई है। इन राज्यों को ही क्यों लिया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का कारण यह है कि हम ने भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र को पहले लेने का विनिश्चय किया था।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : विवरण से पता चलता है कि मद्रास तथा हैदराबाद राज्य प्रतिरक्षित पट्टियां बना रहे हैं। प्रतीकारिजनन की पद्धति क्या है।

डा० पी० एस० देशमुख : इस के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

जमालपुर रेलवे वर्कशाप में चोरी

*८८३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमालपुर रेलवे वर्कशाप से प्रतिवर्ष पर्याप्त मूल्य की धातु की चोरी को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितने मूल्य की धातु चुराई गयी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). १९५२-५३ और १९५३-५४ में जमालपुर रेलवे कारखाने में लोहे आदि की चोरी नहीं हुई।

सावधानी बरतने के लिये कारखाने में हथियारबन्द रेलवे पुलिस के सिपाही और चहार दीवारी के किनारे रेलवे सुरक्षा दल के सैनिक तैनात किये गये हैं ताकि वे कारखाने को सुरक्षित रखें और उस में बिना अधिकार घुसने वालों पर कड़ी निगरानी रखें। कारखाने में जहां अन्धेरा रहता है और जिधर से लोग अन्दर घुस सकते हैं वहां कांटेदार तार लगाये जा रहे हैं और अधिक रोशनी का प्रबन्ध भी किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आज़ाद : ऐसी चोरियों के फलस्वरूप १९५४ के सामान्य आय-व्ययक में लगभग कितनी हानि हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : यह बात इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री शाहनवाज़ खां : जमालपुर रेलवे वर्कशाप का विशेषरूप से जहां तक सम्बन्ध है, नवम्बर १९५४ से केवल ३९० रुपये के मूल्य की चोरी हुई है जो बहुत बड़ी राशि नहीं है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सच नहीं है कि १९५४ के पहले चोरियों से बहुत अधिक हानि हुई है और उन्हीं के परिणामस्वरूप यह उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : कुछ चोरियां १९५१ में हुई थीं परन्तु चोरी करने वाले

पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये हैं और उन के विरुद्ध अभियोग चलाये जा रहे हैं।

श्री के० के० बसु : यह कहा गया था कि जमालपुर वर्कशाप में एक रेलवे रक्षा दल है। यह क्या है?

श्री शाहनवाज़ खां : यह 'वाच एण्ड वार्ड' का हिन्दी पर्यायवाची है।

नई दिल्ली पीकिंग रेडियो तार सम्पर्क

*८८५. **श्री इब्राहीम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली तथा पीकिंग के बीच एक सीधी रेडियो तार सेवा आरम्भ कर दी गई है ; और

(ग) इस कार्य पर कितनी लागत आई है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हां, ३ जनवरी, १९५५ को।

(ख) क्योंकि इस सेवा का काम वर्तमान कर्मचारियों तथा उपकरणों से चलाया जा रहा है इस लिये इस सेवा विशेष के लिये कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ा है।

श्री इब्राहीम : यह जो खर्च होता है उस को दोनों मुल्क बर्दाश्त करते हैं या सिर्फ हिन्दुस्तान बर्दाश्त करता है ?

श्री जगजीवन राम : अपने अपने यहां का खर्च अलग अलग दोनों मुल्क बर्दाश्त करते हैं।

श्री इब्राहीम : क्या सरकार यह विचार कर रही है कि और भी एशियन कंट्रीज के साथ भी इस तरह की रेडियो-टेलिफोन सर्विस शुरु की जाये ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, बहुतों के साथ तो हमारा टेलिफोन या टेलिग्राफ सम्बन्ध है और जिनके साथ नहीं है, उन के साथ तेजी से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

भारतीय नौवहन

*८८८. **श्री अमजद अली** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट के पालदार जहाज उद्योग का नियमन करने के लिये कोई विधान पुरःस्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने तथा तत्सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रह के कार्य में कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) इस प्रस्थापना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) भारत के पालदार जहाजों के यातायात के विकास के लिये किये जाने वाले उपायों की जांच करने तथा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भारत सरकार ने १९४८ में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने मई, १९४९ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व इस विषय सम्बन्धी सभी संगत आंकड़े इकट्ठे किये थे। तटीय क्षेत्रों का कोई नया सर्वेक्षण करने या कोई नये आंकड़े एकत्रित करने की कोई प्रस्थापना इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रस्तावित विधान के विस्तृत उपबन्धों पर विचार किया जा रहा है इसलिये अभी उस की मुख्य विशेषताओं का बताना पुर्वकालिक होगा।

श्री अमजद अली: क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भारतीय तट पर देसी नावों की भी एक पर्याप्त प्रतिशतता भारतीय तट पर नौवहन कार्य कर रही है। यह मेरा

प्रथम प्रश्न है । भारत में तटीय नौवहन के विकास के लिये सरकार क्या कार्य-वाही कर रही है

श्री अलगेशन : मेरे विचार से माननीय सदस्य कई बातें एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं । प्रश्न पालदार जहाजों के विषय में है तथा पालदार जहाजों के विषय में एक समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था और कुछ सिफारिशें की थीं । उस की सिफारिशों के अनुसार, कुछ वैधिक कार्यवाहियां विचराधीन हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या इस समिति की सिफारिशों को देसी नावों पर लागू करने और भारतीय नौवहन अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक में इन को भी स्थान देने का कोई विचार है ?

श्री अलगेशन : जी हां । हम इन उपबन्धों को संशोधक विधेयक में रखने का विचार कर रहे हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : सरकार कब तक इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार करती है ?

श्री अलगेशन : संभव है कि अगले सत्र में हम इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकें ।

अनुपयोगी विमान

***८९१. श्री चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से अब तक कितने विमान अनुपयोगी हो चुके हैं ;

(ख) इन को बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) भारत एयरलाइन्स निगम ने, अपनी स्थापना के पश्चात् कितने विमान प्राप्त किये हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चार, डगलस डीसी ३, प्रकाश के विमान ।

(ख) चारों विमानों को क्षेप्य में बदल दिया गया है, और उन को बट्टे खाते में डाल दिया गया है या डाला जा रहा है ।

(ग) भारतीय एयरलाइन्स निगम ने आठ डी एच हैरोंन विमानों का आर्डर दिया है जिन की अब किसी भी समय आ जाने की आशा है ।

श्री चौधरी मुहम्मद शफी : क्या यह विमान निर्धारित अवधि से पूर्व ही अनुपयोगी हो गये अथवा अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् हुए थे ?

श्री जगजीवन राम : ये विमान दुर्घटनाओं में ग्रस्त हो गये हैं तथा जैसा कि मैंने अभी बताया उन को क्षेप्य में बदल दिया गया है ।

श्री जोकीम आलवा : क्या सरकार नई प्रकार के विमानों के हमारी सेवाओं में लाने के सम्बन्ध में कठोर है क्योंकि सरकार ने वादकाउंट विमानों के लिये आर्डर दिये थे जिन में से २० एक अमरीकी एयरलाइन्स द्वारा चालू किये जाने के लिये खरीदे गये थे और जिन के लिये अनुज्ञप्ति कोई दो वर्ष के लिये रोक ली गई थी ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने बताया निगम ने केवल हैरोंने के लिये आर्डर दिये हैं । अभी तक अन्य विमानो के लिये आर्डर नहीं दिये गये हैं तथा सरकार ने अभी तक कोई निर्णय भी नहीं किया है कि किस प्रकार के विमानों के लिये आर्डर दिये जाने को हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : इन विमानों के नष्ट होने के परिणामस्वरूप कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली जायेगी तथा इन आठ नये विमानों के खरीदने के लिये हम कितना धन व्यय कर रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : दुर्घटना के परिणाम-स्वरूप चार विमान नष्ट हुए हैं जिन के पुस्त मूल्य को बट्टे खाते में डाला जायगा। क्योंकि उन का बीमा कराया हुआ था इसलिये जितने मूल्य का उन का बीमा कराया गया था, वह धन बीमा समवाय से हम को मिल जायेगा।

पर्यटक यातायात

*८९२. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ ऐतिहासिक स्थानों की जैसे, कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) लुम्बिनी, सारनाथ आदि जहां बौद्ध यात्री तथा विदेशी पर्यटक प्रायः जाते हैं परिवहन कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानो में पर्यटक यातायात को सुविधा देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां। सम्बन्धित राज्य सरकारों से इन सभी स्थानों की ठहरने के स्थानो, निवास स्थानों तथा यातायात आदि की वर्तमान सुविधाओं के सम्बन्ध में जांच करने की प्रार्थना की गई है। उन के उत्तर आने पर आवश्यक कार्य-वाही की जायेगी।

श्री विश्व नाथ राय : इस सम्बन्ध में कब कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : यह यात्री यातायात से सम्बन्धित है। हमारा विचार कार्य को भगवान बुद्ध की २,५०० वर्षगांठ से जो मई १९५६ में हो रही है, प्रारम्भ करने का है। हम ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार से प्राप्य सुविधाओं की जांच करने के लिये कहा है जिस से कि हम भी इस प्रश्न पर विचार कर सकें तथा कमियों की जांच कर सकें।

श्री विश्व नाथ राय : क्या यह कार्य-वाहियां स्थायी प्रकार की होंगी अथवा केवल अस्थायी होंगी।

श्री अलगेशन : इस समय में यह नहीं बता सकता कि जो सुविधायें हम देंगे उन में से कौन सी स्थायी होंगी तथा कौन सी अस्थायी।

डा० सुरेश चन्द्र : औरंगाबाद, एलोरा, तथा अजन्ता के पर्यटकों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री अलगेशन : वहां एक प्रथम श्रेणी का रेलवे होटल है तथा हम ने अजन्ता और एलोरा को जाने वाली सड़कों पर तारकोल बिछाने के लिये अनुदान भी दिये हैं। हम ने हाल ही में वहां पर्यटक कार्यालय भी खोले हैं तथा हम वहा निवास स्थान सुविधाओं में भी वृद्धि करना चाहते हैं।

राजस्थान क्षेत्र में छोटे डाकखाने

*८९४. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान क्षेत्र में कितने छोटे डाकखाने किराये के मकानों में स्थापित हैं ; और

(ख) इन भवनों के लिये प्रति माह कितनी धनराशि किराये के रूप में दी जातो है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राजस्थान क्षेत्र में २८३ छोटे डाकखाने किराये के मकानों में स्थित हैं।

(ख) मासिक किराये का बिल ८,१५२–१–४ रु० का होता है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इन में से कितने एक ही कमरे के मकानों में स्थित हैं ?

श्री जगजीवन राम : इस की मुझे सूचना नहीं है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि उन मकानों में, जहां छोटे डाकखाने खोले गये हैं, पोस्ट मास्टर भी उसी कमरे में रहते हैं ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा नहीं हो सकता है, परन्तु अतिरिक्त विभागीय डाकखानों के मामले में ऐसा हो सकता है कि वह एक कमरे के मकानों में स्थित हों। मैं नहीं समझ पाता कि डाकखाना तथा पोस्ट मास्टर एक कमरे में किस प्रकार रह सकते हैं ;

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या माननीय मंत्री जनता को इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : इन सभी दशाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विभागीय भवनों की व्यवस्था करने के वास्तविक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

*८९५. **श्री गिडवानी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५४ को, छः उद्योगों में लागू की गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उस तिथि को कितने कर्मचारी उस योजना के सदस्य बन गये थे ;

(ग) ३१ जनवरी, १९५५ तक अलग अलग कर्मचारियों तथा स्वामियों से इस योजना के अधीन, चन्दे की कुल कितनी रकम देय थी ; और

(घ) ३१ जनवरी, १९५५ तक अलग अलग, कर्मचारियों तथा स्वामियों से कुल कितनी रकम वास्तव में उगाही गयी ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) लगभग १५·१२ लाख।

(ख) लगभग १३·६६ लाख।

(ग) लगभग ३५·३ करोड़ रुपये (कर्मचारियों तथा स्वामियों के बराबर बराबर भागों समेत)।

(घ) लगभग ३४·५३ करोड़ रुपये (कर्मचारियों तथा स्वामियों के बराबर बराबर भागों समेत)।

श्री गिडवानी : इन उद्योगों के सभी कर्मचारियों के सदस्य न बनने के कारण क्या हैं ?

श्री खंडूभाई देसाई : जहां तक अनुसूचित उद्योगों का सम्बन्ध है, उन सभी को सदस्य बना लिया गया है, परन्तु उन स्वामियों को छूट दे दी गई है जो इस से अधिक चन्दा दे रहे हैं। उदाहरण के लिये, यदि कोई कर्मचारी स्वामी से भविष्य निधि चन्दे का ८ २।३ प्रतिशत पाता है, तो इस प्रकार के कारखानों को छूट दे दी गई है तथा यह कारखाने अपनी स्वयं की भविष्य निधि चला रहे हैं ?

श्री गिडवानी : क्या कुछ रुपया शेष है, तथा यदि हां, तो कितना ?

श्री खंडूभाई देसाई : ७७ लाख रुपया अभी शेष है। यह वह कारखाने हैं जिन में स्वामियों के चन्दा न देने से बकाया रह

गई है तथा इन के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। कुछ कारखानों के सम्बन्ध में यह देखा गया कि वह सरकारी प्रतिभूति के लिये अपने भुगतान नहीं कर सकते थे, अतः ऐसे कारखानों को किश्तों में जमा करने की अनुमति दे दी गई है।

श्री गिडवानी : क्या इस योजना को अन्य उद्योगों पर भी लागू करने का विचार है ?

श्री खंडूभाई देसाई : यह सरकार के विचाराधीन है कि अन्य किन उद्योगों पर इस योजना को लागू किया जाये।

जनता गाड़ियां

*८९७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विभागों पर, पूर्णरूपेण गलियारे वाली जनता गाड़ियां चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) उस से होने वाले लाभ का अनुमान लगाने के लिये एक गलियारी वाली जनता गाड़ी चलाने की संभावना की जांच की जा रही है।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : दिल्ली तथा बम्बई के मध्य कुछ समय तक चलने वाली जनता गाड़ी क्यों बन्द कर दी गई, तथा क्या इस गाड़ी को फिर से चलाने का कोई विचार है ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं जानता कि यह बात इस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होती है। उस जनता गाड़ी में पर्याप्त यातायात नहीं था। अब इस जनता गाड़ी के फिर स चलाये जाने की मांग की गई है, परन्तु इस समय हमारे पास पर्याप्त डिब्बे नहीं हैं। जब हमारे पास पर्याप्त डिब्बे उपलब्ध होंगे तब हम इस को फिर चला सकते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह वशिष्ठ शिष्ट मंडल के, जो इस विषय का अध्ययन करने के लिये विदेशों को गया था, सुझाव पर विचार किया गया है, अथवा क्या कोई नई योजना है जिस के लिये यह जांच की जा रही है ?

श्री अलगेशन : शिष्ट मंडल के रूस जाने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व से ही यह विषय विचाराधीन रहा है। उन्होंने भी यही सुझाव दिया है कि सम्पूर्ण गलियारे वाली जनता एक्सप्रैस से प्रारम्भ किया जा सकता है।

सरदार हुक्म सिंह : उन की सिफारिशें यह थीं कि सम्पूर्ण गलियारे वाले डिब्बे प्रारम्भ में जनता गाड़ियों पर चलाये जाने चाहियें तथा सभी डिब्बों को नये सिरे से बनाया जाये। क्या इस प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है तथा क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार से जैसा मैं ने बताया यह उस से कुछ भिन्न नहीं है तथा माननीय सदस्य केवल उसे दोहरा रहे ह।

शिशु पथ प्रदर्शन केन्द्र

*९००. **डा० सत्यवादी :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि नई दिल्ली में शिशु पथ प्रदर्शन केन्द्र खोलने में कितना धन व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): नई दिल्ली में शिशु पथ प्रदर्शन केन्द्र खोलने में इतना धन व्यय होगा :—

(क) अनावर्त्तक ५,८०० रुपये।

(ख) आवर्त्तक १३,८५० रुपये।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस स्कीम की क्या रूपरेखा है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी हां, हमारी इस योजना का यह मतलब है कि हम कुटुम्बों और इंडवीजुअल्स को सलाह देंगे, माता पिता को भी सलाह देंगे, जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उन को भी सलाह देंगे, और जो हमारी नर्सेज हैं जिन को ट्रेनिंग मिल रही है उन को भी यहीं शिक्षा दी जायगी ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस किस्म के सेंटर मुल्क के दूसरे खास खास मुकामात पर भी खोले जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो किन किन मुकामात पर और कब तक ?

राजकुमारी अमृत कौर : जहां तक मुझे मालूम है दूसरे प्रान्तों में तो नहीं खोले जा रहे हैं । यह पहली योजना है जो हम ने यहां केन्द्र में ही बनायी है ।

यात्री-सुविधायें

*९०१. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर डिब्बे साफ करने वालों की कमी होने के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ; और

(ख) क्या सरकार उन की संख्या बढ़ाने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) अभी उन की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रमुख स्टेशनों पर डिब्बे साफ करने वालों की संख्या का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और यथावश्यकता वृद्धि की जाती है ।

श्री तुषार चटर्जी : स्टेशनों पर इन सफाई करने वालों की संख्या क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : यह तो विभिन्न स्टेशनों पर पृथक पृथक है ।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जंक्शन स्टेशनों पर उन की सही संख्या जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह भी विभिन्न जंक्शनों पर पृथक पृथक होगी ।

डाक बांटना

*९०३. **श्री सुबोध हासदा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के ग्राम्य क्षेत्रों में विशेषत: मिदनापुर जिले में सप्ताह में केवल एक बार ही डाक बंटती है; और

(ख) यदि हां, तो इस वितरण कार्य को बारम्बारिता को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नहीं । इस क्षेत्र के अधिकांश गांवों में डाक कई बार बांटी जाती है । मिदनापुर जिले के जिन गांवों में सप्ताह में केवल एक बार डाक बंटती है उन की संख्या ७६ है । परन्तु जिन क्षेत्रों में डाक कई बार बांटी जाती है उन गांवो की संख्या १४९७१ है ।

(ख) नये डाकघर खोल कर तथा जहां भी आवश्यक हो विद्यमान डाकघरों में डाक बांटने वालों की संख्या में यथोचित वृद्धि करके डाक को अधिक बार बांटने के कार्य में प्रगति की जा रही है ।

श्री सुबोध हासदा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि ग्राम्य क्षेत्रों में तार की सुविधाओं की कमी के कारण जन साधारण को दिक्कत होती है ?

श्री जगजीवन राम : योजना यह है कि पश्चिमी बंगाल में प्रत्येक थाने के मुख्यालय में एक तारघर हो, और जब यह योजना पूरी हो जायगी, तब उचित दूरी पर तारघर प्राप्त हो सकेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने बताया है कि केवल ७६ गांवों में सप्ताह में एक बार डाक बांटी जाती है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें पता है कि जहां वास्तविक चिट्ठी प्राप्त करने वाला नहीं मिलता है वहां गांव के अध्यापक को चिट्ठियां दे दी जाती हैं या हाट में उसके किसी परिचित को दे दी जाती है ।

श्री जगजीवन राम : कभी कभी ऐसा होता है और मैं समझता हूं कि ऐसा होता रहेगा ।

जब डाकिया यह देखता है कि किसी गांव में केवल एक ही पत्र पहुंचना है तो वह वहां जाने के बजाय, किसी अध्यापक या उस गांव के किसी अन्य जिम्मेवार व्यक्ति को, जिस से वह डाकघर के समीप किसी हाट में मिल जाता है, उस पत्र को दे देता है और उस से उस पत्र को उचित व्यक्ति को दे देने की प्रार्थना करता है ।

धनुषकोटि रेलवे स्टेशन

*९०४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ५ वर्षों में समुद्र कितनी दूर धनुषकोटि (दक्षिण रेलवे) रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ आया है ;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने राय दी है कि तीन वर्ष के अन्दर धनुषकोटि रेलवे स्टेशन तक जमीन को समुद्र अपने गर्भ में ले लेगा ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन धनुषकोटि रेलवे स्टेशन को बचाने तथा भारत और लंका के बीच यातायात सम्बन्ध बनाये रखने के लिय क्या प्रबन्ध करने का विचार कर रहा है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग २५० फीट ।

(ख) इस तरह का कोई सुझाव नहीं मिला है ।

(ग) दक्षिण-पश्चिमी मानसून के समय समुद्र किनारे की बालू द्वीप को दक्षिणी किनारे की ओर बहा ले जाता है । भूमि का अधिक कटाव और समुद्र को स्थल की ओर बढ़ने से रोकने के लिय वहां तीन बांध बनाने का निश्चय किया गया है । दक्षिण रेलवे ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है जो छज्जे को धनुषकोटि से हटा कर किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या यह सही नहीं है कि इस स्थिति की गम्भीरता का अध्यन करने के लिये माननीय रेलवे मंत्री गत जनवरी महीने में धनुषकोटि गये थे ? यदि हां, तो क्या उन के साथ कोई रेलव के विशेषज्ञ भी थ, और इस यात्रा के फलस्वरूप उस जहाज के स्टेशन और रेलवे स्टेशन की रक्षा के लिये किसी निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): जी हां, मैं वहां खुद गया था जब कि इसकी रिपोर्ट मिली थी । मेरे साथ रेलवे के कुछ आफिसर्स और इंजिनियर्स भी थे । हमने इस कमेटी का फैसला किया है और हमारी उम्मीद है कि वह कमेटी जल्दी ही अपनी राय इस के बारे में देगी । हम ने इस पर खास तौर पर जोर दिया है, कि रिपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाय ।

श्री अनिरूद्ध सिंह : धनुषकोटि से माल और मुसाफिरों से सालाना आमदनी कितनी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस के लिये तो नोटिस की जरुरत है ।

डाक संघ

*९०६. **श्री राम दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने डाक संघ हाल ही में चलाई गई पुनर्संरेक्षण योजना में सम्मिलित हुए हैं ; और

(ख) क्या एक विवरण पटल पर रखा जायगा जिस में राज्यवार उन संघों की सूची दी जाय जिन्होंने इस योजना में भाग नहीं लिया है और इस के कारण भी बतायें जायें ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नौ। वे डाक तथा तार संघ हैं

(ख) इस योजना में तीन अखिल भारतीय संघ सम्मिलित नहीं हुए हैं, वह हैं अखिल भारतीय डाक और तार (रेलवे डाक सेवा सहित) प्रशासनिक कार्यालय संघ लखनऊ, अखिल भारतीय रेलवे डाक सेवा-निरीक्षक संस्था, अम्बाला और अखिल भारतीय डाक लेखापाल संस्था कलकत्ता । इन में से दो ने यह कहा है कि इस पुनर्संरेक्षण योजना से उन को कोई लाभ नहीं होता है ।

श्री राम दास : क्या में जान सकता हूं कि नई स्कीम के जारी करने से यूनियन्स कें लिए अपने ग्रीवेंसिज़ का रिड्रस हासिल करना ज्यादा मुश्किल हो गया है ? अगर ऐसा है तो उस को आसान बनाने के लिये क्या कोई कदम उठाया जा रहा है ?

श्री जगजीवन राम : मैं तो समझता हूं कि उस से उन के लिये कठिनाई नहीं बल्कि आसानी हो गयी है । लेकिन इस समय में जब कि परिवर्तन की अवस्था है, एक हालात से दूसरे हालात में, जब कि ट्रांजीशन पीरियड है, तो कहीं कहीं कुछ कठिनाइयों का अनुभव भी हो सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो यूनियन्स इस केन्द्रीय संगठन में शामिल नहीं हुई हैं उन के प्रति सरकार का क्या रूख है ? क्या उन की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : आशा ऐसी की जाती है कि जो यूनियन्स बाहर रह गयी हैं रिएलाइंड यूनियन्स की ताकत को देख कर उन को सद्बुद्धि आ जायगी और सम्भवतः वे भी शामिल हो जायेंगी ।

नई रेलवे लाईन

*९०७. **श्री के० एस० गौंडर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैरियर जल विद्युत योजना की पूर्ति में सुविधा देने के लिये सरकार रेलवे लाइन को [illegible]र्नी से गुदलूर तक बढ़ा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायगा और इस के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री के० एस० गौंडर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने इस लाइन के निर्माण को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता के साथ सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की है ?

श्री शाहनवाज खां : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये

मद्रास सरकार द्वारा सिफारिश की गई लाइनों में से यह भी एक लाइन है जिस पर यथासमय विचार किया जायगा ।

श्री के० एस० गौंडर : क्या मैं जान जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रख हुए कि पेरियर जल विद्युत् योजना तथा उस से सम्बन्धित सिंचाई योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, तो क्या इन योजनाओं की पूर्ति में सहायता देने के लिये इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य यथासंभव शीघ्र आरम्भ किया जायगा ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैं ने अभी कहा, इस लाइन की ओर काफी ध्यान दिया जायेगा । परन्तु अभी इसी समय उस के सम्बन्ध में कुछ कहना समय से पहले की बात होगी ।

स्वास्थ्य योजनायें

*९१०. **श्री दामोदर मेनन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९ फरवरी, १९५५ को नई दिल्ली में समवेत हुए राज्यों के स्वास्थ्य निदेशकों के सम्मेलन में किस प्रकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर चर्चा हुई थी ; और

(ख) क्या इस सम्मेलन ने तपेदिक और कोढ़ का सामना करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाने की कोई पुनरीक्षण योजना तैयार की ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) इस सम्मेलन में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई स्वास्थ्य योजनाओं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये स्वास्थ्य योजनायें बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी ।

(ख) नहीं ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गैर सरकारी व्यक्तियों अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित तपेदिक तथा कोढ़ के चिकित्सालयों के आवर्तक व्यय के कुछ अंश को देने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

राजकुमारी अमृत कौर : केन्द्रीय सरकार इन संस्थाओं की यथाशक्ति सहायता करती है और योजना में गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाई जा रही तपेदिक, कोढ़ तथा अन्य रोगों की संस्थाओं के लिये रकम अलग रखी गई है । अभी तक नौ लाख रुपये दिये गये हैं ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार के पास कोई अभ्यावेदन आया है कि इन संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान योजना का पुनरीक्षण किया जाये?

राजकुमारी अमृत कौर : हमें सहायता के विषय में बराबर आवेदन-पत्र मिल रहे हैं । हम उन को राज्य सरकारों को निर्दिष्ट कर देते हैं और राज्य सरकारों को इन संस्थाओं को सहायता देने की बात को अपनी योजना में सम्मिलित करने की सलाह देते हैं ।

चीनी का मूल्य

*९१५. **श्री बी० पी० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चीनी की अपेक्षा विदेशी चीनी सस्ती है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ; और

(ग) भारतीय चीनी के मूल्य को विदेशी चीनी के स्तर पर लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, साधारणतया यह सच है।

(ख) इस के अनेक कारण हैं जैसे :

१. कुछ विदेशों में गन्ने की पैदावार के लिये बेहतर जलवायु,

२. खेती के बेहतर तरीके,

३. कुछ हालतों में फैक्टरियों की बेहतर टैक्निकल योग्यता, तथा

४. गन्ने या चीनी पर कम या बिल्कुल करों का न होना ।

(ग) भारत में गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार तथा उन में निहित चीनी तत्व को बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं । इस के अलावा फैक्टरियों की योग्यता सुधारने की योजनायें भी की जा रही हैं ।

श्री बी० पी० सिंह : क्या सरकार अपने देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने और चीनी का आयात रोकने की बात सोच रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, यह हमारी बड़ी जोर की कोशिश है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि एक्साइज डयूटी और सैस इन दोनों को मिला कर जितना कर शूगर पर लगता है वह इम्पोर्ट डयूटी से कम है या ज्यादा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो कैलकुलेशन से मालूम होगा, दोनों चीजें मौजूद हैं और मेम्बरान जानते भी हैं ।

ऋषिकेश-नरेन्द्रनगर टेलीफोन लाइन

***९१७. श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रविधिक दोषों के कारण ऋषिकेश से नरेन्द्रनगर और टिहरी तक की टेलीफोन लाइन ठीक तरह से काम नहीं करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) संभवतः माननीय सदस्या का आशय उस लाइन से है जो भूतपूर्व टिहरी गढ़वाल राज्य से ली गई है । यह लाइन विभागीय प्रमाप के अनुसार नहीं बनाई गई थी और प्रमाप से गिरा हुआ निर्माण स्तर होने के कारण वह लाइन प्रत्याशित स्तर जैसा काम भी दे रही है ।

(ख) क्योंकि यह सर्किट (क्षेत्र) पूर्णरूप से उत्तर प्रदेश सरकार को उस के ही काम के लिये दे दिया गया है, अतः इस लाइन के पुनर्निर्माण का प्रश्न तभी उठाया जायेगा जब कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कराना चाहे ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में टिहरी गढ़वाल ही एक ऐसा जिला है जहां केवल एक टेलीफोन एक्सचेंज है और जहां तहसीलों तथा उपप्रदेशीय मुख्य कार्यालयों में तार की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह एक एक्सचेंज वहां है और यदि वहां अधिक मांग होती या यातायात अधिक होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया होता ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या यह सच है कि पुलिस चौकियों के क्रासिंगों पर कोई टेलीफोन नहीं है जिस से वे मुनि की रेती से नरेन्द्रनगर और नरेन्द्रनगर से टिहरी और धरासू के एक मार्गीय यातायात का नियंत्रण कर सकें ?

श्री जगजीवन राम : यह सच है जब टिहरी गढ़वाल राज्य का विलयन हुआ था, उस समय उस राज्य ने नरेन्द्रनगर में छः लाइनों का एक स्विचबोर्ड बनाया हुआ था जिस के केवल चार स्थानीय कनेक्शन थे और इस से यह स्पष्ट हो जायगा कि टेली-फोन कनक्शनों की अधिक मांग नहीं थी अन्यथा और भी अधिक आवेदक होते। ऋषिकेश को टिहरी से जोड़ने वाली केवल एक लम्बी लाइन थी। इसी लाइन को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिये चालू कर रखा है और यह सब सर्किट (क्षेत्र) उसे पट्टे पर दे दिया गया है। और यह बहुत अच्छा सर्किट नहीं है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : यदि आवेदक अधिक हों तो क्या सरकार इस सुविधा को बढ़ाने का विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : अवश्य।

मनीआर्डरों और बीमा की हुई वस्तुओं का बांटा जाना

*९१८. **श्री गणपति राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में वर्ष १९५४-५५ में कितने मनीआर्डर और बीमा की हुई वस्तुयें गायब हुई या गलत पतों पर बांटी गई ;

(ख) ऐसे कितने मामलों में जांच पड़ताल की गई ; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई थी जो इस के लिये उत्तरदायी थे ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क) (१). गायब हुए मनीआर्डर .. कोई नहीं।

गलत बांटे गये मनीआर्डर .. १७

(२) गायब हुई बीमें की वस्तुयें ३

गलत बांटी गयीं बीमे की वस्तुयें : कोई नहीं।

(ख) सब मामलों की जांच पड़ताल की गई थी।

(ग) जी, हां।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मंत्रालय के पास इस तरह की कोई सूचना आई है कि बनारस और जौनपूर में कुछ ऐसे पोस्ट आफिसेज हैं जहां पर बीमे फाड़ कर बांटे जाते हैं और मनीआर्डर ६, ६ और ८, ८ महीने के बाद बांटे जाते हैं।

श्री जगजीवन राम : ऐसी कोई सूचना मंत्रालय के पास तो नहीं आई है। सदस्य महोदय के प्रश्न आने के बाद जो आंकड़े इकट्ठे किये गये और जो मैंने अभी बताया उस से तो कोई ऐसी बात जाहिर नहीं होती है कि इस तरह का जो लांछन आप लगा रहे हैं वह सही है।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि बनारस जिले के फूलपुर पोस्ट आफिस के खिलाफ पच्चीसों शिकायतें जनता की तरफ से गयीं और जौनपुर के जलालगंज पोस्ट आफिस के खिलाफ इसी तरह की दरख्वास्तें दो साल के बीच में जनता की जो

गयी हैं, क्या सरकार उन के बारे में पता लगाने और जांच पड़ताल करने की कोशिश करेगी ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, अगर सदस्य महोदय सूचना देंगे तो उसकी भी जांच पड़ताल की जायेगी ।

भूमि-विहीन बागवानी

*९२०. **श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि विहीन बागबानी के तरीके का भारत में परीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का व्यौरा क्या है, और किन स्थानों पर यह सफल हुआ है ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) भूमि-विहीन बागबानी के प्रयोग उत्तर प्रदेश में कृषि कालिज, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, बनारस तथा पश्चिमी बंगाल में कालिम्पोंग (जिला दार्जिलिंग) में सफलतापूर्वक किये गये हैं । अपनाये गये तरीकों के व्यौरे के सम्बन्ध में एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३**]

श्री झूलन सिंह : इस योजना की सफलता को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार इस योजना को देश के कुछ प्रयोगात्मक फार्मों में बड़े पैमान पर कार्यान्वित करने की प्रस्थापना करती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय हमारे समक्ष ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

पर्यटकों को शिकार सुविधायें

*९२१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक उद्योग को विकसित करने के हेतु कितने शिकार एजेंटों को अभी तक, राज्यवार, मान्यता प्रदान की गई है ; और

(ख) क्या सरकार देश में शिकार एजेंटों की योजना का समुचित रीति से विनियमन करने के लिये बनाये गये नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). इस देश में शिकार योजना का समुचित विनियमन करने के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से १९५४ में बनाये गये नियमों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४**] । इस से पहले, ग्वालियर, आसाम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के शिकार एजेंटों को तदर्थ आधार पर मान्यता प्रदान की गई थी । इन में से एक शिकार एजेंट की मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर वापस ले ली गई थी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं उन कारणों को जान सकता हूं जिन के आधार पर एक शिकार एजेंट की अनुज्ञप्ति वापस ले ली गई है ?

श्री अलगेशन : वह राजस्थान वाला एजेंट था ।

अध्यक्ष महोदय : वह उस की अनुज्ञप्ति के वापस किये जाने के कारण जानना चाहते हैं ।

श्री अलगेशन : वह राज्य सरकार से प्राप्त हुई प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर वापस ली गई थी ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या किसी अन्य शिकार एजेंट को अनुज्ञप्ति दी जायेगी ?

श्री अलगेशन : जैसे कि उत्तर में बताया गया है, हम ने नियम बनाये हैं और आवेदन-पत्र मांगें हैं। वह शीघ्र ही अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

धान की खेती का जापानी ढंग

***८६९. श्री आर० एस० तिवारी:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापानी ढंग से की गई धान की खेती से उत्पादन में औसतन कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) १९५४ में इस ढंग से किस राज्य ने सब से अधिक लाभ उठाया ; और

(ग) जिन राज्यों में इस ढंग से खेती करने में सफलता प्राप्त हुई है वहां से अन्य राज्यों को शिक्षा देने के लिये व्यक्ति भेजने के बारे में क्या सरकार विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ४,०१,७०० एकड़ भूमि क्षेत्र पर १३ मन ३५ सेर प्रति एकड़।

(ख) वर्ष १९५३-५४ में हैदराबाद राज्य।

(ग) जी नहीं। क्योंकि जापानी ढंग से धान की खेती के प्रशिक्षण के लिये अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिये बम्बई राज्य के कारजात स्थान पर पहले ही सुविधायें दी गई हैं।

इंगलैंड तक की विमान सेवायें

***८७०. श्री राधा रमण :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैंड को जाने वाली एअर इंडिया इंटरनैशनल की विमान सेवाओं को चार बार से बढ़ा कर ६ बार कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या एयर इंडिया इंटरनैशनल की सेवा को किन्हीं अन्य देशों के लिये भी बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन से देश हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अभी तो नहीं। किन्तु बढ़ाने की प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस वृद्धि का मुख्य कारण उस मार्क पर वृद्धिशील यातायात है।

(ग) और (घ). एयर इंडिया-इंटरनैशनल के पास चीन तथा जापान की भी इन सेवाओं के विस्तार किये जाने की योजनायें हैं और ऐसा उसी समय कर दिया जायेगा जब कि इन देशों के साथ विमान परिवहन करार सम्पन्न कर लिये जायेंगे। निगम का विचार यह भी है पश्चिम की ओर की विमान सेवाओं के लिये बेरियत (लेबेनांन) प्राग (चेकोस्लोवाकिया) और जूरिच (स्विटजरलैंड) पर बीच बीच में उतरने और रुकने के स्थान (ठहराव) भी बनाये जायें।

शक्कर और गुड़

*८७५. **श्री झुनझुनवाला :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** निम्न बातो का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४५ से १९५५ तक आयात की गयी और उत्पादित शक्कर और गुड़ की मात्रा और उस का मूल्य क्या है ;

(ख) क्या उक्त समय में इन वस्तुओ का कोई निर्यात भी किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों को ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५]**

खानों के मुख्य निरीक्षक के प्रतिवेदन

*८७६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की खानों के मुख्य निरीक्षक के १९५१ और १९५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) कब तक वे तैयार हो कर सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) देर होने के मुख्य कारण ये हैं :—

(१) खानों द्वारा आवश्यक आंकड़ों के मिलने में आवश्यकता से अधिक विलम्ब ।

(२) (क) उनकी सारिणी बनाने और उन्हें ठीक करने,

(ख) सूचना चक्रों और रूप-रेखाओं की तैयारी, और

(ग) उन के छपाने में, लगा हुआ समय ।

(ख) १९५१ का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है और संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है । १९५२ का प्रतिवेदन एक मास में प्रकाशित हो जायेगा । १९५३ के प्रतिवेदन को ४ या ५ महीनों में प्रकाशित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

केन्द्रीय नस्ली सांड फार्म

*८७९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में एक केन्द्रीय नस्ली सांड फार्म खोलने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह फार्म कब स्थापित हो जायेगा ; और

(ग) इस के स्थापित करने में क्या व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नई रेलवे लाइनें

*८८०. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भटिंडा और हनुमानगढ़ के बीच वर्तमान छोटी लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बनाने का कोई सुझाव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई निश्चय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

माल के डिब्बों की कमी

***८८२. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गुड़ का भाव बहुत कम हो गया है क्योंकि कुछ व्यापारियों ने माल के कुछ डिब्बों को अपने नाम पूंजीकृत करा लिया है और कुछ डिब्बों का झूठा पंजीयन भी किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी या की जानी वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) व्यापारियों द्वारा माल के डिब्बों को पंजीकृत कराने और डिब्बों के झूठे पंजीयनों के कारण गुड़ के भाव में बहुत कमी हो जाने की सूचना केवल दिसम्बर १९५४ के अन्तिम सप्ताह में उत्तर रेलवे के मुजफ्फरनगर के व्यापारियों द्वारा पंजीयन रद्द कराने के कारण प्राप्त हुई थी ।

(ख) दिये गये डिब्बों को प्रयोग न करने पर नियमों के अनुसार ११,००० रुपये, पंजीयन शुल्क, जब्त कर लिये गये थे ।

भारत और पाकिस्तान के बीच सामान का यातायात

***८८४. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने यह इच्छा प्रकट की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सामान का निर्बाध यातायात शुरू कर दिया जाये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : अभी तक पाकिस्तान से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

***८८६. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री जेठालाल जोशी :**

क्या श्रम मंत्री एक विवरण सभा की टेबल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) १९५४ में काम दिलाऊ दफ्तरों में राज्यवार कितने लोगों ने अपने नाम दर्ज कराये हैं ; और

(ख) इन में से कितने लोगों को काम पर लगाया गया ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

समूचे धातु के बने हल्के डिब्बे

***८८७. श्री रनदमन सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले आर्डर के अनुसार अब तक स्विटजरलैंड से सवारी गाड़ी के कुल कितने डिब्बे प्राप्त हो चुके हैं ;

(ख) ऐसे एक डिब्बे की कुल लागत क्या है ;

(ग) क्या आर्डर का अधिकांश सामान अभी मिलना शेष है ;

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ङ) कब तक सभी डिब्बों के आ जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पिछली बार ५० डिब्बों की बोगियों के साथ (जिन में बिजली, पंखा आदि न हो) मांग की गयी थी जिस में से ४६ डिब्बे आ गये हैं ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७**]

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) मार्च १९५५ के अन्त तक ।

विशाखपटनम में जल संभरण

*८८९. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में विशाखपटनम् में जल संभरण के विकास के लिये कोई अनुदान मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस काम के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ;

(ग) इस परियोजना में केन्द्रीय सरकार का क्या अंश होगा ; और

(घ) योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) और (ख). आन्ध्र राज्य के नगर-जल-संभरण और नाली योजना के लिये भारत सरकार द्वारा १०० लाख रुपये के स्वीकृत ऋण में से २५ लाख रुपये की राशि विशाखापटनम के जल संभरण विकास के लिये निर्धारित की गयी है ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) योजना की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं : अतिरिक्त हेडवर्क्स का निर्माण करना, पानी के लिये जलाशय बनाना और वितरण प्रणाली का भी विकास करना ।

अंडों का वन्ध्यीकरण

*८९०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडों के वन्ध्यीकरण और उन्हें झावे में बन्द करने के सुधारे ढंग का लाभ उठाने के लिये इस की प्रयोगात्मक योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) क्या अब तक के उपबन्ध आकड़ों से कुछ निश्चित परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या इस योजना को बड़े पैमाने पर चालू करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) प्रयोग पूरा हो चुका है ।

(ख) जी हां ।

(ग) चूंकि परिणाम सफल रहा है अतः राज्य सरकारों की अंडों के वन्ध्यीकरण और उन को झावे में भरने की सुधरी प्रणाली को स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से अपने कार्यक्रम का स्थायी अंग बना लेना चाहिए ।

चिकित्सा कर्मचारी वर्ग

*८९३. **श्री एस० के० रजमी** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चिकित्सा कर्मचारियों की निवृत्ति आयु को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): उत्तर स्वीकारात्मक है ।

बेलारी गडग स्थानीय रेल गाड़ियां

***८९६. श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोपबल और गडग के व्यापारियों ने बेलारी से गडग तक एक य गाड़ी चलाये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गयी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, हुबली-बेलारी विभाग में एक अतिरिक्त, रेल गाड़ी चलाने के लिये ।

(ख) एक अतिरिक्त रेलगाड़ी की आवश्यकता है, पर डिब्बों और .इजनों की कमी के कारण उसे इस समय चलाना संभव नहीं है ।

यात्री सुविधायें

***८९८. श्री वी० मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड भारतीय रेलो पर सामाजिक शिक्षा देने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ?;

(ख) यदि हां, तो योजना की मख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना का क्या उद्देश्य है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस योजना का उद्देश्य जनता को नागरिकता का अधिक ज्ञान कराना है ताकि वे रेलवे सीमा और गाड़ियों में उचित व्यवहार करें तथा रेलवे सीमा और डिब्बों का उचित प्रयोग करें । इस के लिये, पोस्टरों, लाउडस्पीकरों द्वारा घोषणाओं और चलती-फिरती सिनेमा गाड़ियों द्वारा प्रदर्शन के साधनों को उपयोग में लाया जायेगा ।

उच्च श्रेणी के यात्री डिब्बे

***८९९. पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २०१ अप और २०२ डाउन अर्थात अजमेर से दिल्ली और दिल्ली से अजमेर जाने वाली गाड़ी में जो उच्च श्रेणी के यात्री डिब्बे (बोगियां) लगाये जाते थे, उन्हें अब नहीं लगाया जाता जिस से उच्च श्रेणी के यात्रियों को बहुत असुविधा हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कब से, और इस का क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार उन्हें फिर से चालू करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). पर्याप्त यातायात के अभाव के कारण दिल्ली से अजमेर जाने वाले दूसरे दर्जे के यात्री डिब्बे के स्थान पर १०–९–५४ से तृतीय श्रेणी के यात्री डिब्बे चलाये गये थे ।

(ग) १-३-५५ से, दिल्ली से अजमेर के बीच चलने वाली डाक रेल गाड़ियों की संख्या २०१।२०२ में फिर दूसरे दर्जे के यात्री डिब्बे जोड़े गये और चलाये गये हैं ।

बिना टिकट के यात्रा

***९०२. श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्री पकड़े गये ; और

(ख) उनसे किराया तथा दंड के रूप में कुल कितना रुपया वसूल किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ७९,२३,३३७ ।

(ख) १,५४,११,९१५ रुपये ।

आसाम उत्तर ट्रंक सड़क

***९०८. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम उत्तर ट्रंक सड़क से उत्तरपूर्वी सीमा अभिकरण को जाने वाली कोई सड़कें बनाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) उन सड़कों से कौन कौन से क्षेत्र मिलाये जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालन्तर में सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

सिंगेरबील रेलवे स्टेशन

***९०९. श्री बीरेन दत्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियो की सुविधा के लिए त्रिपुरा में अगरतला के निकट सिंगरबील में सरकार एक रेलवे स्टेशन खोलना चाहती है ;

(ख) क्या अगरतला के व्यापारियों ने इस सम्बन्ध में कोई मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारी

***९११. श्री एम० एन० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री १ सितम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड कार्यालय में अधीक्षण पदों, को बढ़ाने के लिये संवरण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). असिस्टेंटों को सुपरिन्टेडेंटों (अधीक्षकों) या मुख्य असिस्टेंटों (असिस्टेंट इन चार्ज) की श्रेणियों में पदोन्नत करने के लिये उन की नाम तालिकाओं को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है और इस निश्चय को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा ।

कटिहार विभाग में रेल के डिब्बे

***९१२. श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार विभाग के डिब्बे पुराने और टूटे फूटे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन की जगह पर नये डिब्बे चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस विभाग में चलने वाले लगभग ३० प्रतिशत डिब्बे बहुत पुराने तो हैं, परन्तु टूटेफूटे नहीं हैं ।

(ख) कटिहार विभाग में बहुत से नये डिब्बों की व्यवस्था की जा रही है ।

तिन्नेवेल्ली से कुमारी अन्तरीप तक रेल सम्पर्क

*९१३. **श्री वीरस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर तिन्नेवेल्ली से कुमारी अन्तरीप तक रेलवे लाइन निर्माण करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) निर्माण-कार्य कब शुरु किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). इस परियोजना के लिये १९५५–५६ में एक यातायात सर्वेक्षण करने का विचार है ।

(ग) इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता ।

रेलवे स्टेशनों का लूटा जाना

*९१४. **श्री सूर्य्य प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में अब तक कितने रेलवे स्टेशनों को डाकुओं ने लूटा ; और

(ख) कितने मामला में अपराधियों को पकड़ा गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५४-५५ में ३१ जनवरी, १९५५ तक रेलवे स्टेशनों को लूटने की आठ घटनायें हुई ।

(ख) अब तक ५ घटनाओं के अपराधियों को पकड़ा जा चुका है

कपास

*९१६. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३-५४ में कुल कितनी कपास पैदा हुई थी और उस वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था ; और

(ख) वर्ष १९५४-५५ के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५३–५४ में कपास की कुल पैदावार ३९ लाख ३५ हजार गांठें हुई । निश्चित लक्ष्य ३६ लाख ७० हजार गांठें था ।

(ख) ३९ लाख २० हजार गांठें ।

नई रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण

*९१९. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित रूरकेला-तलचेर तथा सम्बलपुर टिटिलागढ़ रेलवे लाइनों का पहिले किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उन में से प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन दोनों लाइनों का पुनः सर्वेक्षण किया जायेगा तथा ;

(ग) यदि हां, (१) सर्वेक्षण का क्या प्रयोजन है ; (२) अनुमानतः कितना व्यय किया जायगा, और (३) किस अवधि के भीतर यह सर्वेक्षण समाप्त हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९४७–४८ के दौरान रूरकेला-तलचेर लाईन का प्रारम्भिक यातायात तथा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया, जिस का अनुमानित व्यय २,७७,६०३ रुपये था । सम्बलपुर टिटिलागढ़ परियोजना का सर्वेक्षण पहिले नहीं हुआ है ।

(ख) जी नहीं । पूर्वी रेलवे प्रशासन सम्बलपुर टिटिलागढ़ परियोजना यातायात सर्वेक्षण कर रही है ।

(ग) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है, सम्बलपुर टिटिलागढ़ लाईन का यातायात सर्वेक्षण केवल इस दृष्टि से किया जा रहा है कि इस परियोजना की यातायात सम्भावना आंकी जा सके । अनुमान लगाया जाता है कि इस सर्वेक्षण पर १४,८७६ रुपये का व्यय होगा और आशा की जाती है कि यह अप्रैल, १९५५ तक समाप्त हो जायेगा ।

चीनी तथा गुड़ की पौष्टिकता

*९२२. **श्री झुनझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि गुड़ तथा साफ चीनी की तुलनात्मक पौष्टिकता कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : गुड़ साफ की हुई चीनी से अधिक पौष्टिक है, क्योंकि हम ने अल्प परिणाम में खनिज पदार्थ (यथा कैलसिपया तथा लोहा) और विलटायिन (कैरोटीन, विटामिन 'ए' का पूर्वज तथा निकोटीनिक एसिड), है जब कि साफ की हुई चीनी में अधिकांश सुक्रोज ही रहता है ।

संघ अंगार पथरा कोयला खान में दुर्घटना

*९२३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री १९ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज़ विलियमसन मैगर एन्ड को० लिमिटेड, जो संघ अंगार पथरा कोयला खान, झरिया के व्यवस्थापक एजेंट का कार्य कर रहे हैं, सरकार द्वारा जारी किये नोटिस का उत्तर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन का उत्तर किस प्रकार का है ; तथा

(ग) सरकार इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) समवाय के प्रबन्धक-निदेशक ने उत्तर दिया है कि प्रबन्धक तथा निदेशक इस दुर्घटना के लिये किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं ठहराये जा सकते क्योंकि छत अकस्मात गिरी, न कि जानबूझ कर हुई किसी भूलचूक अथवा खोदाई से ।

(ग) श्री सी० सी० सन्डेज लम्सडेन जो कि दोनों फर्मों अर्थात् मैसर्स यूनियन कोल को० लिमिटेड, जो इस के स्वामी हैं, तथा मैसर्स विलियमसन मैगर एण्ड को० लिमिटेड, जो इस के प्रबन्धक अभिकर्ता हैं—के प्रबन्धक निर्देशक हैं, के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की गई है ।

यूरोपीय देशों को भारतीय रेलवे पदाधिकारियों का शिष्ट मंडल

*९२४. { **श्री सारंगधर दास :**
श्री डाभी:
सरदार हुक्म सिंह :
श्री एम० एल० अग्रवाल : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार तीन व्यक्तियों के उस भारतीय रेलवे शिष्टमंडल, जिस ने पिछले वर्ष यूरोपीय देशों की रेलों का अध्ययन करने के लिये दौरा किया था—की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कुछ सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं तथा अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

महिला श्रमिक

*९२५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई कारखानों, कुटीर उद्योगों तथा बागानों में महिला श्रमिकों की नियुक्ति पर लगाये गय प्रतिबन्ध लागू नहीं किये जा रहे हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ?

भाड़ा दर में वृद्धि

*९२६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली फरवरी, १९५५ से समुद्र द्वारा बम्बई तथा मद्रास से सुदूर पूर्व को फुटकर माल परिवहन के भाड़े की दर १० प्रतिशत बढ़ा दी गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो भाड़े की दरें बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इस साधारण वृद्धि का कारण, मजदूरी, गोदामों की लागत, जहाज के तेल, ———— मूल्य के कारण संचालन व्यय म वृद्धि तथा पत्तनों पर जहाजों का विलम्ब हो जाना बताया जाता है ।

मुर्गी पालन विकास केन्द्र

*९२७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अग्रिम परियोजना के अन्तर्गत अभी तक देश में कितने मुर्गी पालन विकास केन्द्र खोले गए हैं ;

(ख) यह केन्द्र किन किन राज्यों में खोले गये हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, बिहार, मध्य भारत, आसाम, मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन तथा हैदराबाद के विशेषकर चुने हुए क्षेत्रों में १५ केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है । भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंस्था द्वारा सम्बन्धित राज्यों को वितरण के लिये १०,००० मुर्गी के बच्चों का पालन पोषण किया गया है । वे राज्य भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्था के मुर्गी अनुसन्धान विभाग के मुख्याधिकारी के साथ बातचीत करके केन्द्रों का चुनाव कर रहे हैं ।

अमेरिका से गेहूं का आयात

*९२८. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ के दौरान अमेरिका से कुल कितना गेहूं खरीदा गया ;

(ख) क्या निकट भविष्य में कुछ और गेहूं खरीदने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कितना गेहूं खरीदा जायेगा ; तथा

(घ) किस दर पर यह खरीद की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) क्रय की मात्रा तो आवश्यकता पर निर्भर होगी, जो कि निश्चित रूप से इस वर्ष की फसल के उपरांत ही आंकी जा सकती है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन भारत के दायित्व के अनुसार खब सस्ती दर पर इस की खरीद होगी ।

भोपाल स्थित केन्द्रीय फार्म

*९०९. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
सेठ गोविन्द दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य से भोपाल में कुल कितने व्यक्ति बसाने के लिये भेजे गये ;

(ख) उन में से कितने समुचित रूप से बस गये हैं ;

(ग) क्या वहां और अधिक कुटुम्ब भेजे जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) ऐसे परिवारों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ७४ व्यक्ति ।

(ख) अभी तक कोई भी नहीं, क्योंकि वे पिछले महीने ही वहां पहुंचे हैं ।

(ग) त्रावनकोर-कोचीन से १०० व्यक्तियों के एक और जत्थे को बुलाने का प्रस्ताव किया जाता है । इन बसने वालों के परिवार भी यथा समय भोपाल आ जायेंगे ।

(घ) प्रस्तावित भूमि आवण्टन के अतिरिक्त बसने वालों को ये सुविधायें भी दी गई हैं:—

(१) बसने वालों व्यक्ति तथा उसके परिवार के लिये मुफ्त सवारी।

(२) मुफ्त आवास-गृह ।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि पाठशाला पंचायतघर, दवाखाना आदि की सुविधायें भी प्रदान की जानी चाहियें।

भूमि हीन श्रमिकों को फिर से बसाने के सम्बन्ध में शर्तें तथा नियमें बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८]**

केन्द्रीय सरकार के फार्म

***९३०. श्री चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कृषि फार्मों में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) इन फार्मों की कुल उपज क्या है ; और

(ग) उन की उपज को बेचने के क्या तरीके हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ग) इन फार्मों की पैदावारा मुख्यतः बीज के प्रयोगजन के लिये रखी जाती है । अवशेष को इस प्रकार निपटाया जाता है :—

जहां तक जम्मू फार्म का प्रश्न है अतिरिक्त अनाज कमी वाले राज्यों को बीज के निमित्त दिया जाता है । इस में भी प्रथम अधिमान जम्मू तथा कमश्मीर राज्य को प्राप्त है । जितने अनाज को बीज के प्रयोजन के उपयुक्त नहीं समझा जाता, उसे यदि उस राज्य द्वारा दी गई दर अनुचित अर्थात् अधिक नहीं होती हैं, बेच दिया जाता है । अन्यथा स्थानीय अथवा पड़ौसी राज्य के व्यापारियों से टेंडर आमंत्रित कर उसे बेच दिया जाता है । भोपाल फार्म का अतिरिक्त अनाज टेंडर मांग कर बेच दिया जाता है ।

उत्तर प्रदेश गोसंवर्धन जांच समिति

*९३१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा नियुक्त की गई गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस रिपोर्ट को सिफारिशों पर अभी तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये कोई प्रार्थना की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) सरकार को उत्तर प्रदेशीय गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। उस की सिफारिशों पर विचार करने तथा उन को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

(ख) जी हां।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

जनाना डिब्बे

*९३२. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे के जनाना डिब्बे को सभी रेलों में एक विशेष स्थान पर गार्ड के डिब्बे अथवा वैन के निकट लगाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है ;

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, इस सम्बन्ध में कि तीसरे दर्जे के जनाना डिब्बे गाड़ी के बीच अथवा लगभग अन्त में लगने चाहियें, न कि इंजिन के निकट।

(ख) रेलों को बोर्ड की ओर से स्थायी अनुदेश हैं कि विशेषतः तीसरे तथा ड्योढ़े दर्जे के जनाना डिब्बे, यथा सम्भव, गाड़ी के बीच में लगाये जायें।

रेल का किराया

*९३३. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी एक्सप्रैस गाड़ियों में तीसरे तथा ड्योढ़े दर्जे के यात्रियों से साधारण दर से किराया लिया जाता है ;

(ख) इससे रेल की आय को कितनी हानि होती है ; और

(ग) ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १८, जिस में से १६ गाड़ियां उत्तर-पूर्व रेलवे में हैं, और २ गाड़ियों पश्चिमी रेलवे में।

(ख) तथा (ग). इन रेलों में साधारण रेलों के किराये की दर से किराया वसूल किया जाता है। इस सम्बन्ध में एतिहासिक पृष्ठभूमि, रेलों की गति मार्ग पर के स्टेशन तथा अन्य संगत बातों का ध्यान रखा जाता है। इसलिये, रेल की आय में घाटा होने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

ब्यावर स्टेशन के निकट पुल

***९३४. पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यावर रेलवे स्टेशन के क्रासिंग (फाटक) के निकट ऊपर का पुल निर्मित्त करने के प्रस्ताव पर रेलवे प्राधिकारियों ने ब्यावर नगरपालिका अथवा अजमेर की सरकार के परामर्श से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने के औचित्य पर विचार करेगी, तथा उसे १९५५-५६ के रेलवे निर्माण कार्यों के कार्यक्रम में सम्मिलित करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है ।

(ग) प्रस्ताव पर अन्तिम विचार हो चुकने तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाई जाने वाली लागत को रेलवे के हाथों में दिये जाने के उपरांत ही इसे निर्माण कार्य के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पानी देने और सफाई की योजना

***९३५. श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संस्था भारत सरकार के सहयोग से गांवों में पर्याप्त पानी सप्लाई और उचित नाली व्यवस्था के लिये एक अग्रिम परियोजना बनाने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो एसी परियोजनाओं की संख्या क्या है और वे किन किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) तथा (ख). विश्व स्वास्थ्य संस्था के सहयोग से दो विशाल योजनाओं की शुरुआत के लिये एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव के ब्यौरों को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०]**

भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था

***९३६. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) ढोर रक्षा तथा पशु संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५५ में अभी तक कितने ढोरों को टीके लगायें गयें हैं ; और

(ख) क्या इन टीकों के लगाने में जो औषधि काम में लाई जाती है, वह भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था में तैयार की जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) शायद सदस्य महोदय का अभिप्राय अग्रिम परियोजना के अन्तर्गत रिंडरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम से है । यदि ऐसा है, तो फरवरी, १९५५ के अन्त तक इस कार्यक्रम में २,४०,५०८ ढोर तथा भैंसों को टीके लगाये गये हैं ।

(ख) जी हां । किन्तु जनवरी, १९५५ में इंस्टिट्यूट आफ वटर्नरी प्रिवन्टिव् मैडीसिन्, रानीपेट, मद्रास, द्वारा, बनाई हुई टीकों की औषधि भी काम में लायी गयी थी ।

अतिरिक्त मक्खन

*९३७. { **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
डा० सत्यवादी :
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका से भारत को आयात करने के लिये किस परिमाण में घी दिया जा रहा है ; और

(ख) उस की आयात दर क्या होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) परीक्षा के रूप में ५०० से १,००० टन तक का लदान किया जा रहा है ।

(ख) प्रति पौंड बीमा भाड़ा व्यय सहित भारत में उतरने की दर ५०.५ सैंट (२ रुपया ६ आना ६ पाई के बराबर) होगी ।

'साइक्लोसिरीन' औषध

*९३८. **श्री गिडवानी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक साइक्लोसिरीन नामक औषध क्षय की चिकित्स में उपयोगी सिद्ध हुआ है ; तथा

(ख) क्या इस औषध का भारत में भी प्रयोग हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

धनुषकोटि द्वीप

*९३९. { **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :**
श्री आर० एस० तिवारी : }

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि समुद्र द्वारा मिट्टी के कटाव के कारण भारत तथा श्रीलंका के बीच पोतघाट का स्थान धनुषकोटि अगले तीन वर्षों में बिल्कुल साफ हो जायेगा ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस स्थान के निकट ही कोई अन्य स्थान ढूंढने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, अथवा की जाने वाली है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). पिछले पांच वर्षों के दौरान धनुषकोटि में मिट्टी का कटाव होता रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी रेलवे ने पोत घाट के निमित्त कोई अन्य स्थान ढूंढने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ।

ग्रामीण क्षत्रों में डाकघर

*९४०. **श्री सुबोध हासदा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर मिदनापुर जिले में जहां पुलिस थाने स्थित हैं, डाकघरो को डाक तथा तार घरों में परिणत करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): यह रूप-परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है ।

माल डिब्बों का बंटवारा

*९४१. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार की चीनी मिलों को गन्ना ढोने के लिये इस

वर्ष अपेक्षित संख्या में माल डिब्बे नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ; और

(ग) चीनी मिलों को माल डिब्बे दिये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मांगें ठीक तरह से पूरी की जा रही हैं ।

कमालपुर-अम्बासा सड़क

*९४२. **श्री बीरेन दत्त**: क्या परिवहन मंत्री १७ मार्च, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १११५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में कमालपुर-अम्बासा सड़क के निर्माण के निमित्त भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप नष्ट हुई फसल के लिये तथा भूमि के स्वामिओं को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

रेलवे टिकटों पर विज्ञापन

*९४३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलवे टिकटों तथा प्लेटफार्म टिकटों पर संक्षिप्त विज्ञापन छापने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) रेल के टिकटों पर दूसरी और छोटे विज्ञापन छापने या न छापने का अधिकार रेलों को है । कुछ रेलें इस तरह के विज्ञापन छाप भी रही हैं ।

रेलवे बोर्ड

*९४४. **श्री राम दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में रिक्त स्थान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते हैं या अन्य विभागों से स्थानान्तरण द्वारा ;

(ख) १९५३-५४ और १९५४-५५ में दिसम्बर, १९५४ तक कितने रिक्त स्थान भरे गये ; और

(ग) इन रिक्त स्थानों में से कितने स्थानों पर अनुसूचित जातिओं और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार रखे गये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) राजपत्रित पदालि में सह-निर्देशक के पद तक के रिक्त स्थान बोर्ड के कार्यालय से पदोन्दति द्वारा भरे जाते हैं, और उच्च पद प्रायः रेलों से राजपत्रित पदाधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा भरे जाते हैं ।

क्लर्क श्रेणी के रिक्त स्थान प्रायः काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा भरे जात हैं या रेलों तथा अन्य सरकारी विभागों से स्थानान्तरण द्वारा भरे जाते हैं सहायक (असिस्टेंट) श्रेणी के रिक्त स्थान साधारण तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं इन रिक्त

स्थानों में से कुछ को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरने का उपबन्ध है, परन्तु अभी कुछ समय से ३ हिन्दी सहायकों के अतिरिक्त जो हाल में रखे गये हैं, ऐसी कोई प्रत्यक्ष भर्ती नहीं हुई है ।

(ख) १९५३–५४ में ... ७८
१९५४–५५
(३१-१२-५४ तक) ... ६५

(ग) १९५३–५४ में
अनुसूचित जातियां ... ४
अनुसूचित आदिम जातियां ... शून्य
१९५४–५५
(३१–१२–५४ तक)
अनुसूचित जातियां ... १
अनुसूचित आदिम जातियां ... शून्य

भारत पाकिस्तान यातायात

*९४५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों के बीच भारत हो कर रेलवे यात्री यातायात को पुनः आरम्भ करने के बारे में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच कोई वार्ता हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शक्कर का आयात

*९४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शक्कर के आयात की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष १९५५ के लिये कोई अधिकतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) अब तक कुल कितनी मात्रा में चीनी का आयात हो चुका है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) १-४-५४ से १५-२-५५ तक ७६,५२१ टन ।

विमान सेवायें--विस्तार

*९४७. **श्री डी० सी० शर्मा** :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में अन्य देशों में भी अपनी विमान सेवाओं को विस्तार देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है : [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११**]

डाक तथा तार कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघान

*९४८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनर्गठबंधन की जो योजना चालू की थी उस के परिणाम स्वरूप डाक तथा तार कर्मचारियों ने राष्ट्रीय

संधान बनाया था, क्या उस को तत्पश्चात् मान्यता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मान्यता की शर्तों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) उन शर्तों की जिन के अधीन मान्यता दी गई है, एक प्रति और संधान का विधान, जो सरकार ने स्वीकृत किया है, सभा-पटल पर रखे जाते हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस०--८२/५५]**

ब्रोझर के समीप विमान दुर्घटना

***९४९. { श्री रघुनाथ सिंह : श्री भागवत झा आजाद :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ जनवरी, १९५५ को प्रातः काल इंडियन एयर लाइन्स के एक विमान में गोहाटी के ब्रोझर हवाई अड्डे के पास आग लग गई और तीन चालकों की मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे और यदि इस सम्बन्ध में कोई जांच समिति नियुक्त की गई थी तो उस के निश्चय क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हां, श्रीमान् । परन्तु अभी यह प्रत्यक्ष नहीं हो पाया है कि विमान में आग गिरने से पहिले लग गई थी या गिरने पर लगी थी ।

(ख) दुर्घटना की जांच पड़ताल एक जांच न्यायालय, जो भारत सरकार ने नियुक्त किया है, कर रहा है ।

दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

***९५०. श्री नवल प्रभाकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने गत दो वर्षों में कितनी भूमि का सुधार कर के उसे प्लाटों के रूप में बेचा है ; और

(ख) इस भूमि सुधार कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने गत दो वर्षों में लगभग ८०.५ एकड़ जमीनों का सुधार किया और ५४ प्लाटों को बेचा ।

(ख) लगभग ६.४० लाख रुपये ।

घाट सेवायें

***९५१. ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा के लिये दीगाघाट (उत्तर पूर्व रेलवे) को इस के वर्तमान स्थान से हटा कर बांस घाट ले जाने का है ; और

(ख) विगत दो मासों में दीगाघाट स्टेशन से जेट्टी का सामान ले जाने में सरकार ने कितना अतिरिक्त व्यय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) कोई अतिरिक्त व्यय किया गया है ।

पावदान यात्रा

***९५२. श्री सारंगधर दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में पावदान (फुटबोर्ड) पर यात्रा करने को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि विदेशों में डिब्बे इस प्रकार के होते हैं कि फुटबोर्ड यात्रा करना असम्भव होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय रेलों के वर्तमान डिब्बों के रूपाकार में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । लाउड स्पीकरों, विज्ञप्तियों आदि द्वारा चेतावनी दी गई है और पावदान (फुटबोर्ड) पर यात्रा करनें वालों पर अभियोग चलाये गये हैं ।

(ख) सरकार को विदित है कि कुछ विदेशों में डिब्बों का रूपाकार ऐसा है कि फुटबोर्ड पर यात्रा करना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी हां ।

चीनी का आयात

*९५३. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में विदेशी फर्मों द्वारा चीनी का आयात करने के क्या कारण थे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : कारण यह था कि उस समय स्वीकार्य प्रकार की चीनी के लिये और अपेक्षित पोतवहन काल के लिये विदेशी फर्मों ने सब से कम मूल्य का प्रस्ताव दिया था ।

त्रिपुरा में अनन्नास उद्योग

*९५४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में १९५२ से १९५४ तक अनन्नास के नाश होने से अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : राज्य सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

कोडरमा में अभ्रक की खानें

२४६. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थोड़ी मात्रा में विस्फोटक प्राप्त होने के कारण जनवरी १९५५ के द्वितीय सप्ताह में कोडरमा स्थित अनेकों अभ्रक खानें बंद रहीं ;

(ख) यदि हां, तो विस्फोटकों की थोड़ी प्राप्ति के क्या कारण हैं ;

(ग) इस कारण कितनें मजदूरों को बाध्य हो कर बेकार रहना पड़ा ; और

(घ) इस बाध्य बेकारी के लिये उन को वेतन का भुगतान करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) मेरी जानकारी में, खानें बंद नहीं रहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अनुसूचित जातियां

२४७. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार मोटर सेवा, कलकत्ता में अनुसूचित जातियों को उचित संख्या में नहीं लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) हां, डाक तथा तार की डाक मोटर

सेवा, कलकत्ता में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या थोड़ी है।

(ख) मामले की जांच पड़ताल हो रही है। इस बीच, कमी को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जा रही है।

डाक ले जाने वाले डिब्बे

२४८. **श्री रामानन्द दास :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में १९४७--५० के वर्षों में डाक ले जाने वाले डिब्बों के बनाने पर क्या व्यय हुआ और १९५४-५५ में तत्संबंधी व्यय क्या था ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : दो विवरण संलग्न हैं। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२**] विवरण संख्या १, में १९४७--५० के वर्षों में बने डाक ले जाने के डिब्बों की लागत का विवरण और संख्या २ में १९५४--५५ में बने डिब्बों की लागत का उल्लेख है।

बीकानेर रेलवे स्टेशन

२४९. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यात्रियों की बढ़ती हुई मांग, विशेषकर विश्राम, सामान तथा अल्पाहार गृहों आदि की मांग को पूरा करने की दृष्टि से बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हां, श्रीमान्। विश्राम गृहों, अधिक अच्छे सामान गृहों, अधिक अच्छे प्रतीक्षा गृहों और अल्पाहार गृहों की व्यवस्था करने की दृष्टि से बीकानेर रेलवे स्टेशन को बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

२५०. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री ६ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१५ के उत्तर के सम्बन्ध में, जो दिया गया था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्पश्चात् पटना से इलाहाबाद तक अपर गंगा में अन्तर्देशीय जल परिवहन की व्यवस्था का प्रबन्ध पूर्ण हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो परिवहन कब चालू होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). यानों की आकृति निर्धारित हो गई है और उन के निर्माण के लिये शीघ्र ही टेंडर मांगे जायेंगे। याव प्राप्त होते ही योजना कार्यान्वित हो जायेगी।

चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन

२५१. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में बहुत कम स्थान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां नये बड़े बड़े कमरे बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये एक १६′×१४′ का प्रतीक्षालय है जो कि छः यात्रियों की प्रति दिन औसत के लिये पर्याप्त समझा गया है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के

विश्राम के लिये इस स्टेशन पर दो कमरे भी उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

उदयपुर से कारखानों का स्थानान्तरण

२५२. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उदयपुर के इंजन और डिब्बों के कारखाने को किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस स्थान पर ले जाया जायेगा; और

(ग) इस से कितने लोगों की बदली होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नई रेलवे लाइन

२५३. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सांगानेर टोडा राय सिंह विस्तार के निर्माण का कार्य इस वर्ष आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) क्या इसे आगे धोली तक ले जाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सांगानेर से टोडा राय सिंह तक रेलवे लाइन का निर्माण हो चुका है और उसे चालू कर दिया गया है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बागान श्रम अधिनियम

२५४. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान श्रम अधिनियम, १९५१ को विभिन्न राज्यों में पूर्णतः लागू किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो राज्यों में इस अधिनियम की कौनसी धारायें लागू की गई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख). बागान श्रम अधिनियम, १९५१ की ऐसी धाराओं को प्रथम अप्रेल, १९५४ से सब राज्यों में लागू कर दिया गया था जिन्हें बिना नियम बनाये लागू किया जा सकता था। एक विवरण जिसमें वह धारायें दी गई हैं संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३].**

डाक्टर

२५५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री एक विवरण सभा के टेबल पर रखने की कृपा करेंगी जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) भारतवर्ष में कितने ऐसे डाक्टर हैं जिनके पास डाक्टरी की प्रमाणित डिग्रियां हैं; और

(ख) कितने व्यक्ति हैं जो बिना डिग्री के ही डाक्टरी कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) ६४,०६२ । यह उन डाक्टरों की संख्या है, जो अंगरेजी दवाओं का व्यवसाय करते हैं और जिनके पास १९५२ तक रजिस्टर्ड होने लायक उपाधियां हैं। पूरी सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास सूचना नहीं है ।

चीनी का आयात

२५६. श्री आर० एस० तिवारी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में कुल आयात की गई चीनी में से अब तक कितनी चीनी दी गई है और कितनी बची है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : दी गई मात्रा ७३३५८० टन
बची हुई कुछ नहीं ।

रेलवे की शिकायत

२५७. श्री विभूति मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'नवराष्ट्र' (पटना) के दिनांक २७ नवम्बर, १९५४ के अंक में पृष्ठ ३ पर प्रकाशित पटना जंकशन पर रेलवे पुलिस की धांधली सम्बन्धी सूचना की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) "नवराष्ट्र (पटना)" के २७ नवम्बर, १९५४ के अंक में रेलवे पुलिस के अत्याचार के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं थी । हां, उसके २६ नवम्बर, १९५४ के अंक में यह रिपोर्ट थी कि सादी पोशाक में पुलिस वाले पटना जंकशन पर खोमचेवालों से अमरूद और दातून छीन रहे थे ।

(ख) बिहार सरकार ने इसकी जांच करायी । शिकायत करने वाले का पता न लग सका और जो कुछ दूसरे सबूत मिले उनसे भी शिकायत साबित न हो सकी ।

कार्मिक संघ

२५८. श्री वी० पी० नायर : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस (२) अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस, (३) हिन्द मज़दूर सभा और (४) संयुक्त कार्मिक संघ कांग्रेस से सम्बन्ध कार्मिक संघों की संख्या क्या है; और

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५४ को चारों केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों के सदस्यों की संख्या क्या थी ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख). ३१ दिसम्बर, १९५४ तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली रेलवे स्टेशन

२५९. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में दिल्ली रेलवे स्टेशन में सुधार करने के लिये कितनी राशि दी गई ; और

(ख) पृथक पृथक इन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५२–५३ में ४५,००० रुपये ।

१९५३–५४ में ५.४७ लाख रुपये और
१९५४–५५ में ३ लाख रुपये ।

(ख) १९५२–५३ में ४५,२३७ रुपये
१९५३–५४ में ४,५३,२७९ रुपये और
१९५४–५५ में ३ लाख रुपये (पूर्व निर्धारित)

राज्यों में अनावृष्टि की स्थिति

२६०. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री एन० बी० चौधरी :
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के किसी राज्य में अनावृष्टि की स्थिति की सूचना मिली है ;

(ख) क्या पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिये राज्य सरकारों ने केन्द्र से कोई सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी है अथवा देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) उस विवरण में, जो लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है, दिये गये सिद्धान्तों के आधार पर केन्द्रीय सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देना चाहती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४**]

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद

२६१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि २३ जनवरी, १९५५ को त्रिवेंद्रम में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक में कौन कौन से मुख्य निर्णय किये गये और उन्हें कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : त्रिवेंद्रम में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक की मुख्य सिफारिशें निम्न हैं :

१. सब राज्य सरकारों को सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों, बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम और राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति को स्थायी आधार पर सोचना चाहिये और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों को उपयुक्त निवास स्थान और परिवहन, वृत्ति सम्बन्धी कार्य में पर्याप्त सुविधायें और काफी प्रतिकर भत्ता दिया जाना चाहिये ।

२. सब राज्य सरकारों को चाहिये कि वे महत्त्वपूर्ण आंकड़ों, स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण, हस्पतालों और डिस्पैंसरियों की संख्या, छूत की बीमारियों को रोकने के लिये अपनाये गये साधनों, पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विकास योजना कार्यक्रमों की प्रगति और देश में हो रहे अन्य स्वास्थ्य कार्य के बारे में उपयोगी जानकारी यथास्थिति स्वास्थ्य संघ मंत्रालय या स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशालय में भेज दें ताकि वह अविलम्ब अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर सकें ।

३. चिकित्सा के व्यवसाय को नियमित बनाने के लिये प्रारूप विधान पर सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को सामने रखते हुए, विशेषकर यह कि इस के लिये एक अधिनियम होना चाहिये या अधिक और विधान केन्द्रीय अधिनियम के रूप में हो या प्रान्तीय, पुर्नविचार करना चाहिये। परिषद् ने सिफारिश की कि इसे पुनः कार्यपालिका समिति को विचार करने के लिये भेजा जाय और भारत सरकार की कार्यपालिका समिति की सिफारिशें सामने रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ।

४. परिषद् ने कार्यपालिका समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली, कि देशीय औषधियों में गवेषणा करने के लिये देश के सब मैडिकल कालेजों को निदेश देना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है जिस में स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशक, वित्त मंत्रालय

और योजना आयोग के प्रतिनिधि सचिव, भारतीय चिकित्सा गवेषणा-परिषद् और आयुर्वेदिक होमियोपैथिक वृत्तियों के तोन प्रतिनिधि हैं और जिस का काम आयुर्वेद में गवेषणा की योजनाओं की पड़ताल करना है ।

५. परिषद् ने सिफारिश की थी कि देश के आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों में ४ १/२ वर्ष के पाठ्यक्रम में औषधि बनाने के बारे में दिये जाने वाले प्रशिक्षण की किस्म पर निश्चय करने से पूर्व प्रतिवेदन पर राज्य सरकार की राय पूछनी चाहिये और इस विषय को पुनः परिषद् की कार्यपालिका को भेजना चाहिये ।

६. भारत सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जिस के सभापति सौराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री दया शंकर त्रिकमजी देव हों और बम्बई, पश्चिमी बंगाल हैदराबाद और त्रावनकोर-कोचीन के स्वास्थ्य मंत्री उस के सदस्य हों जो वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथों को शिक्षा और विनियमन के बारे में एक ही नीति बना सकें ।

७. परिषद् ने सिफारिश की कि नर्सों की सेवा की शर्तों और उपलब्धियों इत्यादि का पुनरीक्षण करने के हेतु, नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें राज्य स्वीकार कर लें ।

८. परिषद् ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि कोढ़ पर नियंत्रण करने वाली समिति को अपना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये छः मास और दे दिये जायें क्योंकि इस समस्या में बड़ी उलझन है और यह बड़े राष्ट्रीय महत्त्व का विषय है ।

९. राज्य सरकारों को अपने जन स्वास्थ्य संचालन संगठन शक्तिशाली बनाने और कलकत्ता की आरोग्य-विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य की अखिल भारतीय संस्था द्वारा प्रदत्त जन स्वास्थ्य संचालको एवं निरीक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिये और राज्यों के जन स्वास्थ्य संचालक संगठन स्वास्थ्य मंत्रियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कर देने चाहियें ।

१०. परिषद् ने ऐसे सहायक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये पुनरीक्षित योजना की सराहना की जो आधुनिक चिकित्सकों के कार्य को स्थानीय अवस्था के अनुसार उपयुक्त रूप-भेद कर बहुत सरल बना दें । इस ने आगे सिफारिश की कि ऐसे पाठ्य-क्रम की पुस्तकें सारे देश में एक सी होनी चाहियें और स्वास्थ्य संघ मंत्रालय को रायल सैनिटरी संस्था, लंदन के आधारों पर एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने की संभावना पर विचार करना चाहिये ।

११. देश में वैद्यक शिक्षा को सुधारने और इस के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिये सब मैडिकल कालेजों के उन विभागों में जिन का वास्तविक चिकित्सा से कोई सम्बन्ध नहीं है भारतीय प्रशासन सेवा के

आधार पर अध्यापकों की एक अखिल भारतीय श्रेणी बनाई जाये। परिषद् ने आगे सिफारिश की कि राज्य सरकारों को इस योग्य बनाने के लिये कि वे अपने सब विषयों के अध्यापकों का वेतन बढ़ा सकें भारत सरकार को आर्थिक सहायता देने की संभावना पर विचार करना चाहिये।

१२. चिकित्सकों तथा सहायक-कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के लिये, इन्हें उपयुक्त निवास स्थान तथा परिवहन, व्यवसाय चलाने के लिये पर्याप्त सुविधायें तथा पर्याप्त मात्रा में प्रतिकरात्मक भत्ते दिये जाने चाहियें। परिषद् ने यह भी सिफारिश की है कि सरकारी सेवा में नियुक्त करते समय, ग्रामीण क्षेत्रों का अनुभव होना एक अतिरिक्त अर्हता समझी जाये।

१३. परिषद् ने राज्य सरकारों को, सशस्त्रबल चिकित्सा सेवाओं के महा निदेशक की इस प्रस्थापना की सिफारिश की है, कि राज्य चिकित्सा सेवाओं से नवयुवक चिकित्सा-स्नातकों को, सशस्त्र-बल में तीन वर्ष के लिये, अल्प-कालीन सेवा आयुक्त पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिये भेजा जाए।

१४. पिछड़े हुए क्षेत्रों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता वैसे ही दी जाए जैसे कि, इस समय, कुछेक राज्यों के आदिम जाति-क्षेत्रों को दी जा रही है, और यह कि योजना बनाने से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया जाए।

१५. राज्य सरकारों को, अपने चिकित्सा कालिजों में विद्यार्थियों को प्रविष्ठ करने तथा उन से प्रति व्यक्ति शुल्क प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपनी नीति को अधिक उदार बनाने की सम्भावनाओं के विषय में खोज करनी चाहिये, और ऐसे विद्यार्थियों के लिये, जिन्होंने प्री-मैडिकल की परीक्षा पास कर ली हो, प्रवेश के समय अधिवास आदि के प्रतिबन्धों को हटा दिया जाना चाहिये।

१६. सभी राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य विभागों के अधीन विद्यार्थी-स्वास्थ्य सेवा स्थापित करने के सम्बन्ध में, शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को उचित प्रकार की स्वास्थ्य-सहायता, जिस में आहार पुष्टि तथा शरीर-शिक्षा भी सम्मिलित हैं, दी जा सके।

१७. औषध उत्पादन तथा औषधि बनाने वाले, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में ले लिए जायें, उस के अनुसार औषध-अधिनियम को, भी संशोधित किया जाये और इस संशोधित औषध-अधिनियम को लोक सभा में पारित कराने के सम्बन्ध में, भारत सरकार को शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

ये सिफारिशें अभी तक विचाराधीन हैं।

भूमि हीन कृषक जनता

२६२. **श्री पुन्नूस :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में कितने प्रतिशत कृषक जनता भूमि से विहीन हैं, तथा उन की संख्या क्या है ; तथा

(ख) उन लोगों में पुनः वितरित करने के लिये कितनी भूमि प्राप्त करनी होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख) जानकारी पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

विशेष रेल गाड़ियां

२६३. **श्री वीरस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आवड़ी में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के सम्बन्ध में मद्रास तक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गाड़ियों की संख्या क्या थी ;

(ग) ये गाड़ियां किन किन स्टेशनों से और किस किस दिन चलती थीं ;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि मद्रास से सत्यमूर्ति नगर तक भी विशेष गाड़ियां चलायी गयी थीं; तथा

(ङ) यदि चलाई गई थीं, तो ऐसी गाड़ियों की संख्या कितनी थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, यातायात की अधिक भीड़भाड़ को संभालने के लिये ।

(ख) २३ ।

(ग) जानकारी निम्न लिखित है:—

वह अवधि जिस के दौरान में विशेष गाड़ियां चलाई गयीं	स्टेशन जहां से वे गाड़ियां चलाई गयीं	स्टेशन जहां तक गाड़ियां चलाई गयीं	विशेष गाड़ियों की कुल संख्या
१८-१-५५ से २०-१-५५	बेजवाड़ा मेटट् पालैयम कालीकट बम्बई	केन्द्रीय मद्रास	४
१८-१-५५ से २१-१-५५	कालीकट कायमबटोर नागपुर लखनऊ हौड़ा	आवड़ी	६
१९-१-५५ से २०-१-५५	बंगलौर नगर	रायपुरम्	२
१९-१-५५ से २२-१-५५	तिनेवेली त्रिचनापली मयावरम्	मद्रास एगमोर	१०
२०-१-५५	गंटाकल	मद्रास बीच	१
		कुल	२३

(घ) जी, हां ।

(ङ) ६७ ।

वनस्पति

२६४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५४–५५ में अभी तक कुल कितने वनस्पति का उत्पादन हुआ है और उसका मूल्य क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अप्रैल, १६५४ से जनवरी १६५५ तक वनस्पति का कुल उत्पादन १,८४,६५८ टन था । वनस्पति के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है । अतः उत्पादित किए गए वनस्पति के मूल्य के बारे में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । सूचना के अनूसार वनस्पति की थोक बिक्री का मूल्य, बम्बई, मद्रास, दिल्ली तथा कलकत्ता में अप्रैल, १६५४ में, क्रमशः १६६८/–/–, १६२७/–/–, १६८४/–/–, तथा २०३७/–/– रुपये प्रति टन था, जब कि जनवरी, १६५५ में मूल्य क्रमशः १३६४/–/–, १४४५/-/-, १४६४/-/- तथा १४८०/–/– रुपये प्रति टन था ।

रेलगाड़ियों का रोके रखना

२६५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, १६५५ को समस्तीपुर स्टेशन पर ३५१ अप रेलगाड़ी को क्यों रोके रखा गया था ; तथा

(ख) क्या गाड़ी को दो घंटों से अधिक समय तक रोके रखा गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). १-१-५५, को, संख्या ३५१ अप सेमरिया घाट-पलेजा जी० एच० घाट सवारीगाड़ी, समस्तीपुर स्टेशन पर तीस मिनट देर से पहुंची थी और वहां से ११/२ घंटे देर से चली, क्योंकि ४६३ अप मनी-समस्तीपुर सवारीगाड़ी से पहुंचे हुए कुछ यात्रियों को, जिन्होंने आगे जाना था, गाड़ी में स्थान देने के लिये इस गाड़ी के साथ द्वितीय श्रेणी का एक और डिब्बा लगाना था जो कि किसी अन्यगाड़ी से उतारना था ।

घाट-सेवाए

२६६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि पलेजाघाट स्टेशन जो कि पिछले कई वर्षों से महेन्द्रु घाट के सम्मुख लाया जा रहा था, कुछ समय से उसी पूर्ववर्ती स्थान पर स्थिर कर दिया गया है और इस प्रकार से यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) तथा (ख). अपने वर्तमान स्थान अर्थात् बनवार चक पर स्थित पलेजा घाट स्टेशन, १३-७-१६५३ से संतोष-पूर्वक कार्य कर रहा है, और यात्रिओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है ।

स्वदेशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणालियों में प्रशिक्षण

२६७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा दी गयी सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए, लोगों को यूनानी, आयुर्वेदिक तथा होमियो-पैथिक चिकित्सा-प्रणालियों का प्रशिक्षण देने तथा उन के अभ्यास को नियमित करने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : केन्द्रीय सरकार द्वारा लोगों को यूनानी, आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणालियों का प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गयी क्योंकि मुख्य रूपसे राज्य सरकारों का ही यह उत्तर-दायित्व है कि वे ऐसे प्रशिक्षण के लिये सुविधायें प्रदान करें। जहां तक इन चिकित्सा प्रणालियों के अभ्यास को नियमित करने का सम्बन्ध है, इस उद्देश्य के लिये एक विधान बनाने के सम्बन्ध में एक सुझाव, इस समय स्वास्थ्य की केन्द्रीय परिषद् के विचाराधीन है, जिस ने अपनी गत बैठक में, इस मामले पर पूर्णरूपेण विचार करने के लिये, एक उप-समिति बनाई है । इस उपसमिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

विक्रय सम्बन्धी ठेके

***२६८. ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विक्रेताओं की सहकारी संस्थाओं को, भविष्य में, विक्रय सम्बन्धी ठेके देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार नहीं चाहती कि विक्रताओं की सहकारी संस्थाओं को विक्रय सम्बन्धी ठेके दे कर वर्तमान ठेकेदारों में कुछ अदल बदल किया जाये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे के विक्रय सम्बन्धी ठेके देते समय, इस सम्बन्ध में आए हुए अन्य आवदेन-पत्रों के साथ ही साथ विक्रेताओं की सहकारी संस्थाओं से आये हुए आवेदन पत्रों पर भी गणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(ख) प्रत्येक मामले में गुणों के आधार पर ही ऐसा किया जायेगा।

विमान-क्षत्रों में विमानों के उतरने के लिए सुविधायें

२६९. श्री चौधरी मुहम्मद शफ़ी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन्, १९५४ में भारत के विभिन्न असनिक विमान-क्षेत्रों पर विमानों के उतरने के लिये दी गयी सुविधाओं में क्या क्या सुधार किये गये हैं ;

(ख) इन विमान क्षेत्रों में सन् १९५५ के दौरान में विभिन्न प्रकार के उपकरणों में किस प्रकार के सुधार करने की प्रस्थापना है ; तथा

(ग) उपर्वर्णित (क) तथा (ख) पर क्रमशः कितना खर्च किया गया है अथवा करने की प्रस्थापना है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) विमानों के उतरने से सम्बन्ध रखने वाली सुविधायें दो वर्गों में विभक्त हो सकती हैं । अर्थात् भूमि-सम्बन्धी सुविधायें तथा वैमानिक-संचार सम्बन्धी सुविधायें। १९५४ के दौरान में, धावन-पथों को दृढ़ करना तथा उन्हें लम्बा करना, धावन-पथों तथा विमानों के उतरने के स्थानों को प्रकाश प्रदान करना, प्रकाश स्तम्भ लगाने, संचार स्टेशन स्थापित करने तथा पुराने सामान को बदल देना आदि अतिरिक्त सुविधायें दे कर पर्याप्त सुधार किये गए हैं ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]

(ग) क्रमशः ९२ लाख तथा १,४९ लाख रुपये ।

बेगन में तारघर

२७०. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेगन में एक तारघर स्थापित किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). अभी नहीं ।

बाल-गृह

२७१. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५४ में कितने बच्चों की देखभाल के लिये बाल-गृहों का प्रबन्ध किया गया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

रेलगाड़ियों का देर से आना

२७२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में हैदराबाद (बी० जी०) स्टेशन पर सैन्ट्रल रेलवे की एक्सप्रैस गाड़ियां ३१९ तथा ३२० और पैसिंजर गाड़ियां ३२९ तथा ३३० कितनी बार लेट पहुंचीं ; और

(ख) उनके कारण क्या थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नवम्बर, १९५४ और, जनवरी १९५५ के बीच, अर्थात् ९२ दिन ३२० अप एक्सप्रेस, और ३२९ डाउन और ३३० अप फास्ट पैसेन्जर गाड़ियां हैदराबाद देर से पहुंची, जिसका विवरण नीचे दिया गया ह :

गाड़ी नं०	जितनी बार हैदराबाद देर से पहुंची
३२० अप एक्सप्रैस	. ५७
३२९ डाउन फास्ट पैसेंजर	. ८९
३३० अप फास्ट पैसेंजर	. ८१

३१९ डाउन एक्सप्रैस हैदराबाद से ही रवाना होती है, इसलिये उस के देर से पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) इन गाड़ियों के देर से चलने का एक बड़ा कारण यह था कि इनका मेल कुछ ऐसी गाड़ियों से था जो समय पर नहीं चल रही थीं। साथ ही जलगांव और रघुनाथपल्ली के बीच एक पुल पर इंजीनियरिंग सम्बन्धी पाबन्दियां भी लगा दी गयी थीं ।

इन गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये रेलवे विशेष ध्यान दे रही है ।

संघम कोयला खानों में दुर्घटना

२७३. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री के० के० बसु : }

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि संघम कोयला खानों (मध्य प्रदेश) का एक भाग गिर पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना से कोयले के खानों और आसपास की भूमि को कितनी क्षति हुई है ; तथा

(ग) इस दुर्घटना के कारण क्या थे ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि जिस संघम कोयला खान की ओर निर्देश किया गया है, वह जमाए डैल्टा संख्या २, कोयला-खान है। यदि ऐसा है तो ९ फरवरी, १९५५ को खंभ विहीन क्षेत्रों की ऊपरी धरातल हिल उठी थी जिस से कि लोक निर्माण-कार्य की सड़क के साथ वाली भूमि फट गयी थी।

(ख) लोक-निर्माण-कार्य की सड़क के साथ वाली १८० फुट लम्बी भूमि के फटने तथा इस के घेरे के बीच के थोड़े से क्षेत्र की क्षति के अतिरिक्त, कोयला-खान अथवा आस पास की अन्य कोयला-खानों में से किसी की भी सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई।

(ग) गहरे स्थान से थोड़े से दूर एक स्थान पर खंभों के हटा लेने के कारण, उस के पास के कोयले के खंभों पर जो कि पहले ही निर्बल से पड़े थे, पर सारे छत का बोझ पड़ गया जिस से सड़क के नीचे वाली धरती फट गयी।

मधुबनी रेलवे स्टेशन

२७४. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय में बहुत कम जगह है ;

(ख) यदि हां, तो वहां अधिक जगह की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) जनवरी, १९५५ में उस स्टेशन से चढ़ने वाले तथा उतरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ; इस स्टेशन पर इस समय जो १६ फीट लम्बा और १४ फीट चौड़ा प्रतीक्षालय भवन है वह आने-जाने वाले ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये काफी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनवरी, १९५५ में इस स्टेशन पर सब मिलाकर जितने यात्री गाड़ियों में चढ़े और उतरे उन की प्रतिदिन की औसत संख्या १९९९ थी। ऊंचे दर्जे के यात्रियों की संख्या केवल ३८ थी जो ८ से अधिक गाड़ियों से उतरे और इस तरह उन की औसत प्रति गाड़ी पांच से कम है।

चलता-डाकघर

२७५. श्री अमर सिंह डामर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन किन भागों में चलते डाकघर की योजना चालू की गई है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत जनता को क्या सुविधायें दी गई हैं ;

(ग) इस के काम के घंटे क्या हैं तथा इस योजना से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ; और

(घ) क्या इस योजना का और विस्तार करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चलते डाकघरों की योजना नागपुर मद्रास, तथा दिल्ली में चालू की गई है।

(ख) चलते डाक घरों द्वारा विलम्ब फीस के बिना, रात्रि हवाई-डाक व्यवसथा से सम्बन्ध पैदा करने के लिए डाक में पत्र

आदि को देर से छोड़ने की सुविधायें दी जातीं हैं। यह, डाक-घर की छुट्टियों को मिला कर सप्ताह के सब दिन काम करते हैं और इन में निम्न प्रकार का कारोबार किया जाता है :—

(१) बिना रजिस्ट्री वाली पत्र-डाक की वस्तुओं को स्वीकार करना।

(२) डाक से भेजने का सार्टिफिकेट देना।

(३) बिना रजिस्ट्री वाली पत्र-डाक की वस्तुओं का बुक करना।

(४) हवाई-पार्सलों का बुक करना, तथा

(५) डाक-टिकटों व डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री की बिक्री।

(ग) नागपुर . १८·२० से २३·१० तक
दिल्ली . १५·४० से २१·५७ तक
मद्रास . १६·१५ से २२·१० तक

इन के द्वारा उपकृत लोगों के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, परन्तु यह योजना बहुत प्रसिद्ध हो गई है। यह बात चलते डाकघरों के पड़ावों पर कारोबार के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों की लम्बी कतारों से स्पष्ट है।

(घ) आगामी छः महीनों में बम्बई और कलकत्ता में इस योजना का विस्तार करने का विचार है।

GIPND—N.S.H—696 L.S.D.—12-10-55—240

लोक सभा

वाद-विवाद

सोमवार,
१४ मार्च, १९५५

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड २, १९५५)

(१४ मार्च से ३१ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

नवम सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खण्ड २, अंक १६ से ३०——१४ मार्च से ३१ मार्च, १९५५)

अंक १६——सोमवार, १४ मार्च, १९५५	स्तम्भ
राजा त्रिभुवन का निधन	१४८१——८४
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक——संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	१४८४——१५७८
श्री जवाहरलाल नेहरू	१४८४——९८
श्री एन० सी० चटर्जी	१४९९——१५०५
श्री एच० एन० मुकर्जी	१५०६——१२
श्री अशोक मेहता .	१५१२——१८
श्री पाटस्कर . .	१५१८——४७
श्री फ्रैंक एन्थनी	१५४७——५२
डा० कृष्णस्वामी . .	१५५२——५९
श्री सी० सी० शाह . . .	१५५९——६७
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५६७——७८

अंक १७——मंगलवार, १५ मार्च, १९५५	
राज्य-सभा से संदेश . .	१५७९——८०
पटल पर रखा गया पत्र——	
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९५५, भाग १ .	१५८०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति——आठवां प्रतिवेदन——उपस्थापित	१५८०
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया	१५८०——१६८२
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५८१——८४
श्री गाडगिल .	१५८४——८९
श्री तुलसीदास	१५८९——९६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१५९६——९९
श्री वेंकटरामन	१५९९——१६०५
पण्डित ठाकुर दास भार्गव .	१६०५——१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१६१८——२२
श्री पुन्नूस	१६२२——२६

41 LS

स्तम्भ

श्री बी० एस० मूर्ति . . . . १६२६—२८
श्री पी० एन० राजभोज . . . . . . १६२८—३५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . . १६३५—५३
श्री बर्मन . . . . १६५३—५५
श्री एस० एन० दास . . . . . . १६५५—६१
श्री राघवाचारी . . . . १६६१—६३
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . १६६३—७९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . १६८२

अंक १८—बुधवार, १६ मार्च, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—
कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना १६८३
पटल पर रखे गये पत्र—
जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका . . १६८४
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना १६८४
राज्य सभा से सन्देश . . १६८४-८५
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया . . . १६८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेईसवां प्रतिवेदन
—उपस्थापित १६८५
गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य . . १६८५—८७
१९५५-५६ का सधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . . १६८७—१७७०

अंक १९—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . १७७१—७२
अनुपस्थिति की अनुमति . . १७७२—७३
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त १७७३—१८५६

अंक २०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५। स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पांडिचेरी में हड़ताल . . . . . . १८५७—६३

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १८६३—१९०१

गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . . १९०१—०२

भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—

(नई धारा १५क का रखा जाना)—विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत १९०२—३३

श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . १९०२—०५

श्री डी० सी० शर्मा . . . . १९०५—०९

श्री केशवैयंगार . . . . १९०९—१२

श्री साधन गुप्त . . . १९१२—१५

श्री आर० आर० शास्त्री . . १९१५—२४

डा० सत्यवादी . १९२५—२७

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १९२७—२८

श्री खंडूभाई देसाई . . . १९२८—३२

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ५ का संशोधन)—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त १९३३—४६

श्री यू० सी० पटनायक . . . १९३३—३९

श्री बोगावत . . . . . १९३९—४१

श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . १९४१—४६

श्री भागवत झा आज़ाद . १९४६

अंक २१—शनिवार, १९ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता पत्तन में हड़ताल . . १९४७—४९

पटल पर रखे गये पत्र—

खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ . . . १९४९

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . १९५०—२०७५

राज्य सभा से सन्देश . २०७५—७८

अंक २२—सोमवार, २१ मार्च, १९५५ — स्तम्भ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०७७
१९५५-५६ के लिये साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—समाप्त . . . . . . २०७७—२१२९
अत्यावश्यक पण्य विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २१२९—२१७५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . २१२९—३४, ३५
श्री अमजद अली . . २१३४—३५
श्री यू० एम० त्रिवेदी . . २१३५—३९
श्री वेंकटरामन् २१३९—४३
कुमारी एनी मैस्करीन . . . . २१४३—४५
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . २१४५—६२
श्री तुषार चटर्जी . . . . . २१६२—६४
डा० सुरेश चन्द्र . . . . . २१६४—६८
श्री राघवाचारी . . . . . २१६८—७०
श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . २१७०—७२
श्री कानूनगो . . . . . . २१७३—७५
खण्ड २ से ७क . . . . २१७५—९०

अंक २३—मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . . २१९१—९३
फ्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . . २१९३—९४
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २१९४—२२०२
खण्ड १ और ८ से १५ . . . . . . २१९४—२२०२
पारित करने का प्रस्ताव २२०२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी २२०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—
मांग संख्या ९९—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . २२०३—८८
मांग संख्या १००—संभरण . . . २२०३—४६
मांग संख्या १०१—अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . . २२०३—४६
मांग संख्या १०२—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . . २२०३—४६
मांग संख्या १०३—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २२०३—४६

	स्तम्भ
मांग संख्या १३६—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय .	२२०३—४६
मांग संख्या १३७—भवनों पर पूंजी व्यय . . .	२२०३—४६
मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२२०३—४६
मांग संख्या ६४—श्रम मंत्रालय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२२४५—८८
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफतर तथा पुनस्संस्थापन .	२२४५—८८
मांग संख्या ७३—असैनिक रक्षा .	२२४५—८८
मांग संख्या १२६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२४५—८८
कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	२२८७—६८

अंक २४—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गय पत्र—	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३७वें अधिवेशन में गये हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन . . .	२२९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	२२९९
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	२३००
सभा का कार्य . . .	२३००—०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२३०२—२४२०
मांग संख्या ६९—श्रम मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनर्संथापन.	२३०२—३६
मांग संख्या ७३—असैनिक रक्षा . .	२३०२—३६
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२३३६—२४२०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२३३६—२४२०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२३३६—२४२०

अंक २५—गुरुवार, २४ मार्च, १९५५ ।

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर की शुद्धि २४२१

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—

पुरःस्थापित . . २४२१—२२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— २४२२—२५५४

मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . २४२२—४०

मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . २४२२—४०

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २४२२—४०

मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय २४२२—४०

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय २४३९—२५५४

मांग संख्या ४२—वन २४३९—२५५४

मांग संख्या ४३—कृषि . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग

तथा अन्य व्यय . . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२३—खाद्य तजा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २४३९—२५५४

अंक २६—शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५ ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . २५५६—९६,२६१०-११,२६५९—६४

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . २५५६—६८

मांग संख्या ४२—वन . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४३—कृषि . . . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग

तथा अन्य व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २५५६—६८

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . . २५५६—६८

मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

स्तम्भ

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौ सेना २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायु बल २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पारित २५९७—२६१,०२६११—१६

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २६१६

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१६—१९
मूल्यों के असंतुलन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१९—२५
नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया . . . २६२५—६०

अंक २७—सोमवार, २८ मार्च, १९५५।

पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन २६६५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २६६५—६६
राज्य सभा से सन्देश . . . २६६६—६७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . २६६८—२७७६
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौ सेना . २६६८—२७७६
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुबल . २६६८—२७७६
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २६६८—२७७६
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . . २६६८—२७७६

अंक २८—मंगलवार, २९ मार्च, १९५५।

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . २७७७-७८
आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . २७७८
राज्य सभा से सन्देश . . . २७७८-७९
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . २७७९

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२७७९—२८९४
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें क्रियाकारी सेना . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	२७८१—२८००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें क्रियाकारी—वायु बल	२७८१—२८००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२७९९—२८९४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार घर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७९९—२८९४

अंक २९—बुधवार, ३० मार्च, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश	२८९५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— पच्चीसवां प्रतिवेदन —उपस्थापित	२८९५
९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२८९५—२९९८
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२८९५—२९१४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . .	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय .	२८९५—२९१४

स्तम्भ

मांग संख्या ४६—स्वास्थ्य मंत्रालय . . . . . २९१४—४७

मांग संख्या ४७—चिकित्सा सेवायें . . . . . २९१४—४७

मांग संख्या ४८—लोक स्वास्थ्य . . . . . २९१४—४७

मांग संख्या —स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . २९१४—४७

मांग संख्या १२४—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . २९१४—४७

मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . २९४७—९८

मांग संख्या ७७—भारतीय भू-परिमाप . . . २९४७—९८

मांग संख्या ७८—वानस्पतिक सर्वेक्षण . . २९४७—९८

मांग संख्या ७९—प्राणकीय सर्वेक्षण . २९४७—९८

मांग संख्या ८०—भूतत्वीय सर्वेक्षण . २९४७—९८

मांग संख्या ८१—खानें . . . २९४७—९८

मांग संख्या ८२—वैज्ञानिक गवेषण . . . . . २९४७—९८

मांग संख्या ८३—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . २९४७—९८

मांग संख्या १३०—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २९४७—९८

अंक ३०—गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . २९९९

राज्य सभा से सन्देश . . . . २९९९—३०००

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ३०००

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ३०००-०१

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३००१

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . ३००१-०२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या २१—आदिम जाति क्षेत्र . ३००१—८२,३०८२—३१००

मांग संख्या २२—वैदेशिक कार्य . . ३००१—८२,३०८२—३१००

मांग संख्या २३—पांडिचेरी राज्य . . ३००१—८२,३०८२—३१००

मांग संख्या २४—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ३००१—८२,३०८२—३१००

मांग संख्या ११३—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक— ३००१—८२,३०८२—३१००

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ३०८२

GIPD—HS—41 LSL—13-8-55—240

लोक सभा

सोमवार, १४ मार्च, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्यान्ह

राजा त्रिभुवन का निधन

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री और सभा नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कल सायंकाल हुई दुखद घटना के बारे में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं। वह घटना नेपाल के नरेश की स्विटज़रलैंड के ज्यूरिच नगर में हुई निधन की घटना थी, जहां वह चिकित्सा के लिये गये हुये थे । दुर्भाग्यवश उस चिकित्सा का अन्त उनके निधन में हुआ ।

नेपाल राज्य से सम्बन्धित किसी घटना में हमें स्वाभाविक रूचि है क्योंकि हम उससे मैत्रीपूर्ण बन्धन से बंधे हुये हैं । गत कुछ वर्षों में वहां हुई घटनाओं के कारण में इस विशिष्ट घटना से बहुत अधिक धक्का लगा है । मुझे आशा है कि इस सभा में कितने ही व्यक्तियों को उन असाधारण घटनाओं का स्मरण है जिनके कारण १०० वर्ष की पुरानी शासन प्रथा के बाद एक नया परिवर्तन नेपाल में हुआ था । दिवंगत नरेश एक असाधारण प्रकार के शासक थे । उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे । सारे अधिकार दूसरे व्यक्तियों में केन्द्रित थे । दूसरी बात यह थी कि यह नरेश उदार आन्दोलन के नेता थे, जो नरेशों के लिये एक असाधारण बात थी । परिणामस्वरूप उन्हें काठमांडू में हमारे दूतावास में शरण लेनी पड़ी और बाद में वे दिल्ली में हमारे अतिथि के रूप में कई महीने यहां रहे । सौभाग्यवश, नेपाल के नेतागण बुद्धिमान थे और किसी हद तक हमने उन्हें परामर्श भी दिया और उन्होंने एक समझौता किया । वह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी कि क्रांतिकारी प्रकार का ऐसा परिवर्तन इस प्रकार समझौते से शान्तिपूर्ण ढंग में किया गया । यह स्पष्ट था कि वह नेपाल की समस्याओं का स्थायी हल नहीं था ।

हमें स्मरण है कि नेपाल एका एकी ही वास्तव में एक स्वतन्त्र देश बनगया, जो कि वह भारत में ब्रिटिश शासन काल में नहीं था यद्यपि उसे ऐसा कहा जाता था । जनता को पर्याप्त लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी किन्तु उस स्वतन्त्रता को कार्यान्वित करने के लिये उसके पास साधन या मशीनरी नहीं थी । उनके सामने अनेक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कठिनाइयां थीं । किन्तु दिवंगत नरेश ने जनता को शान्त करने और उसमें एकता लाने का प्रयत्न करने में अपने प्राधिकार का बुद्धिमानी से उपयोग किया ।

गत कुछ वर्षों में नेपाल इस क्रांतिकारी युग से गुज़रा है और वह एक संकटकाल रहा है । गत दो महीनों से दिवंगत नरेश ने अपने राजकुमार को उसकी ओर से कार्य करने के लिये सम्पूर्ण अधिकार दे दिये थे क्योंकि वह स्वयं स्विट्ज़रलैंड में थे । वह राजकुमार, जो अब नरेश हैं और जो अगले कुछ घंटों में काठमांडू में औपचारिक रूप से नरेश घोषित कर दिये जायेंगे, एक शक्तिशाली और स्थिर सरकार बनाने के प्रयत्न में उस प्राधिकार का प्रयोग कर रहे हैं । पुराने और नये दोनों नरेशों ने नेपाल में लोकतन्त्रीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की इच्छा प्रकट की थी और मुझे इसमें सन्देह नहीं कि नये नरेश उस इच्छा पर दृढ़ रहेंगे और उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे ।

अतः मुझे विश्वास है कि यह सभा दिवंगत नरेश त्रिभुवन वीर विक्रमशाह के निधन पर शोक प्रकट करेगी और साथ ही नये नरेश महेन्द्र वीर विक्रमशाह को बधाइयां देगी और कठिन दायित्व और बोझ उठाने में उन्हें सफलता प्राप्त कराने के लिये अपनी शुभकामना भेजेगी । साथ ही हम नेपाल की जनता को लोकतन्त्रीय और समृद्धशाली आधार पर अपने देश के निर्माण के महान् कार्य को करने के लिये भी अपनी शुभकामनायें भेजते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन की ओर से उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करता हूं जो माननीय सभा नेता द्वारा कही गई हैं । हम नेपाल के नये सम्राट् तथा वहां की जनता को अपनी शुभेच्छायें भेजते हैं । दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये सदन एक मिनट तक मौन खड़ा रहेगा ।

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को सदनों के ४५ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में ३० सदस्य इस सभा के हों, अर्थात् : श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री सत्य नारायण सिंह, श्री घमण्डी लाल बंसल, श्री चिमन लाल चाकू भाई शाह, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्रीमती बी० खोंगमेन, श्री दिग्विजय नारायण सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, श्री दिवान चन्द शर्मा, श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, श्री अहमद मुहीउद्दीन, श्री राधेलाल व्यास, श्री वासुदेव किरोलिकर, श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, श्री टी० संगण्णा, श्री कोथा रघुरामैया, श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम्, श्री आर० वेंकटरामन्, श्री सी० पी० मात्तन, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री जयपाल सिंह, श्री उमाचरण पटनायक, श्री शंकर शांता राम मोरे, श्री अमजद अली, श्री अशोक मेहता, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री कमलकुमार बसु और प्रस्तावक और १५ सदस्य राज्य सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को ३१ मार्च १९५५ तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष उनमें करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति म सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिये नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

संविधान में संशोधन करना कोई सरल बात नहीं होती। इस प्रयोजन के लिये स्वयं संविधान में एक जटिल प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि संविधान के संशोधन को साधारण नहीं समझा जा सकता।

कुछ लोगों ने कहा है कि संविधान को एक पवित्र अपरिवर्तनीय प्रलेख समझना चाहिये किन्तु स्वयं इन्हीं लोगों ने इस में परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं। दूसरें शब्दों में, यदि परिवर्तन उन के इच्छानुसार हों, तो इसे संशोधित किया जा सकता है, यदि नहीं, तो यह एक पवित्र प्रलेख बन जाता है, जिसे छूना भी नहीं चाहिये।

स्पष्ट है कि संविधान को बार बार संशोधित नहीं किया जा सकता। ऐसा तभी करना चाहिये जब कि यह आवश्यक हो जाये। अतः यह कहना कि इस में परिवर्तन न किया जाये, क्योंकि यह संविधान है, निरर्थक है।

हमारे संविधान को बने पांच वर्ष हो चुके हैं और यह देश के बहुत से नेताओं के परिश्रम का फल है। उन में से कुछ तो इस सदन में उपस्थित हैं। कुछ स्वर्गवास हो चुके हैं। अतः संविधान का आदर करना हमारा कर्तव्य है। तथापि यह याद रखना चाहिये कि चाहे संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, कुछ समय के बाद इस में त्रुटियां प्रकट होने लगती हैं और इन्हें दूर करने के लिये परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। ये त्रुटियां प्रारूपण सम्बन्धी भी हो सकती हैं, जो कि साधारण होती है और बड़ी भी हो सकती हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्तमान प्रस्तावित संशोधन के अतिरिक्त, हमारा अन्य संशोधन भी करने का विचार है, जो कि सिद्धान्त की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है किन्तु हम समझते हैं कि उन के द्वारा संविधान को क्रियान्वित करनें में अधिक सुविधा होगी।

आखिर संविधान का उद्देश्य यह है कि सरकार का काम और प्रशासनीय तथा अन्य संगठनों का काम आसानी से हो सके। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि बदलते हुये विश्व में स्थिर रह सके। यह एक परिवर्तनशील चीज़ है और इसके निर्माण में आधुनिक समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। साथ ही इस में बहुत से ऐसे संरक्षण हैं, जिनके कारण जल्दबाजी की कार्यवाही को रोका जा सकता है। अतः, अब इसमें संशोधन करने के प्रस्ताव की आलोचना इस के गुणावगुण के आधार पर ही की जा सकती है और करनी चाहिये। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि इस में संशोधन होना ही नहीं चाहिये।

विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि इस संशोधन विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित करना चाहिये। यह बात ठीक है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले में संसद् को जल्दबाजी नहीं करनी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

चाहिये और जनता को इस पर विचार करने का पूरा अवसर देना चाहिये । मेरा निवेदन है कि जनता को पूरा अवसर दिया जा चुका है । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मंत्रिमंडल और इस की समितियां और उपसमितियां कई मासों से इस पर परिश्रम करती रही हैं, यद्यपि उन का यह परिश्रम जनता के सामने नहीं आया । हम ने राज्य सरकारों से परामर्श किया है और सरकारी क्षेत्र से बाहर के लोगों से परामर्श किया है । हम ने कई मसविदे नाये थे और इन्हें बार बार बदला गया था और ज यह सदन के सामने रखा गया था, यह लोगों के हाथ में था । इसे समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया था और कई महीनों तक यह देश के सामने रहा है । वास्तव में इस अवधि में हमें इस के सम्बन्ध में वैधानिक तथा अन्य प्रकार की आलोचनायें और टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिन पर हमने विचार किया है और अब भी कर रहे हैं । इन तर्कों में कुछ बातें ऐसी हैं, जो विचारणीय हैं और मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इन सुझावों की जांच करेगी और देखेगी कि ये अपनाने योग्य हैं या नहीं । इस संशोधन या संविधान के उपबन्धों के बारे में हमारे कुछ दृढ़ विचार हैं । किन्तु मुझे आशा है कि मुख्य सिद्धांतों को कायम रखते हुये, यदि किसी सुझाव के द्वारा प्रारूप में कुछ सुधार होता हो, तो प्रवर समिति अवश्य उसे अपनायेगी ।

ये संशोधन किन चीजों के बारे में हैं ? इन का सम्बन्ध संसद् की शक्ति और अधिकार से है अर्थात् न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षण या संरक्षण और अन्य प्रतिकूल निर्णयों के बिना यह शक्ति संसद् किस हद तक प्रयोग कर सकती है। इस संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि देश की न्यायपालिका स्वतन्त्र और शक्तिशाली होनी चाहिये । न्यायपालिका का सम्मान करना हमारी नीति और इस के अधिकारों की अवहेलना करने, बदलने, सीमित करने या कम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । यह बात समझ लेनी चाहिये कि हम न्यायपालिका के उच्च न्यायालयों के या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं और इन का अनुसरण करते हैं । किन्तु दूसरी ओर मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका बड़े बड़े राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या अन्य प्रश्नों का निर्णय नहीं करती । यह काम संसद् का है । हो सकता है कि इस बात का निर्णय करते हुये कि संसद् का एक अधिनियम किस हद तक संविधान के उपबन्धों के अनुकूल है, न्यायपालिका परोक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में राय देगी । कुछ देशों में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्वचनों द्वारा संविधान के उपबन्धों को विशाल बना दिया है । यह उन्हें सीमित भी कर सकती है । यह सत्य है किन्तु इस बात का निश्चय करने का अन्तिम अधिकार कि देश की राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक विधि क्या होनी चाहिये संसद् और केवल संसद् को है । यह न्यायपालिका का काम नहीं है ।

न्यायपालिका द्वारा संविधान के निर्वचन को स्वीकार करते हुये, हम यह समझते हैं कि यह उस सामाजिक या आर्थिक नीति के अनुकूल नहीं है, जिसका देश को अनुसरण करना चाहिये ।

अब बात यह है कि बहुत से लोगों की, जिन्होंने स्वयं संविधान सभा में संविधान के निर्माण में भाग लिया था, इस के उपबन्धों के बारे में अपनी रायें हैं । इस अनुच्छेद को प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और मैं ने काफी स्पष्ट रूप से इस का

अभिप्राय बताया था । संविधान के बड़े भारी पंडित श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर तथा मेरे सहयोगी इस पर बोले थे और हम ने जो अनुच्छेद रखा था, उन्होंने उस का एक विशेष अर्थ बताया था । इस लिये कोई भी उन अनुच्छेदों के प्रस्तावकों का अभिप्राय और संविधान सभा का अभिप्राय बड़ी आसानी से समझ सकता है । किन्तु हमें अब इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों ने इन अनुच्छेदों का निर्वचन भिन्न प्रकार से किया है, जो कि स्वयं प्रस्तावकों के अभिप्राय के ही प्रतिकूल है, तो उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है । हम यह नहीं कह सकते कि उन्हें हमारे पुराने भाषणों की ओर निर्देश करना चाहिये । इस का अर्थ केवल यह है कि हम ने उन अनुच्छेदों को ठीक तरह प्रारूपित नहीं किया था और उन की ठीक ठीक व्याख्या नहीं की थी । अतः अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये प्रारूप और भाषा में संशोधन करने के लिये हमें सदन के सामने आना पड़ा है । किन्तु इस बात पर ध्यान न देते हुये कि उस समय हमारा क्या अभिप्राय था, हमें वर्तमान स्थिति पर पिछले पांच या ६ वर्षों के अनुभव के आधार पर ध्यान देना चाहिये ।

एक बार पहले भी हमें इस सदन में संविधान के संशोधन के लिये जो कि लगभग इन्हीं अनुच्छेदों के बारे में था, प्रस्ताव करना पड़ा था और ऐसा करने का कारण यह था कि न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों के कुछ निर्वचनों और निर्णयों के कारण सरकार और संसद् की आधारभूत नीति को क्रियान्वित करने में बहुत विलम्ब हो रहा था । यह नीति भूमि सुधार, ज़मींदारी सुधार के सम्बन्ध में थी । सदन के लगभग सभी सदस्य और देश का बहुमत इस बात को मानता था कि भूमि सुधार देश के लिये अत्यावश्यक है और इस में पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है । बहुत से राज्यों ने राज्य विधान मंडलों ने भूमि सुधार के बारे में अधिनियम पारित किये थे ।

तत्पश्चात् बहुत कुछ विलम्ब हुआ, निषेधाज्ञायें इत्यादि प्राप्त की गईं । वकीलों द्वारा किये जाने वाले सभी प्रकार के यत्न किये गये । इस प्रकार विलम्ब बढ़ता ही गया । यह एक विचित्र सी बात है । निर्वाचित विधान मण्डलों द्वारा उस कार्यक्रम की अभिपूर्ति की जा रही है जिसकी घोषणा वर्षों से की जा रही थी और सभी को इसका ज्ञान था । किन्तु वैधानिक त्रुटियों के आधार पर इस कार्यक्रम को वर्ष प्रति वर्ष रोके रखा गया है । अतः संसद् द्वारा संविधान में कुछ एक संशोधन पारित किये गये जिस से यह ज़मींदारी सम्बन्धी विधान पारित करने में कुछ सुभीता अवश्य हुआ । इस के एक परिच्छेद की समाप्ति हो गई यद्यपि वकील लोगों की होशियारी से यह विषय उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में भी उठाया जाता रहा जिसका उद्देश्य विलम्ब करना था । किन्तु फिर अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो गईं । और होने की सम्भावना है । शोलापुर मिल्ज़ का मामला हमारे सामने आ चुका है । वहां अधिग्रहण का प्रश्न नहीं था वरन केवल कुछ समय के लिये सरकार उसे अपने अधिकार में ले लेना चाहती थी, क्योंकि वहां बहुत कुछ शरारत चल रही थी, जिसके बारे में न्यायालय में भी जांच हो रही थी । हमें तनिक भी सन्देह नहीं था कि यहां किसी प्रतिकर का प्रश्न उठता है । किन्तु न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यहां भी प्रतिकर सम्बन्धी खंड लागू होता है, और हमें इस निर्णय के सामने नतमस्तक होना पड़ा । इन कारणों से आवश्यक कार्यवाही में विलम्ब हुआ । हमें यह भी प्रतीत हुआ कि यदि इस विषय का

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

स्पष्टीकरण न किया गया तो हमें इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना बार बार करना होगा।

जो संशोधन में सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उन का उद्देश्य इस विषय का पूर्णतया स्पष्टीकरण करना है, जिस से इस संसद् के निर्णयों को न्यायालयों में चुनौती न दी जा सके।

यह संशोधन क्या हैं ? मुख्यतः इन म संसद् के प्राधिकार का वर्णन किया गया है। हो सकता है कि कुछ लोग इन से यह निष्कष निकालना चाहें कि सरकार सम्पत्तियों की ज़ब्ती करने जा रही है, किन्तु इन में ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न तो वास्तव में प्रतिकर के रूप और परिमाण का है। जब हम ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद को पारित किया था तो मेरा यह विचार था कि हमन पूणतया स्पष्ट कर दिया है कि संसद् या तो प्रतिकर का परिमाण या तत्सम्बन्धी नियम निर्धारित कर देगी और उसके बाद कोई उसके निर्णय को चुनौती न दे सकेगा। किन्तु इस पर भी चुनौती दी गई है और सक्रियात्मक रूप से चुनौती दी गई है। अतः अब प्रश्न यही है कि कितना प्रतिकर दिया जाये और यह किस के द्वारा निश्चित किया जाये। जहां तक अनुच्छेद ३१ का सम्बन्ध ह हम केवल उसी बात को फिर से दुहरा रहे हैं यद्यपि अधिक यथार्थ और स्पष्ट भाषा में। पहले केवल यह कहा गया था कि प्रतिकर दिया जायगा किन्तु उसके परिमाण के बारे म संसद् निर्णय करेगी अथवा नियम बनायेगी किन्तु हमने एक विभेद किया था, अर्थात् उस अवस्था में जब अधिग्रहण न किया जाये। एक ओर तो अनिवार्य अधिग्रहण अथवा सरकार द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण है और दूसरी ओर विनियमनात्मक विधियों इत्यादि द्वारा किसी सम्पत्ति अधिकार में परिवर्तन या रूप भेद करने अथवा उसकी समाप्ति का प्रश्न है। हमारे विचार में यह विभेद पहले से था। जो भी हो, यह बात स्पष्ट नहीं है अन्यथा न्यायालय ऐसा निर्णय न देते, जैसा कि उन्होंने दिया है। अब हम उसे पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहते हैं। जहां तक सम्पत्ति के अर्जन का प्रश्न है, पुरानी विधि ही लागू है। जहां तक सम्पत्ति को बिना प्राप्त किये, रूपभेद करने वाले नियमों अथवा अधिकारों इत्यादि की समाप्ति का सम्बन्ध है, वे पृथक् आधार पर रखे जायेंगे। अनुच्छेद ३१ के सम्बन्ध में यही मुख्य बात है।

अनुच्छेद ३१-क के सम्बन्ध में प्रतिकर सम्बन्धी कई मामलों में संसद् का निर्णय सर्वोपरि होगा और न्यायपालिका उसके विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दे सकेगी। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करता हूं।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : अनुच्छेद ३१ क में प्रतिकर का कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बोलने का अवसर प्राप्त होने पर यह बात उठायें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अनुच्छेद ३१ के (क), (ख), (ग), (घ) इत्यादि मामलों के उल्लेख के बाद कहा गया है कि अनुच्छेद १३ में कुछ भी होते हुये अर्जन इत्यादि का उपबन्ध करने वाली कोई भी विधि इस आधार पर अवैध नहीं मानी जायेगी कि वह अनुच्छेद १४, अनुच्छेद १६ अथवा अनुच्छेद ३१ से असंगत है, अथवा वह उन अनुच्छेदों द्वारा दिये गये अधिकारों को छीन लेती है या उनका न्यूमन कर देती है। उसमें प्रतिकर का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि प्रतिकर का उल्लेख शीघ्र ही

कहीं और किया जायेगा । न्यायपालिका ने इस प्रसंग में बार बार अनुच्छेद १४, १९ और ३१ का उल्लेख किया है । हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो विधि संसद् अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई जाती है, वह केवल इस आधार पर संसद् अथवा उस विधान मंडल की शक्ति के परे नहीं समझी जायेगी । इसका यह अर्थ नहीं कि प्रतिकर नहीं दिया जायगा । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं उस स्थिति की भी कल्पना कर सकता हूं, जहां एक गंदी बस्ती के लिये प्रतिकर देना आवश्यक नहीं है । मेरे विचार में वह व्यक्ति जो कि गन्दी बस्ती का मालिक है अथवा वह राज्य जो कि ऐसी चीज़ें रहने देता है, एक अपराध करता है । किन्तु यह एक दूसरा मामला है । इस विशिष्ट मामले के अतिरिक्त सामान्य बात यह है कि इन सारे मामलों में प्रतिकर संविधान के अनुसार और हमारी सामान्य प्रथा के अनुसार दिये जायेंगे ।

प्रतिकर दो प्रकार के हैं । एक प्रतिकर वह है जो किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष काम के लिये ली गई उसकी निजी सम्पत्ति के बदले में दिया जाता है । किन्तु ऐसे प्रतिकर का आधार समाज सुधार अथवा समाज निर्माण सम्बन्धी किसी सामाजिक योजना से भिन्न है जैसा कि ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन का मामला है । यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सम्पूर्ण पद्धति के परिवर्तन का है । आप कुछ अन्य भूमि सम्बन्धी विधियां बना सकते हैं, और आप, जैसा कि इसमें सुझाव दिया गया है, भूस्वत्वों की अन्तिम सीमा निर्धारित कर सकते हैं । भूमि अर्जन के ये सारे मामले व्यक्तिगत नहीं हैं । भूमि के सामान्य अर्जन के सम्बन्ध में सामान्य विधियां प्रचलित हैं और पूरा प्रतिकर दिया जाता है, किन्तु यदि इससे सामाजिक क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिये भिन्न रूप से उपबन्ध कर दिया गया है । हमारा उद्देश्य, जैसा कि हम ने बार बार कहा है, सामाजिक ढांचे को बदलना है, अतः पूरा प्रतिकर देने की बात ही सोची नहीं जा सकती । पहली बात तो यह है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते और दूसरे यदि हम इसके योग्य भी हों, तब भी ऐसा करना अनुचित होगा, क्योंकि इन सारे मामलों तथा विधियों इत्यादि का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक ढांचे को बदलना है । उस बदले हुये ढांचे में सबसे बड़ी बात यह होगी कि धनाढ्य और धनहीन के बीच आज जो महान् अन्तर है, वह दूर हो जायेगा । पूरा प्रतिकर देने का अर्थ यह होगा कि धनाढ्य धनाढ्य ही बने रहें और धनहीन धनहीन ही । पूरा प्रतिकर देने से समाज के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आता । अतः समाज निर्माण सम्बन्धी किसी योजना में यह बात अलग है कि हम प्रतिकर देने के योग्य नहीं हैं--हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि पूरा प्रतिकर दिया जा सके ।

कुछ हमारे मित्रों ने, जो कि यह समझते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में कोई प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिये, बिना कोई प्रतिकर दिये हुये सम्पत्ति लेने की बात कही है । हम इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारी दृष्टि में यह व्यवहारिक प्रस्थापना नहीं है । मैं लाभों का विवेचना नहीं करता, क्योंकि लाभ तो इसके अनेक गिनाये जा सकते हैं । मैं इस प्रस्थापना को सही अथवा व्यवहारिक नहीं मानता । हम प्रतिकर देना चाहते हैं और हम ऐसा निश्चय भी करते हैं, जैसा कि हम करते आये हैं । किन्तु प्रतिकर के लिये कोई गंवारू कसौटी, अर्थात् कि सम्पत्ति के बाज़ार मूल्य के अनुसार ही प्रतिकर देना चाहिये--नहीं बनाई जा सकती । सम्पूर्ण भारत को एक राज्य के रूप में सोचने पर प्रतिकर का निश्चय करने के

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

लिये हम सम्पत्ति के प्रकार पर ध्यान नहीं देना है, अपितु उसका पुराना इतिहास तथा उसके सामाजिक परिणामों को देखना है। उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की सम्पत्ति छीनी जाय, अथवा किसी के दिल पर चोट पहुंचाई जाये, अपितु हम चाहते हैं कि किसी समूह अथवा वर्ग को कम से कम नुकसान पहुंचाये हुये अधिकतम लोगों के लाभार्थ सामाजिक परिवर्तन किया जाये।

अतः, इस मामले में जहां कि हमें राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक इन सभी पहलुओं पर विचार करना है, मेरा निवेदन है कि न्यायपालिका सक्षम प्राधिकार नहीं है। न्यायपालिका केवल इस बात का निर्णय कर सकती है कि प्रतिकर किसी वस्तु का बाजार मूल्य है अथवा नहीं। इसका निर्णय करने के लिये न्यायपालिका संसद् से अधिक सक्षम है, किन्तु जहां सामाजिक और आर्थिक नीतियों का सवाल आता है, वहां संसद् अथवा राज्य ही उनके बारे में विचार कर सकता है, न्यायपालिका पर इसका भार डालना अनुचित होगा। आप देखेंगे कि यह बात संसद् और राज्य विधान मंडलों दोनों के साथ लागू होती है। किन्तु राज्य विधान मंडलों के सम्बन्ध में एक परित्राण खंड है:

> "परन्तु जहां ऐसी विधि राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहां उसके उपबन्ध उस समय तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि पर, जो कि राष्ट्रपति के विचार हेतु रक्षित रखी गई है, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती है।"

मैं सभा का ध्यान एक ऐसी बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस पर संसद् में अथवा देश में पर्याप्त रूप से प्रकाश नहीं डाला गया है। हम विधि न्यायालयों में मूल अधिकारों के सम्बन्ध में बहुत जोर देते अथवा तर्क करते हैं। यह ठीक है, किन्तु इनके साथ साथ संविधान के निदेशक तत्व भी हैं। यद्यपि मुझे उनको दोहराना पड़ेगा, किन्तु फिर भी मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं:

> "इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।
>
> राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।
>
> राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से——
>
> (क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;
>
> (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;
>
> (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो।"

जिसका तात्पर्य है कि नर और नारी दोनों को बराबर काम मिले, बराबर वेतन

मिले, बच्चों तथा युवकों का शोषण न हो और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो। संविधान ने देश के शासन के लिये इन मूलभूत सिद्धान्तों को रखा है।

मैं चाहता हूं कि सभा इस पर विचार करे कि उच्चतम न्यायालय के इन फैसलों के रहते हुये इन सिद्धान्तों को कार्यान्वित किस प्रकार किया जा सकेगा। आप उनको व्यवहार रूप में नहीं ला सकते। यह कहा जा सकता है कि संविधान के सम्बन्ध में हमें उच्चतम न्यायालय की व्याख्या माननी चाहिये। व्याख्या करने में न्यायालय हम से अधिक बुद्धिमान है। किन्तु मैं कहता हूं, कि यदि यह सही है तो संविधान के मूल अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक तत्वों में स्वाभाविक विरोधाभाष है ; अतः केवल संसद् ही इस विरोधाभाष को दूर कर सकता है और मूल अधिकारों को राज्य नीति के निदेशक तत्वों का सहायक बना सकता है।

अतः, इन मामलों का अग्रेतर विस्तृत विवेचन न करते हुये, मैं सभा से इस विधेयक की सिफारिश करता हूं। अनुच्छेद ३०५ और नवीं अनुसूची से सम्बन्धित अन्य संशोधन भी लगभग इसी प्रकार के हैं। मैं उनकी विस्तृत विवेचना नहीं करना चाहता। मुख्य उद्देश्य तो इस विरोधाभाष को ही दूर करना है, जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिणामस्वरूप मूल अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक तत्वों के बीच उत्पन्न हो गया है। संविधान में अनुरूपता लाने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो गया है। मैं फिर कहता हूं कि ऐसा करने में हमारा तात्पर्य प्रतिकर न देने तथा सम्पत्ति को बिना, प्रतिकर के ले लेने से नहीं है। किन्तु, प्रथमतः प्रतिकर का निश्चय राज्य द्वारा अथवा राज्य जिन नियमों का उपबन्ध करे उनके द्वारा ही होना चाहिये।

द्वितीय, हम अर्जन और पुनर्अर्जन तथा कुछ अधिकारों की समाप्ति में भेद करते हैं। दोनों में भेद है। तृतीय, हम विशिष्ट रूप से कुछ ऐसे मामलों का उपबन्ध करते हैं, जिन में से कुछ का सम्बन्ध भूमि सुधार से है, कुछ का सम्बन्ध शरणार्थियों के पुनर्वास और उनकी सहायता से है और कुछ का सम्बन्ध गन्दी गलियों तथा खाली स्थानों से है। ये सब सामाजिक मामले हैं। हम इसको पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः उस दशा में जबकि एक बार यह परिभाषा दे दी गई कि संसद् ही इसका निर्णायक होगा कि किस रूप में तथा कितनी मात्रा में प्रतिकर दिया जाये, इस लम्बी सूची को देना आवश्यक न था। किन्तु इस उद्देश्य से कि पूरा पूरा विश्वास हो जाये और भविष्य में ऐसी कोई अन्य व्याख्या न निकाल ली जाये जिससे और कठिनाइयां पैदा हों हम ने उस लम्बी सूची को दिया है। मेरे दृष्टिकोण में, यह आवश्यक तो नहीं है किन्तु पूरा पूरा विश्वास देना तथा किसी ऐसी वैसी बात के उठने के लिये अवसर न देना अधिक अच्छा है। अतः, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक उस संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये, जिसका अभी मैंने नाम लिया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये दस घंटे नियत हुये हैं। इतने समय में चर्चा समाप्त हो जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यह एक, अभिसमय है कि संयुक्त समिति के सदस्यों को बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिये। किन्तु यहां पर मैं इस अभिसमय को शिथिल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को संयुक्त समिति में लेना चाहता हूं और यदि उस अभिसमय को शिथिल नहीं किया गया तो उन सदस्यों को इस महत्वपूर्ण विषय

[अध्यक्ष महोदय]

पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल सकेगा। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने के लिये आधा घंटा नियत करता हूं।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। एक संशोधन श्री देशपांडे और श्री चटर्जी के नाम में है। मैं समझता हूं कि वे इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री पोकर साहिब का संशोधन भी लगभग इसी आशय का है, अतः उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"विधेयक पर १ जुलाई, १९५५ तक मत जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): जिस प्रकार से संविधान में समय समय पर परिवर्तन किये जा रहे हैं इस से देश भर में क्षोभ और चिन्ता की भावना फैल रही है। यह कुछ अच्छी बात नहीं है। यह एक आश्चर्य की बात है कि भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में चौथा संविधान (संशोधन) विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक द्वारा संविधान के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग, अर्थात् अनुच्छेद ३१, में संशोधन किया जा रहा है। मैं अपने उत्तरदायित्व का पूर्णतः ध्यान रखते हुये यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा निजी सम्पत्ति का गौरव ही समाप्त हो जायगा। संविधान में यह मूल अधिकार अकारण नहीं रखा गया था। संविधान कोई साधारण प्रकार की विधि नहीं है। इस विधि के पारित हो जाने के उपरान्त भारत के सभी विधान मण्डलों को यह अधिकार प्राप्त हो जायगा कि वे निजी सम्पत्ति को हरण के हेतु विधियां बना सकें। हमें गम्भीरता के साथ सोचना होगा कि क्या उन्हें इस प्रकार का व्यापक अधिकार दे देना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, कि जिस से वह लोग बिना प्रतिकर दिये निजी सम्पत्ति का हरण कर सकें।

उच्चतम न्यायालय ने इन मूल अधिकारों के क्षेत्र, अभिप्राय तथा उद्देश्य का भली भांति स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने जतलाया है कि इनका दुहरा प्रयोजन है। पहला प्रयोजन तो यह था कि भारत के नागरिकों को कुछ मूल-मानव-स्वातन्त्र्य प्राप्त रहेंगे जिन में संसार की कोई शक्ति हस्तक्षेप न कर सकेगी। दूसरे, भारत के संविधान की जिस पर हमें गर्व है, शान यह है कि इस में न केवल मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं, बल्कि उच्चतम न्यायालय को निदेश दिया गया है कि वह इन अधिकारों का संरक्षक होगा और इन्हें लागू करने के लिये कोई भी आदेश या निदेश जारी कर सकेगा। इस विषय में हमारा संविधान विश्व के अन्य संविधानों से एक क़दम आगे है। इस में उपचार का अधिकार दिया गया है और यह अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार माना गया है। अब हम देख रहे हैं कि इन मूल अधिकारों को घटाया जा रहा है।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में शुरू में ही दो गलत बयानियां हैं। पहली गलत बयानी यह है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद ३१ के खंड १ और २ में अन्तर की ओर ध्यान नहीं दिया। मेरे विचार में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की इस प्रकार आलोचना करना उचित नहीं

है । उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है ? इस ने कहा है कि इन दो खंडों को एक साथ पढ़ना चाहिये और एक दूसरे से अलग नहीं ।

शोलापुर के दूसरे मामले में महा न्याय-वादी ने उच्चतम न्यायालय के सामने यह तर्क दिया था कि राज्य ने कम्पनी की सम्पत्ति को अर्जित नहीं किया, कम्पनी अ भी स्वामी है, अतः अर्जन का और प्रतिकर देने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि आप उच्च न्याया-लय के निर्णय को ध्यान से पढ़ें, तो आप को मालूम होगा कि उस ने क्या कहा है । उस ने कहा है कि आप कम्पनी को सम्पत्ति से और सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं । इस निर्णय के अनुसार इन दो खंडों को एक साथ पढ़ना चाहिये । और यह धारणा बना लेना असम्भव है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं का अभिप्राय यह था कि किसी राज्य या विधान मंडल को सम्पत्ति से और सम्पत्ति का उपभोग करने के अधिकारों से वंचित करने का अधिकार दिया जाये और फिर कहा जाये कि कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा यह स्वामित्व-हरण या जब्ती के बराबर है इस मामले में न्यायाधीशों ने कहा है कि राज्य उचित सामाजिक नियन्त्रण विधान की सीमाओं से आगे चला गया है और इस तरह उस ने कम्पनी के मूल अधि-कार का, जो कि संविधान के अनुच्छेद ३१(२) के अन्तर्गत संरक्षित है, उल्लंघन किया है । उन्होंने कहा है कि केवल बाहरी रूप नहीं देखना चाहिये । आप का यह कहना काफी नहीं है कि मैं सम्पत्ति को अर्जित नहीं करूंगा । किन्तु यह कह कर आप वास्तव में इसे अर्जित कर लेते हैं और साथ ही स्वामी को प्रतिकर से वंचित कर देते हैं । आप अपने आप को लोगों के अधिकारों का संरक्षक समझते हैं और कहते हैं, किन्तु क्या ऐसा करना ठीक है ? उच्चतम न्यायालय का कहना है कि आप इस तरह संविधान को धोखा नहीं दे सकते और इस की भावना का उल्लंघन नहीं कर सकते । संविधान में कहा गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति की सम्पत्ति लेते हैं, तो उसे प्रतिकर अवश्य दें । आप 'जब्ती' का तरीक़ा नहीं अपना सकते । मैं दो उदाहरण देता हूं । मान लीजिये कि एक सिंचाई परियोजना में राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये किसी नदी का रुख बदलना पड़ता है किन्तु ऐसा करने से ५०० वर्ग मील कृषि योग्य भूमि पानी में डूब जाती है और बेकार हो जाती है । तो क्या आप इस भूमि के लिये प्रतिकर देंगे या नहीं ? यदि नहीं देंगे, क्योंकि यह प्रविधिक अर्जन नहीं है, तो आप संविधान का अनादर करेंगे और इस के साथ धोखा करेंगे । इसी तरह मान लीजिये एक हवाई प्रदर्शन में पांच विमान गिर जाते हैं और पांच मकान नष्ट हो जाते हैं । क्या राज्य इनके लिये प्रतिकर देगा या नहीं ? राज्य कह सकता है कि मैं ने आप की सम्पत्ति का अर्जन नहीं किया और आप से कुछ नहीं लिया, बल्कि आप के मकानों पर पांच टूटे हुये विमान रखे हैं । क्या यह उचित है ?

हम आज यह विधान बना रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को वस्तुतः उसकी सम्पत्ति से वंचित कर भी दिया जाये, जब तक कि इस का प्रविधिक अर्जन या प्रविधिक अधि-ग्रहण न हो, प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा । मेरा निवेदन है कि ऐसा करना उचित नहीं है । यह वस्तुतः मूल अधिकारों को घटाना है और इस के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिसकी मंजूरी संसद् को नहीं देनी चाहिये ।

उद्देश्यों तथा कारणों में एक और बात जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को गलत समझने पर आधारित है यह है :

[श्री एन० सी० चटर्जी]

"यदि यह विधि से किसी विनियम रूपी उपबन्ध द्वारा ही किया जाय और इस में सम्पत्ति का अर्जन नहीं होता और क़ब्जा नहीं लिया जाता, तो भी इन निर्णयों के अनुसार, विधि तब मान्य होती है जब अनुच्छेद के खंड (२) के अन्तर्गत प्रतिकर की व्यवस्था की जाए।"

यह ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इसके बिल्कुल विपरीत निर्णय दिया है। इसके निर्णयों को ठीक समझा नहीं गया। दक्षिण भारत में वकीलों का जो सम्मेलन हुआ था, उस में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री शास्त्री ने कहा था कि हम ने कभी यह नहीं कहा कि सम्पत्ति के अधिकार को कम करने से उस पर अनुच्छेद ३१ लागू होगा और अनिवार्य रूप से प्रतिकर देना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति श्री बोस ने अपने एक निर्णय में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि यदि किसी को सारभूत रूप से सम्पत्ति से वंचित किया जाये, तभी खंड (२) लागू होगा।

अतः मेरा निवेदन है कि उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य गलत है। यह कहना कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जब तक प्रतिकर न दिया जाये, सम्पत्ति के अधिकार को किसी तरह भी कम करना संविधान के प्रतिकूल और शक्ति परस्तात होगा इस के निर्णय को बिल्कुल गलत समझना है। सुबोध गोपाल बोस के केस में उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और पश्चिमी बंगाल अधिनियम को वैध ठहराया। बंगाल में जब कभी किसी भूमि का नीलाम होता था तो खरीदार खुद अधीनस्थ भूधारणाधिकारों को समाप्त कर सकता था। यह अधिकार हटा दिया गया। सुबोध गोपाल बोस ने एक नीलाम में मूल्यवान सम्पत्ति खरीदी थी। उसने यह दावा किया कि यह उपबन्ध अवैध है और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसका समर्थन किया परन्तु उच्चतम न्यायालय ने इसके प्रतिकूल निर्णय दिया और कहा कि यह उपबन्ध केवल विनियमन करने के लिये है।

मेरा विचार है कि किसी गलतफ़हमी के कारण यह विधान प्रस्तुत करवाया गया गया है।

संसद् को दो बातों का ध्यान रखना चाहिये। एक यह कि क्या आप संविधान में इस प्रकार संशोधन करना चाहते हैं कि निजी सम्पत्ति छीनने पर प्रतिकर का भुगतान राज्य के स्वविवेक पर निर्भर करे? दूसरा यह कि क्या आप प्रतिकर को इस प्रकार का बनाना चाहते हैं कि उसके बारे में न्याय न कियाजा सके।

अनुच्छेद ३८ न्याय के सम्बन्ध में है। एक निर्धन व्यक्ति को बिना कोई प्रतिकर दिये उसका सर्वस्व छीना जाता है इसका बहुत बुरा परिणाम होगा क्योंकि यह तो बिल्कुल अन्याय है।

बंगाल के ४० लाख शरणार्थियों में से २० लाख का भी अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है और पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की संख्या ३०० प्रतिशत तक बढ़ गई है। पूर्वी बंगाल का विभाजित प्रान्त इन लोगों को बसाने की क्षमता नहीं रखता। हम उनका पुनर्वास करना चाहते हैं पर आप बंगाल विधान मंडल को बिना प्रतिकर दिये भूमि छीनने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आप ने तो संसद् को यह शक्ति प्रदान कर रहे हैं और न ही स्वयं इसे प्राप्त कर रहे हैं। आप तो अनुच्छेद १३ का निरसन

कर रहे हैं । इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनायेगा जिस से मूल अधिकारों में कमी हो और यदि वह ऐसा करता है तो वह विधि अमान्य होगी । मान लो मेरे जिले में आप ४०,००० या ५०,००० शरणार्थी बसाना चाहते हैं । उसके लिये आप किसी का कारखाना अथवा किसी धनी व्यक्ति का मकान या किसी अंग्रेजी समवाय के कारखाने नहीं लेंगे । आप ५०० अथवा २०० वर्ग मील भूमि प्राप्त करेंगे जिस पर बेचारे ग्रामीण लोग बसे हुये होंगे । क्या आप पश्चिमी बंगाल विधान मंडल और सरकार को ऐसी विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिस से वह कोई प्रतिकर न दें अथवा जितना चाहें उतना प्रतिकर दें ? यह शक्ति कार्यपालिका को दी जा रही है जो प्रायः भ्रष्ट पाई जाती है । प्रधान मंत्री के यह कहने से क्या लाभ कि वह नहीं चाहते कि प्रतिकर न दिया जाये ।

अनुच्छेद १४ को लागू होने से रोका जा रहा है ।

यदि यह विधान बनाया जाता कि ५ या १० लाख रुपये की सम्पत्ति वाले को प्रतिकर नहीं दिया जायेगा तो इस पर विचार किया जा सकता था ।

मेरा विचार है कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने अमरीका के न्यायाधिपति होमज़ का अनुसरण किया है । किसी भी सभ्य देश में इस प्रकार की विधि नहीं है । यदि राज्य अपने उत्कृष्ट अधिकार की प्रभुता सम्पन्न शक्ति द्वारा सम्पत्ति लेना ही चाहता हो तो उसे प्रतिकर देना चाहिये । किसी की सम्पत्ति लूटना उचित नहीं है । इस विधेयक के पारित होने पर कोई व्यक्ति न्यायालय से निर्णय न मांग सकेगा और उसे कार्यपालिका पर ही निर्भर करना पड़ेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं प्रधान मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें इस बात को बड़ा महत्व दिया गया है कि संविधान में भारी परिवर्तन किये जाने चाहियें । मैं संविधान को बड़े आदर की दृष्टि से देखता हूं । इसमें कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है ।

यह संविधान उस समय के पश्चात् तैयार किया गया जब शक्ति का हस्तान्तरण हो रहा था और साथ ही देश का विभाजन हो रहा था । उस समय लोगों को जो कष्ट सहन करने पड़े उसका कारण यह था कि हम ने स्वतन्त्रता उस प्रकार प्राप्त नहीं की जैसे कि की जानी चाहिये । हम ने एक प्रकार का समझौता करके स्वतन्त्रता प्राप्त की जिसका हमारे संविधान पर भी प्रभाव पड़ा । उस प्रभाव को हमें बदलना है । संविधान को प्रख्यापत करने वाले सर्वप्रिय शक्तियों के दबाव से न बच सके और यही कारण है कि आज हमारे प्रधान मंत्री को कहना पड़ा कि राज्य नीति के निदेशन तत्व और मूल अधिकारों के अध्याय में अन्तर है ।

मैं श्री चटर्जी का भाषण सुन रहा था । उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों के क्षेत्र और प्रयोजन की व्याख्या की है और संसद् को इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिये । मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । मेरे विचार में श्री चटर्जी श्री न्यायाधिपति होमज़ के बारे में काफी कुछ जानते हैं । न्यायाधिपति होमज़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के बारे में निर्णय करना लोगों के प्रतिनिधियों का काम है और इसमें हस्तक्षेप करने का न्यायपालिका को कोई अधिकार नहीं है ।

हमें याद रखना चाहिये कि इंगलैंड में भी, जो कि हमारा आदर्श है, लोक-

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

तन्त्र के वर्तमान लाभ बड़ा संघर्ष करने के पश्चात् प्राप्त किये गये थे । वहां उत्पादन की मशीनों के स्वामी तब तक अपने स्वार्थ से चिपटे रहते हैं जब तक कि वे स्वार्थ पूरा नहीं कर लेते हैं । मेरा विचार है कि श्री चटर्जी इस स्थिति को भूले नहीं हैं ।

मैं भी प्रधान मंत्री की भांति यही कहना चाहता हूं कि संयुक्त समिति इस विषय की गम्भीरता पूर्वक जांच करे तथा अनुच्छेद १४, १९ और ३१ का मूलभूत पहलुओं की दृष्टि से विचार किया जाये ताकि जब यह सदन में पुनः प्रस्तुत हो तो इन सम्पत्ति अधिकारों के सम्बन्ध में ठोस कल्पना कर सके ।

हिन्दुस्तान टाइम्ज़ के एक संवाद के अनुसार कांग्रेसी सदस्यों को एक पत्रिका प्रचारित की गई है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि यह सारवान संशोधन न होकर केवल रूप से ही सम्बन्धित है । ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता । यदि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हों तो हमें यह कार्य समुचित ढंग से करना चाहिये । अतः मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद १४, १९ और ३१ में समाविष्ट सम्पत्ति के सम्पूर्ण विषय का गम्भीर परीक्षण करना चाहिये ।

मैं यह सब बातें किसी हठधर्मी व्यक्ति की भांति नही कह रहा हूं । हमारा मन्तव्य स्पष्ट है । हम ऐतिहासिक कूड़ा करकट दूर कर देने के पश्चात् समाजवादी ढंग पर निर्माण करना चाहते हैं । जनता की प्रसन्नता हमारे लिये उच्चतम विधि है और यही मापदण्ड हमारा आधार-स्थल है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रत्येक मामले में हमारा आधार स्वामित्व हरण नहीं है । यह मार्क्स का भी सिद्धान्त नहीं है । श्रीमान्, आप किसी भी विषय के दार्शनिक पहलू में रुचि लेते हैं अतः मैं यह बता दूं कि मार्क्स के अनुसार अभाव का अभाव ही गैर सरकारी सम्पत्ति को गैर-सरकारी व्यक्तियों को सौंप देने का कारण है । हमारी विचार धारा के अनुसार पूंजी-वादी की निजी सम्पत्ति ही आक्रमण का केन्द्र-बिन्दु है । मुझे उपनिषद के यह शब्द याद आते हैं कि :

ईशा वास्यमिदं सर्व——

यह सब ईश्वर से सम्बन्धित है । सब सम्पत्ति जनता की है । एक फ्रांसीसी दार्शनिक के शब्दों में सम्पूर्ण सम्पत्ति चोरी का ही दूसरा रूप है । महाभारत के शान्ति पर्व में लिखा है :

न छित्वा परममोसि, न कृत्वा कर्म दुष्करं ।
न हत्वा मत्स्यधानियं, प्राप्नोति महतीं श्रियम् ॥

अर्थात् दूसरों के हृदय को दुख पहुंचाये बिना धन अर्जन नहीं किया जा सकता : बिना दुष्कृत्य किये जिस प्रकार मछवाहा अपने शिकार को फांसता है उसी प्रकार लोगों की निर्मम हत्या किये बिना अतुल धन राशि नहीं कमाई जा सकती । यही कारण है कि शेक्सपियर के शब्दों में हम पूंजी संग्रह करने वालों को कुल्टा नारी के समान कह सकते हैं । हमें सुनहरे रंग के इन सिक्कों को नियन्त्रित करना है जो बुराई को भलाई में परिणित करने की क्षमता रखते हैं ।

हमें शोषण द्वारा धन प्राप्त करने की वैयक्तिक अहंकारी भावना को रोकना है । हम देखते हैं कि उत्पादक तत्व और पूंजी-वादी सम्बन्धों में सन्तुलन स्थापित न कर सकने के परिणामस्वरूप पूंजीवाद प्रजातन्त्र के शोषण का प्रयास करता है । इस प्रयत्न में असफल रहने पर समाजवाद की सृष्टि होती है । समाजवाद पके हुये फल की भांति

नहीं टपकता है। विजय स्वतः नहीं आती उसके लिये हाथों से प्रयत्न करना पड़ता है।

परन्तु इस 'राम राज्य' तथा 'समाजवादी ढंग के समाज' की ओर बड़े बड़े पूंजीपति आशापूर्ण नेत्रों से निहार रहे हैं। 'राम राज्य' की परिभाषा के अनुसार तो इसमें राजा और रंक दोनों प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं, परन्तु जनता तो वास्तवमें ऐसा राज्य चाहती है जिसमें कोई भी व्यक्ति निर्धन न हो। परन्तु पूंजीपति तो इस 'समाजवादी ढंगके समाज' से अत्यन्त प्रसन्न हैं, इसलिये तो वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मंडल की फेड्रेशन ने इस 'समाजवादी ढंग' का स्वागत किया है और प्रधान मंत्रीको इसके लिये बधाई भी दी है।

श्री एन० सी० चटर्जी ने अपने भाषण में यह आश्वासन दिया है कि वे निर्धनव्यक्तियों की हर प्रकार से सहायता करेंगे। हां, हो सकता है कि वे बहुत कुछ करें, परन्तु फिर भी उस निर्धन को भार मुक्त नहीं कर सकेंगे। आज इस संशोधन का, संगठित रूप से विरोध किया जा रहा है। इम्पीरियल बैंक को सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लेने के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है कि इसके अंश धारियों को, जहां तक हो सके, अधिक से अधिक प्रतिकर दिया जाये। अतः इसके विषय में हमें बड़ी ही सावधानी से कार्य करना होगा। आज जब कि हम इस पर गम्भीरता पूर्वक सोच विचार कर रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है कि हम सम्पत्ति को विभिन्न वर्गों में बांट लें और लोगों को स्पष्टतया बता दें कि अमुक अमुक वर्ग की सम्पत्ति के प्रति हमारा कैसा व्यवहार रहेगा। उदारहणार्थ भूतपूर्व राजाओं को दिये गये अधिकारों और सुविधाओं के विषय में यह संशोधन मौन है। परन्तु हमतो एक ऐसा सामाजिक विधान चाहते हैं जो कि राजाओं के हाथों में धन और सम्पत्ति को केन्द्रित होने से बचा सके।

फिर सम्पत्ति के कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिन्हें बिना प्रतिकर के ही सरकार अपने हाथ में ले सकती है। उदारहणार्थ भारत में ब्रिटिश पूंजी द्वारा चालये जाने वाले अनेक उपक्रम हैं जो कि कल्पनातीत लाभ उठा रहे हैं, और इस गम्भीर बात की ओर सभा में कई बार संकेत किये जा चुके हैं, परन्तु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे उपक्रमों को बिना किसी प्रकार का प्रतिकर दिये ही अपने हाथ में लिया जा सकता है।

जहां तक छोटे उद्योग पतियों का सम्बन्ध है, मैं श्री एन० सी० चटर्जी से सहमत हूं कि उन्हें कुछ न कुछ प्रतिकर अवश्य दिया जाय। परन्तु इस प्रतिकर के नाम पर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिये। उदारहणार्थ पूर्वी बंगाल से आये हुये शरणार्थियों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता देते समय सरकार उन पर आभार दिखाती हुई, उन्हें वहां के स्थानीय निवासियों के प्रति भड़का कर अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति कर रही है। और फिर स्थानीय निवासियों की सम्पत्ति छीन कर शरणार्थियों को दे दी जाती है और वे बेचारे निर्धन रोते रह जाते हैं। अतः हमें ऐसी बातों में बड़ी सावधानी से कार्य करना होगा।

पश्चिमी बंगाल में डी० वी० सी० अथवा म्यूराक्षी नामक परियोजनाओं के विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये लोगों से उनकी भूमि छीन ली गयी थी परन्तु उन्हें कोई पर्याप्त प्रतिकर नहीं दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति बनाई जाये। अतएव सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निश्चित वर्गीकरण किया जाये ताकि जनता को स्पष्टतः बताया जा सके कि अमुक सम्पत्ति

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

लिये प्रतिकर दिया जायगा और अमुक सम्पत्ति के लिये कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा। और जहां तक छोटे उद्योग पतियों का सम्बन्ध है, उनकी हर प्रकार से रक्षा की जानी चाहिये ।

जहां तक वाद योग्यता का सम्बन्ध है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उच्चतम न्यायालय के प्रति मेरे मन में आदर है। सभी विधि वक्ताओं का मैं मान करता हूं । परन्तु अब देखना यह है कि विधि क्या कहती है और उसे कार्यान्वित कैसे किया जा रहा है । विधि तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य में समान अधिकार प्रदान करती है । परन्तु वास्तव में अन्याय का कारण यह है कि ये सभी विधि वक्ता लोग तथा न्यायाधीश ऐसे वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं जो कि सदा ही निर्धनों और निम्न वर्गों के व्यक्तियों पर आधिपत्य जमाते आये हैं । अतः यह स्वाभाविक है कि वे अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के हितों को अधिमान देंगे। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रणाली में एक युगान्तरकारी परिवर्तन लाया जाये ।

मुझे स्मरण है कि आज से दो वर्ष पूर्व काश्मीर में बिना प्रतिकर अदा किये ही वहां की सरकार ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। उस समय इस मामले पर विचार प्रकट करते हुये नेहरू जी ने कहा था कि वे इस विषय में काश्मीर सरकार का समर्थन करते हैं कि भूमि का अधिग्रहण करते समय किसी प्रकार का प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिये । परन्तु नेहरू जी अपने भारत में वही नीति लागू करने के सम्बन्ध में मौन हैं। आज बड़े बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। तो इस से भय इस बात का है कि कहीं हमारे देश में भी अमेरिका के समान पूंजीपतियों का एकाधिपत्य न छा जाये। अतः हमें शीघ्र ही इसके विषय में सचेत हो जाना चाहिये ।

हम यह चाहते हैं कि सारे संसार में आनन्द के बाजे बजें । हमारे देश में भी आनन्द का सागर लहराये । यह देश हमारी मातृभूमि है । हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नत हो । परन्तु क्या सरकार वास्तव में जनता के लिये हर्ष और उल्लास के दिन लाने के विषय में कोई गम्भीर प्रयत्न कर रही है? केवल यह कह देने से कि हम 'समाजवादी ढंग का एक समाज' बना रहे हैं, कुछ बन नहीं जाता । इसके लिये तो महान् प्रयत्न करने पड़ेंगे । इस कार्य में हम अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिये उद्यत हैं । परन्तु हमें तो सरकार की नीति में ही सन्देह है । यदि सरकार इसके विषय में वातस्व में गम्भीर है, तो उसे पहले इस सम्पत्ति के विषय की अच्छी प्रकार जांच कर लेनी चाहिये ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं, परन्तु साथ ही यह बता देना चाहता हूं कि मैं इससे पूर्णरूपेण सन्तुष्ट नहीं हूं ।

इस विशेष अनुच्छेद पर सभा में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, परन्तु कभी भी इस समस्या पर ठीक दृष्टि से विचार नहीं किया गया । इस बार भी प्रधान मंत्री ने जिस रूप में संशोधन प्रस्तुत किया है, यह समस्या का हल नहीं कर सकता । प्रधान मंत्री ने अपने प्रत्येक भाषण में बार बार यही बात कही है कि व्यक्ति के प्रति किये जाने वाले न्याय को समाज के प्रति किये जाने वाले न्याय से कम महत्व देना चाहिये । उन्होंने फिर यह कहा है कि राजनीति के निदेशक तत्व किसी विशेष उद्देश्य

की पूर्ति के लिये सदैव परिवर्तित होते रहते हैं और मूल-अधिकार सदा स्थिर रहते हैं। परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मूल-अधिकार तो ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं। मूल-अधिकारों का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके विषय में प्रोफेसर राबर्ट एल० हेल ने लिखा है कि मूल-अधिकारों का चरम लक्ष्य यह है कि जनता को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके; परन्तु यह स्वतन्त्रता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि आर्थिक वैषम्य दूर न हो। अतः यदि हम वास्तव में सभी नागरिकों को मूल अधिकारों का अधिकार प्रदान करना चाहते हैं, तो सर्व प्रथम इस आर्थिक वैषम्य को दूर करना चाहिये। हमें इस देश के प्रत्येक नर और नारी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिये। किसी विशेष वर्ग को कोई विशेष अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सम्पत्ति अधिकार वास्तव में एक अनुचित अधिकार है। सम्पत्ति अधिकार कोई मूल-अधिकार नहीं है। अतः हमें व्यर्थ में ही इसका समर्थन नहीं करना चाहिये। यदि हमने ऐसा किया तो, जैसे कि प्रधान मंत्री ने कहा है, धनवान् तो सदैव धनवान् रहेंगे और निर्धन सदैव निर्धन ही रहेंगे और यह आर्थिक वैषम्य कदापि दूर न हो सकेगा।

इस प्रश्न के उत्तर में न्यायाधिपति महाजन का कथन यह है कि हमारा संविधान, हर प्रकार की निजी सम्पत्ति का प्रतिरक्षण करता है। परन्तु हम ही तो इस संविधान के रचयिता हैं। हम इसका संशोधन कर सकते हैं। जनता की निजी सम्पत्तियों की रक्षा होनी चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि कितनी सम्पत्ति की रक्षा होनी चाहिये। मेरे विचार में इस सम्पत्ति की कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिये। छोटी सम्पत्तियों की रक्षा अवश्य होनी चाहिये परन्तु बड़ी सम्पत्तियों की नहीं। हमारे प्रख्यात अधिवक्ताओं को चाहिये कि वे हमें बतायें कि छोटी सम्पत्ति का रक्षण कैसे किया जा सकता है। परन्तु मैं ने देखा है कि प्रधान मंत्री ने कई बार कुछ अन्य सम्पत्तियों के पक्ष में भी भेदभाव की प्रवृत्ति दिखाई है।

जहां तक न्यायिक घोषणा का सम्बन्ध है दो बातों के सम्बन्ध में हम सब को पूर्ण सहमति है। सर्वोपरि आधिपत्य के अधिकार का प्रयोग अवश्य ही लोक हित के प्रयोजन से विधि अधीन करना चाहियें। असहमति इस बात पर है कि क्या सर्वोपरि आधिपत्य के अधिकार के अन्तर्गत प्रतिकर का अधिकार भी आ जाता है। राज्य के पास सर्वोपरि आधिपत्य का अधिकार स्थिर रहता है परन्तु उस अधिकार को केवल विधान द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। न्यायाधिपति महाजन ने कहा है कि यद्यपि प्रतिकर देने का दायित्व सर्वोपरि आधिपत्य की शब्दावली की परिभाषा के तत्व रूप में नहीं है परन्तु न्यायिक परिभाषा के अनुसार यह उस में जोड़ दिया गया है। यह वस्तुतः एक ऐसी बात है जिसे यह सभा हटा सकती है।

हमारा इस वास्तविक तत्व की छाया मात्र के उस दायित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा सम्बंध तो वास्तविक तत्व से है। मेरे मित्र ने उच्चतम न्यायालय का उद्धरण दे कर बताया है कि बहुत से अधिकारों में से कतिपय अधिकारों को ही लिया जा सकता है और उसका अभिप्राय अर्जन नहीं है। परन्तु न्यायाधिपति दास ने कहा है कि जहां अधिकार ले लेने से शेष अधिकार निर्मूल्य हो जायें तो वस्तु रूप में सम्पत्ति ले लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता जहां तक छोटी

[श्री अशोक मेहता]

सम्पत्ति का सम्बन्ध है वस्तु और वस्तु के अधिकार के बीच अन्तर स्पष्ट है परन्तु यह अन्तर बड़ी सम्पत्ति के सम्बन्ध में नहीं है।

यह अन्तर अनुच्छेद ३१ में भी स्पष्ट नहीं किया गया और मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी और प्रधान मंत्री ने भी उसे स्पष्ट नहीं किया और फिर कहा जाता है कि अधिवक्ताओं ने महान् संविधान का दुरुपयोग किया है। मैं चाहता हूं कि अधिवक्ता हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा करें परन्तु प्रश्न यही है कि क्या स्वतन्त्रताओं की रक्षा करनी चाहिये या बड़ी सम्पत्तियों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये।

इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि राज्य के सर्वोपरि आधिपत्य के अधिकार को पुलिस के विनियमित अन्य अधिकारों से पृथक् किया जाये। परन्तु हमारा ध्यान जिस सामाजिक उद्देश्यों पर है वे उद्देश्य इस संशोधन से पूरे नहीं होते। आज सौभाग्य की बात है कि इस सभा के सदस्यों का और बाहर के लोगों का बहुमत एक ही दृष्टिकोण से प्रेरित है। आन्ध्र में जिन लोगों ने कांग्रेस को मत दिये, जिन लोगों ने साम्यवादी दल को मत दिये और जिन लोगों ने प्रजा समाजवादी दल को मत दिये वे सब ही समाजवादी व्यवस्था के पक्ष में हैं। परन्तु यह बात स्पष्ट ज्ञात नहीं है कि वे किस विशेष प्रकार की समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं। मैं यह दिखाऊंगा कि इस संशोधन से देश में समाजवादी व्यवस्था का निर्माण नहीं होता है।

गत अवसर पर पंडित जी ने अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुये कहा था कि अनुच्छेद ३१ का विचार करते हुये ज़मींदारी की समाप्ति, भूमि सम्बन्धी विधियों और कृषि सुधार सम्बन्धी सभी बातों की ओर मेरा ध्यान जाता है। परन्तु उनका ध्यान केवल कृषि सुधारों पर ही क्यों सीमित रहता है ? वे शोलापुर मिल के अर्जन की बात क्यों नहीं सोचते या उन गंदी आबादियों को साफ करने की बात क्यों नहीं सोचते जो सामाजिक जीवन के प्रति अपराध हैं। जब कभी प्रशासन प्रयोजन के लिए किसी वस्त्र उद्योग मिल के अस्थायी अर्जन की बात होती है तब तो उन का दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। हमारे कुछ सामुहिक उद्देश्य हैं परन्तु मैं देखता हूं कि संविधान में जो संशोधन किये जा रहे हैं वे समाजवादी उद्देश्यों के अनुसार नहीं है बल्कि उनमें उन उद्देश्यों के प्रति विमुखता दिखाई जा रही है। पिछली बार प्रधान मंत्री ने इस विषय पर भाषण देते हुये कहा था कि वे चाहते हैं कि प्रतिकर देने के प्रश्न को विधान मंडल के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाये और उस के लिये कोई बाध्यता न हो और प्रतिकर की मात्रा का प्रश्न सर्वथा विधान मंडल के अधिकार में रहने दिया जाये। परन्तु इस समय वैसा नहीं किया जा रहा। निस्सन्देह अनुच्छेद ३१-क के संशोधन में कतिपय क़िस्म की सम्पत्तियों के प्रति कर की मात्रा का निर्णय विधान मंडल पर छोड़ दिया गया है परन्तु मूल तथ्य वही है कि सम्पत्ति का अधिग्रहण करते हुये और बड़ी सम्पत्तियों के अर्जन में हमें प्रतिकर देना ही पड़ेगा।

फिर पिछली बार दूसरे पंडित जी, पंडित पंत, ने यह भी कहा था कि किसी प्रकार के उद्योग पर नियन्त्रण करने की इच्छा से या राष्ट्रीयकरण करने की इच्छा से विधान मंडल विधि पारित कर सकता है और सिद्धान्त बना सकता है और सिद्धान्तों में न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं उठाई

जा सकेगी । परन्तु उन सिद्धान्तों पर तो आपत्ति की गई है । यदि आप शोलापुर मिल का अंजन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : जहां तक इस के अर्जन का प्रश्न है, यदि उच्चतम न्यायालय विरुद्ध व्याख्या न करता यह सम्भव होता । सरकार की राय में तो वर्तमान उपबन्ध भी इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त है ।

श्री अशोक मेहता : मैं इस संशोधन के अर्थ की बात कह रहा हूं जो कि प्रधान मंत्री ने प्रस्तुत किया है । क्या इस सभा के लिये किसी दिन यह निर्णय करना सम्भव है कि भारत के वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और उद्योग के स्वामियों को पुनर्वास प्रतिकर दे दिया जाये ? यूं तो हम समाजवादी उद्देश्यों की बात करते हैं । प्रधान मंत्री ने प्रान्तीय कांग्रेस समितियों के सभापतियों को जो पत्र लिखा है उसे पढ़ कर खून में जोश आ जाता है परन्तु इस संशोधन से ऐसी सम्भावना प्रतीत नहीं होती कि हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक पुनर्निर्माण तथा विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग को पुनर्वास प्रतिकर दे कर राष्ट्रीयकरण का कार्य कर सकते हैं । इस लिये मैं कहता हूं कि हमें सम्पत्ति के अधिकार की इस प्रकार रक्षा नहीं करनी चाहिये । सर्वोपरि आधिपत्य के अधिकार के प्रवर्तन के लिये अर्जन की शर्त का निर्णय विधान मंडल के हाथ में होना चाहिये, और न्यायालय को इसमें बाधा डालने का अधिकार नहीं होना चाहिये । अमरीकन दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण में अन्तर है । अमरीका के १८ वीं शताब्दी के संविधान निर्माताओं का विचार था सम्पत्ति का अधिकार अक्षुण्ण है और स्वतन्त्रता के अन्तर्निहित है परन्तु हमारे दृष्टिकोण में सम्पत्ति का अधिकार स्वतन्त्रता अधिकार के अन्तर्गत नहीं है । यदि हम समाज में समानता लाना चाहते हैं तो हमें संविधान में दिये सम्पत्ति अधिकारों का पुनरावलोकन करना चाहिये ।

अतएव मेरा आप से, प्रधान मंत्री से और संयुक्त समिति से यही निवेदन है कि इस अनुच्छेद का सम्बन्ध अन्तिम रूप से उस समाजवादी उद्देश्य से जोड़ देना चाहिये जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया है । हमें बार बार इस अनुच्छेद का संशोधन कर अपनी हंसी नहीं उड़वानी चाहिये और उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा को घटाना नहीं चाहिये । हम ठीक प्रकार की परम्परा का निर्माण तभी कर सकते हैं यदि हम संविधान का संशोधन इस ढंग से करें जो कि महान् समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयोगी हो ।

श्री पाटस्कर : मैं उन उद्वेगपूर्ण और भावुकतापूर्ण बातों का उत्तर नहीं दूंगा जो इस विधेयक के सम्बन्ध में कही गई हैं । यह विधेयक नागरिकों को वे अधिकार जैसा श्री अशोक मेहता ने कहा है—जो उन्हें मिलने चाहियें और जो अधिकार संसद् तथा सरकार को प्राप्त होने चाहियें, उन्हें प्राप्त कराने के हेतु प्रस्तुत किया गया है । इस विषय के वैधानिक पहलू पर चर्चा करने से पूर्व मैं, श्री एन० सी० चटर्जी ने जो उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य के बारे में यह कहा है कि "उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णयों में अनुच्छेद ३१ के खण्ड (१) और (२) की बहुत विस्तृत परिभाषा की गई है, और यद्यपि दोनों खण्डों की शब्दावली एक दूसरी से भिन्न है तो भी उन्हें एक ही विषय से सम्बन्धित समझा जाता है" के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । वस्तुतः मैं अपने ढंग से अपने विपक्ष के माननीय सदस्य को यह संतोष दिलाने का प्रयत्न करूंगा

[श्री पाटस्कर]
कि उद्देश्यों और कारणों का विवरण सर्वथा ठीक है ।

अनुच्छेद ३१ (१) और (२) की ठीक व्याख्या करने पर उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष यह न होता जो उन्होंने निकाला है । यह सच है कि यदि वस्तुतः इस व्याख्या को रहने दिया जाये तो हम जितनी सामाजिक समस्याओं को निकट भविष्य में हल करना चाहते हैं उन्हें हल नहीं कर सकेंगे, इस लिये इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी है । वस्तुतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अनुच्छेद ३१ (१) और (२) की व्याख्या करने के प्रयोजन से किसी अमरीकन न्यायालय या आस्ट्रेलियन न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के निर्णयों को आधार बनाया है और उस से प्रेरणा ग्रहण की है । मैं समझता हूं कि यदि वे इस बात की ओर ध्यान देते कि संविधान सभा में अनुच्छेद ३१ (१) और ३१ (२) जो कि उस समय अनुच्छेद २४ के भाग थे, के सम्बन्ध में क्या चर्चा हुई थी, तब सम्भवतः उन से यह गलती न होती । इस लिये अब इस विधेयक को प्रस्तुत करना आवश्यक बना है ।

मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने न्यायाधिपति महाजन के निर्णय की कुछ कण्डिकायें पढ़ कर सुनाई थीं । मैं साहस से कह सकता हूं कि मैं ने उन सब का अध्ययन किया है । उन्होंने यह उद्धरण दिया था और कहा था कि सर्वोपरि आधिपत्य की विधि, जैसे शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसे इस देश के लोग नहीं समझ सकते क्योंकि अनुच्छेद ३१ (१) में जो उपबन्ध किया गया है वह सर्वोपरि आधिपत्य नहीं वरन् पुलिस शक्ति के सम्बन्ध में है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि अनुच्छेद ३१ का सम्बन्ध सर्वोपरि आधिपत्य से नहीं है ।

श्री पाटस्कर : मैं अभी उन्हें यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि हमारा संविधान किस प्रकार पारित हुआ था ; हमारे और अमरीकन संविधान में क्या अन्तर है ? सर्वोपरि आधिपत्य की विधि से क्या अभिप्राय है और हमारे भारतीय संविधान का क्या आधार है ? यह ठीक नहीं है कि आस्ट्रेलियन और अमरीकन संविधान के कुछ उपबन्धों को लिया जाये और फिर हमारे संविधान के उपबन्धों की व्याख्या का प्रयत्न किया जाये ।

अतः, प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने में अन्य देशों के संविधानों में किये गये इसी प्रकार के उपबन्धों पर आधारित तथा उनसे लिये गये सूक्ष्म और सैद्धान्तिक विचार अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे । अधिकांश सभ्य तथा लोकतन्त्र वाले देशों के संविधान लिखित हैं अथवा अलिखित । मैं केवल उन देशों की बात कह रहा हूं, जहां संसदीय प्रणाली का लोकतन्त्र है । ब्रिटिश राष्ट्र मंडल ने उन ऐककों के विभिन्न भागों में, जिन से मिल कर राष्ट्र मंडल बना है, विभिन्न संवैधानिक विकास किये हैं । इंगलैंड का स्वयं भी कोई लिखित संविधान नहीं है, उसका संविधान अलिखित है, और यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी लोकतन्त्र प्रायः ऐतिहासिक विकास का परिणाम है । इस अवस्था में, मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान मैगना कार्टा के खण्ड २९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इंगलैंड का कोई लिखित संविधान नहीं है ।

"न्यायाधीशों के वैध निर्णय अथवा देश की विधि के अधीन दिये गये निर्णयों के बिना कोई भी स्वतन्त्र व्यक्ति बन्दी नहीं बनाया जायेगा,

अपने अधिकारों, स्वतन्त्रताओं, रीति रिवाजों या राज्य रक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा, देश से निकाला नहीं जायेगा या किसी अन्य रूप में उसको बर्बाद नहीं किया जायेगा"।

अंग्रेज़ लोग इस आधार पर चले और इसी आधार पर इंगलैंड के वर्तमान अलिखित संविधान का विकास हुआ है। हमारे संविधान के अनुच्छेद ३१ (१) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा। बात लगभग एक सी है।

संयुक्त राज्य अमरीका एक और लोकतन्त्र देश है, जिनका संविधान लिखित है और उन सिद्धान्तों पर आधारित है, जो उन्होंने ब्रिटिश दृष्टान्तों से ग्रहण किये हैं। इंगलैंड के अलावा राष्ट्र मंडल के अन्य देशों में कनाडा का संविधान लिखित है। दूसरा महत्वपूर्ण देश, जहां का संविधान लिखित है, आस्ट्रेलिया है। मैं इन बातों का निर्देश इसलिये कर रहा हूं ताकि हम इस बात को समझ सकें कि जब संविधान निर्माताओं ने यह संविधान बनाया तो उन्होंने इसको देख लिया था कि अन्य लोकतन्त्र देशों में क्या उपबन्ध किये गये हैं और साथ ही साथ उन्होंने उन दशाओं, परिस्थितियों और उद्देश्यों का भी ध्यान रखा है, जिनके लिये उन्हें संविधान में कतिपय विधानों का उपबन्ध करना पड़ा। अपने देश के लिये संविधान बनाने के समय, निर्माताओं ने आस्ट्रेलिया, कनाडा अथवा संयुक्त राज्य अमरीका के लिखित संविधानों के विभिन्न उपबन्धों का ध्यान रखने का प्रयत्न किया है। किन्तु यह स्मरण रहे कि वे संविधान विभिन्न परिस्थितियों में लागू हुये और ऐसे लोगों के लिये बनाये गये थे जिनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्यायें एक दूसरे से भिन्न थीं। अतः, उन संविधानों में आने वाले शब्दों और वाक्यों के आधार पर भारतीय संविधान की व्याख्या करना ठीक नहीं है। यह ठीक है कि एक प्रकार से इन सब संविधानों की सामान्य धारणायें हैं, जो कि उन्होंने ब्रिटिश दृष्टान्तों से ली है, किन्तु, साथ ही, उद्देश्य केवल यही था कि वे विभिन्न देशों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये उपयोगी सिद्ध हों। अतः, सर्व प्रथम सब से बड़ी गलती उन्होंने यह की है कि उन्होंने अपने संविधान की तुलना अन्य देशों के संविधानों से करने की कोशिश की है, जैसे कि मानों हमारा संविधान दूसरे संविधानों की केवल नकलमात्र है। हमारा संविधान संविधान सभा के सदस्यों अर्थात् लोगों के प्रतिनिधियों के परिश्रमों का फल है। संविधान बनने से पूर्व, सविधान सभा ने उद्देश्यों सम्बन्धी एक संकल्प पारित किया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया था और वह एक मत से पारित हुआ। उस संकल्प में आप देखेंगे कि उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान का प्रारूप तैयार करते समय हमने उद्देश्यों सम्बन्धी उस संकल्प का ध्यान रखा, जिसको हमने पारित किया था और उसके बाद उस संकल्प के आधार पर ही हमने अपना संविधान बनाना शुरू किया। मैं विशेष रूप से उस संकल्प के खण्ड ५ की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

> "जिसमें भारत के सारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कराने की प्रत्याभूति दी जायेगी।"

अतः, संविधान में किये गये प्रत्येक उपबन्ध पर इसी आधार पर विचार करना है कि हमने इस उद्देश्य को, अर्थात् कि हम भारत के लोगों को, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त करायेंगे, दृष्टि

[श्री पाटस्कर]

में रख कर ही संविधान बनाना शुरू किया था । निर्णयों में मैं नहीं देखता कि ऐसी किसी बात का कोई निर्देश किया गया है । उनको प्रायः इसी बात की धुन रहती है कि आस्ट्रेलिया अथवा कनाडा के किसी न्यायालय में इस सम्बन्ध में क्या कहा गया है । मैं नहीं कह सकता कि यह गलती कैसे हुई है । अतः मेरा निवेदन है कि अपने संविधान का निर्वचन करते समय आप को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किस उद्देश्य से हमने अपना संविधान बनाना शुरू किया । अतः, संविधान के विभिन्न उपबन्धों का ठीक ठीक निर्वचन करने के लिये यह सर्वदा आवश्यक है कि हम उस संकल्प का, जिसको अभी मैं बता चुका हूं, और विशेष रूप से उसके खण्ड (५) का ध्यान रखें ।

इसके पश्चात् अपने संविधान की प्रस्तावना को जानना भी आवश्यक है । इससे हमको यह संकेत मिलता है कि हमने इस संविधान से क्या प्राप्त करने का निश्चय किया है । वह उद्देश्य क्या है जिससे हमने यह काम करना शुरू किया है ? वह उद्देश्य आपको प्रस्तावना में मिलेगा । इसमें कहा गया है :

> "हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उस के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कराने के लिये दृढ़संकल्प होकर......."

यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिये, जिसके आधार पर उन उपबन्धों को जो कि संविधान में रखे गये हैं, बाद में निर्वाचन किया जा सके । यदि आप ऐसा निर्वाचन करते हैं, जो कि इस आदर्श के विरुद्ध जाता है, तब वह सही निर्वाचन नहीं कहा जा सकता । यह हमेशा याद रखना चाहिये कि इसका एक मुख्य उद्देश्य सारे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराना तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना है ।

इसके अलावा एक बात और है, जिसको कि संविधान का उचित निर्वाचन करते समय ध्यान में रखना चाहिये । संविधान के उपबन्धों का उचित निर्वाचन करने के लिये हमें संविधान के चतुर्थ भाग अर्थात् निदेशक तत्वों का भी ख्याल रखना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण उपबन्ध अनुच्छेद ३८ का है जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।

अनुच्छेद १९, ३१ तथा इसी प्रकार के अन्य उपबन्धों में जो लिखा गया है, उसकी व्याख्या कल्याणकारी राज्य की इसी नीति को दृष्टि में रखते हुये करना है । यदि आप इस चीज का कोई ध्यान नहीं रखते और संविधान का निर्वाचन करने की कोशिश करते हैं, तो वह निर्वाचन निस्सन्देह गलत होगा और यह मालूम होगा, जैसा कि कुछ सदस्यों ने महसूस किया है, कि संविधान निर्माताओं ने सम्भवतः कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे समाजवादी राज्य की स्थापना नहीं होगी ।

अब मैं यह सुझाव देता हूं कि सारे नागरिकों को आर्थिक न्याय प्राप्त कराने

की दृष्टि से इन उपबन्धों का परीक्षण किया जाये ।

यह सही है कि मूल अधिकारों के अनुच्छेद १९ (च) में हम सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार मानते हैं । किन्तु उसको अनुच्छेद १९ के खण्ड (५) में उपबन्धित प्रतिबन्धों के अधीन कर दिया गया है । खण्ड (५) में स्पष्टतः यह उपबन्ध कर दिया गया है कि राज्य सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन सम्बन्धी अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाने वाली कोई भी विधि बना सकता है । अक्षुण्ण अधिकार जैसी कोई बात नहीं है । दूसरे पक्ष के मेरे माननीय सदस्यों ने बहुधा यह कहा है कि संविधान ने सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार को अक्षुण्ण माना है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे संविधान ने यह माना है कि लोग निजी सम्पत्ति रख सकते हैं किन्तु साथ ही यह भी उपबन्ध कर दिया है कि लोक हित में उस अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पत्ति के अर्जन, धारण अथवा व्ययन का अधिकार अक्षुण्ण नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों का भ्रम है । इस सम्बन्ध में ठीक ही उपबन्ध किया गया है, क्योंकि हम अपने देश के सारे नागरिकों को आर्थिक न्याय प्राप्त कराना चाहते हैं और इस उद्देश्य की उस समय तक प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार पर वे शर्तें न लगाई जायें जिनका हमारे संविधान में उपबन्ध किया गया है ।

अब, मैं यह बताऊंगा कि अनुच्छेद ३१(१) और ३१(२) का निर्वाचन किस प्रकार किया जाये और इनका क्या अभिप्राय है । संवैधानिक विधि में सम्पत्ति सम्बन्धी राज्य की सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न शक्ति का सर्वविदित वर्गीकरण किया गया है । श्रेणियां ये हैं : कराधान की शक्ति, सर्वोपरि आधिपत्य के नाम से विख्यात शक्ति और पुलिस शक्ति । शक्ति की यही तीन श्रेणियां हैं जो कि आप संवैधानिक विधियों से सम्बन्धित सभी कार्यों में देखेंगे । कराधान की शक्ति के सम्बन्ध में संविधान में जो उपबन्ध है, इस विधेयक के साथ उनके प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं है । दूसरी शक्तियों के हैं जो कि अन्यत्र सर्वोपरि आधिपत्य की शक्ति तथा पुलिस शक्ति के नाम से विख्यात हैं । 'सर्वोपरि आधिपत्य' की शक्ति सम्पूर्ण सत्ताधारी की एक ऐसी शक्ति है जिससे वह स्वामी की स्वीकृति के बिना ही सार्वजनिक प्रयोग के लिये उसकी सम्पत्ति ले सकता है । अर्थात्, हम स्कूल अथवा सार्वजनिक हित के लिये कोई भवन बनाने के वास्ते किसी सम्पत्ति का अर्जन करते हैं । पुलिस शक्ति सम्पूर्ण सत्ताधारी की वह शक्ति है, जिससे वह सम्पत्ति के प्रयोग का विनियमन करता है । सर्वोपरि आधिपत्य और पुलिस शक्ति में भेद बताने वाली विशेषता यह है कि पहली वाली शक्ति सार्वजनिक उपयोग के लिये सम्पत्ति लेने के सम्बन्ध में है और दूसरी शक्ति का सम्बन्ध उस सम्पत्ति का ऐसा विनियमन करने से है, जिससे उस सम्पत्ति का प्रयोग ऐसा न हो जो कि लोक हित के विरुद्ध पड़े । इस विनियमन का तात्पर्य नाश करने और वंचित करने से भी हो सकता है । उदारहणतः, किसी नगर में एक ऐसा भवन है जिसमें आग लग गई है और राज्य पड़ौस के घर को इसलिये गिराना चाहता है, ताकि अन्य घरों को बचाया जा सके । निश्चित है कि उस मकान के स्वामी को सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया है किन्तु यह हस्तगत करना नहीं है । यह अधिग्रहण नहीं है । सम्पत्ति से वंचित किये जाने का कार्य जनहित है । यथार्थ ग्रहण करने से पुलिस-शक्ति सर्वथा भिन्न है । इसे सर्वोपरि आधिपत्य कहेंगे । अतः दोनों में भ्रम उत्पन्न

[श्री पाटस्कर]

करने से कोई लाभ नहीं है। इसकी सही सही परिभाषा बताना कठिन है कि प्रवर अधिकार का क्या अभिप्राय है और पुलिस बल से क्या अर्थ है। किन्तु इनका अन्तर स्पष्ट है। और जहां संवैधानिक विधि का सम्बन्ध है वह एक दूसरे से पृथक् है। प्रवर अधिकार में जनहित के लिये सम्पत्ति अधिग्रहण अन्तर्ग्रस्त है। राज्य इसे प्राप्त कर लेता है। जब कि पुलिस बल के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति पर इस प्रकार का नियंत्रण रहता है कि उसे जनहित के लिये बाधक ढंग पर प्रयुक्त न किया जाये। दूसरी बात केवल जनहित में सम्पत्ति से वंचित करना है और इस अवस्था में प्रतिकर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य ने किसी वस्तु को इस्तेमाल नहीं किया है। विश्व के प्रत्येक देश के विधान में पुलिस बल अन्तर्निहित है। सर्वप्रभुता सम्पन्न निकाय के लिये प्रशासन संचालन हेतु पुलिस बल आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अनुच्छेद ३१(१) में इसका उपबन्ध किया गया है और 'वंचित करना', 'अधिग्रहण' और 'अर्जन' इन सब का अर्थ समान नहीं है। 'वंचित कर देने' का अर्थ है राज्य इसे नहीं लेता है। केवल अधिस्वामी सम्पत्ति से वंचित किया जाता है। इस अवस्था में सम्पत्ति अधिस्वामी के हितों को संलिक्षत करने के लिये हमारे संविधान में उपबन्ध है: "उसे इस प्रकार विध्यानुसार वंचित किया जायेगा। विधि की कार्यकारिणी भुजा द्वारा नहीं।" यह बात भी स्मरणीय है।

संवैधानिक विधि का यह स्वीकृत सिद्धांत है कि पुलिस बल के लिये प्रतिकर का उपबन्ध अपेक्षित नहीं है जब कि प्रवर समिति के प्रश्न पर प्रतिकर आवश्यक है। अतः सम्पूर्ण विवाद का उद्गम यह तथ्य है कि अनुच्छेद ३१(१) और (२) जिन में शक्तियों के दो विभिन्न वर्गों का उपबन्ध किया गया है वे इस प्रकार दिखाई देते हैं कि मानों एक ही हो। गलती का यही कारण है। ये दोनों शक्तियां हमारे उपबन्ध में अनुच्छेद ३१(१) और ३१(२) में है। अनुच्छेद ३१(१) में वह उपबन्ध किया गया है जिसे संवैधानिक विधि में पुलिस शक्ति कहा जाता है और ३१(२) में उपबन्धित शक्ति को सर्वोपरि आधिपत्य कहा जाता है। समाज और राज्य की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये विभिन्न अभिधानों से युक्त तथाकथित सर्वप्रभुता सम्पन्न शक्तियों की ये स्पष्ट श्रेणियां हैं। अनुच्छेद ३१(५) (ख) में स्पष्ट रूप से करारोपण शक्तियों अथवा पुलिस शक्ति को सर्वोपरि आधिपत्य के संचालन से मुक्त रखा गया है क्योंकि इन अवस्थाओं में आपको प्रतिकर देना पड़ता है। अनुच्छेद ३१(१) में निर्देशित शक्ति को प्रोफेसर विलिस के शब्दों में इस प्रकार कहा गया है: "यह राजनीतिक आवश्यकता की उपज है। यह बल प्रवर्ती वैध क्षमता प्रत्येक सर्व प्रभुता सम्पन्न राज्य में अन्तर्निहित है।" जनहित में किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के अधिस्वामित्व से वंचित करने का कार्य पुलिस शक्ति के अभाव में कोई सर्व प्रभुता सम्पन्न राज्य नहीं कर सकता है। चाहे संसद् हो, अथवा व्यक्ति या अन्य कोई भी हो। यह शक्ति अनिवार्य रूप से विद्यमान है। संविधान के अधीन संसद् सर्वसत्ता सम्पन्न है और इस प्रकार उसके पास यह शक्ति होनी चाहिये और उक्त निकाय द्वारा पारित विधि के प्राधिकार द्वारा ही इसका प्रयोग किया जा सकता है।

इसीलिये अनुच्छेद ३१ (१) में इस उपबन्ध की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। कार्यकारिणी द्वारा पुलिस शक्ति के प्रयोग द्वारा सम्पत्ति से वंचित करने के विरुद्ध

मूलभूत अधिकार संनिबंधन करने के लिये अनुच्छेद ३१(१) में परिवर्तन किया गया है । संविधान-निर्माताओं की यह इच्छा नहीं थी कि कार्यकारिणी द्वारा इस पुलिस बल का प्रयोग किया जाये । यह केवल विधान मंडल द्वारा ही किया जा सकता है । वस्तुतः यदि ऐसा निर्वचन उस समय होता तो शोलापुर मिल के सम्बन्ध में निर्णय सर्वथा भिन्न होता । इस मामले में क्या हुआ । प्रबन्ध संचालन अव्यवस्थित था । कोई उपाय नहीं था । अतः विधि पारित द्वारा प्रबन्ध हस्तगत कर लिया गया । इसका अभिप्राय अनुच्छेद ३१ (१) में उपबन्धित पुलिस दल के अन्तर्गत मान लिया गया । मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश, पहली मिथ्या धारणा जिससे सारी कठिनाई उत्पन्न हुई वह यह थी कि अनुच्छेद ३१(१) और ३१ (२) को सर्वोपरि आधिपत्य के ही अंग मान लिये गये हैं । यदि वर्तमान उपबन्ध का समुचित प्रवचन किया जाता तो कोई कठिनाई नहीं होती । मैं माननीय मित्र श्री अशोक मेहता को यह बताना चाहता हूं । संविधान-निर्माताओं की दृष्टि में यह बात थी । इस आपात के लिये अर्थात् समाजवादी ढंग पर समाज की रचना के लिये वे इस प्रकार के उपबन्ध की व्यवस्था करना चाहते थे । किन्तु कठिनाई इस बात की है कि इस उपबन्ध का निर्वचन कुछ ऐसे ढंग पर किया गया जो संविधान में निविष्ट उपबन्ध की भावना से विसंगत है ।

अमरीका के संविधान में पुलिस शक्ति के सम्बन्ध में कोई लिखित उपबन्ध नहीं है । अमरीका में वे निर्णय पर निर्भर हैं, यहां पर यह स्मरणीय है कि अनुच्छेद ३१ (१) का तत्संवादी उपबन्ध नहीं है । वहां पर जैसा यह संवैधानिक निर्णयोंत्पन्न विधि में विकसित हुआ है यह मुख्य रूप से विधान मंडल का अधिकार है । वहां संविधान में उपबन्ध सम्मिलित नहीं है । वे विधि पारित द्वारा उक्त शक्ति का प्रयोग करते हैं । हम यही कर रहे हैं । अनुच्छेद ३१ (२) सर्वोपरि आधिपत्य समझा जाता है । मुख्य न्यायाधिपति पातंजलि शास्त्री के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुये मैं यह कह दूं कि उन्होंने अनुच्छेद ३१ (१) और ३१ (२) में अन्तर न करने की भूल कर दी है । जैसा मैंने पहले कहा था अनुच्छेद ३१ (२) को सर्वोपरि आधिपत्य अर्थात् जनहित के लिये भूमि अधिग्रहण कहा गया है । इसमें उपबन्ध है कि अधिग्रहण अथवा अधिकार प्राप्त सम्पत्ति के प्रतिकर की व्यवस्था होना चाहिये । इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की विधि प्रतिकर की रक़म अथवा प्रतिकर देने के सिद्धान्त अथवा ढंग निर्धारित करेगी । अतः अनुच्छेद ३१ (२) के अधीन यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति ली जाती है तो या तो उसे सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाता है अथवा सम्पत्ति अधिकार में कर लेते हैं । स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति को कुछ प्रतिकर दिया जाना चाहिये । हमारे संविधान में यह सिद्धान्त दिया गया है । प्रतिकर की रक़म अथवा उसके भुगतान का ढंग कौन निर्धारित करेगा । यह विधि द्वारा किया जायेगा अर्थात् संसद् इसे करेगी । इसका अभिप्राय है कि संसद् को यह अधिकार है अन्य किसी को नहीं ।

अनुच्छेद ३१ (२) जो सर्वोपरि आधिपत्य से सम्बन्धित है—में यह उपबन्ध था कि जनहित के लिये प्राप्त की गई सम्पत्ति के लिये विधि द्वारा रक़म निर्धारित की जाये अथवा उन सिद्धान्तों को निर्धारित किया जाये जिनके अनुसार प्रतिकर निश्चित किया जायेगा । इस अवस्था में इसका निर्णय स्वयं विधान मंडल करेगा । अमरीका अथवा आस्ट्रेलिया के संविधानों में इसी प्रकार के

[श्री पाटस्कर]

उपबन्धों से यह सर्वथा भिन्न है। इस अनुच्छेद के निर्वचन के सम्बन्ध में अमरीका और आस्ट्रेलिया में निर्णीत एक मामले का निर्देश किया गया था। उसमें क्या उपबन्ध हैं?

इन शक्तियों को संवैधानिक विधि में सर्वोपरि आधिपत्य कहा गया है और पुलिस अधिकार स्वभावतः ही अपरिभाषित तथा शिथिल हैं। उनके कुछ विस्तृत सामान्य पहलू हो सकते हैं किन्तु वे प्रत्येक राज्य में अलग अलग हैं और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियों से प्रभावित हैं। अमरीका अथवा आस्ट्रेलिया में वैसी शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं जैसी कि भारत में हैं। अमरीका, आस्ट्रेलिया और भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनतिक परिस्थितियां एक सी नहीं हैं और उनके संविधान प्रजातांत्रिक होते हुये भी भिन्न प्रवृत्ति वाले हैं क्योंकि भिन्न अवस्थाओं की पूर्ति के लिये उनकी रचना की गई है। इन संविधानों में सार्वभौम शक्तियों को लागू करने और उन्हें प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं वे भी भिन्न हैं और इन में से प्रत्येक उपबन्ध में शब्दावली भी भिन्न है।

हमारे संविधान की भिन्न शब्दावली का क्या अभिप्राय है इस बात को अन्य देशों के संविधानों में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर निर्धारित करने में भारत के न्यायालयों ने भारी भ्रांति उत्पन्न कर दी है अमरीका की निर्णयों से बना हुये विधि में पुलिस शक्ति का जैसा रूप है वह मूलभूत एक विधायिनी शक्ति है। अमरीका के संविधान में दूसरी शक्तियों के लिये कदाचित उपबन्ध है। क्योंकि पुलिस शक्ति के लिये कोई उपबन्ध नहीं है यह विधि का विकसित रूप है। दूसरी शक्ति अर्थात् प्रवर समिति अधिकार की शक्ति के सम्बन्ध में उसमें यह शब्द थे: "और न उचित प्रतिकर बिना जनहित के लिये गैर सरकारी सम्पत्ति ली जायेगी"। स्वभावतः यह भिन्न शब्दावली है। अमरीका में जहां इतनी अधिक भूमि थी और बसने वालों की संख्या कम थी ऐसी अवस्था में अत्यधिक लाभ कमाया जा सकता था और प्रतिकर भी भिन्न होगा। अतः वे उचित प्रतिकर का उपबन्ध कर सकते थे। हमने 'उचित' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसलिये नहीं कि हम अमरीकी संविधान के उपबन्धों से अपरिचित थे। संविधान रचयिताओं ने जानबूझ कर इस लीग से पृथक् मार्ग अपनाया है। अमरीकी संविधान की शब्दावली पर निर्भर रहते समय इन तथ्यों को सर्वथा विस्मृत कर दिया गया है। अमरीकी संविधान के इसी तरह के उपबन्ध में प्रयुक्त शब्द 'लिया गया' अनुच्छेद ३१(२) में प्रयुक्त 'अधिग्रहण' शब्द की भांति नहीं है। न्यायाधीशों ने इस विश्वास पर यह निर्णय कि अनुच्छेद ३१(२) में अधिग्रहण से जो अभिप्राय है वह अमरीकी संविधान के अन्तर्गत जनहित के लिये सम्पत्ति लेने से सम्बन्धित उपबन्ध के समान है। प्रथम, इस प्रकार की युक्ति कि प्रवर अधिकार से सम्बन्धित अमरीकी संविधान का पांचवें संशोधन में 'लिया गया' शब्द प्रयुक्त किया गया है और अनुच्छेद ३१(२) भी सर्वोपरि आधिपत्य के विषय से ही सम्बन्धित है अतः हमारे संविधान में प्रयुक्त शब्द अर्थात् अधिकार में ली गई अथवा अधिकृत का भी वही अर्थ समझा जाये जो 'लिया गया' शब्दों का है, सर्वथा गलत है। उक्त संविधान में प्रयुक्त शब्द सर्वथा भिन्न हैं। यहां पर 'अधिग्रहण' से जो अभिप्राय है उसकी अमरीकी संविधान में "लिया गया" से तुलना नहीं की जा सकती है। यह युक्ति गलत है। क्योंकि यह एक वस्तु की दूसरी वस्तु से

समानता से आरम्भ हो कर पूर्व उल्लिखित बात के आधार पर दूसरी वस्तु के खण्डन में समाप्त होती है । निर्वचन का मुख्य सिद्धान्त यह है कि स्थान विशेष में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर ही अधिनियम का अर्थ और प्रभाव निर्धारित किया जाये । और यदि इन शब्दों का कोई विशेष अथवा टेकनीकल अर्थ है तो उन्हें वही अर्थ प्रदान किया जाये । ऐसा क्यों है कि हम अनुच्छेद ३१ (१) में एक बात कहते हैं और अनुच्छेद ३१ (२) में दूसरी बात कहते हैं जब कि हमारा उद्देश्य एक ही बात से है । यह कहना कि 'अधिकार में किया गया अथवा अधिग्रहण' का वही अर्थ है जो अमरीकी न्यायालयों ने 'लिया गया' शब्द को दिया है । भारतीय अनुच्छेद ३१(२) में राज्य द्वारा गैर-सरकारी सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण की सम्पूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा करना है । पुराने भारत सरकार के अधिनियम १९३५ के अधीन भी धारा २९९ थी और यह शक्ति थी । वहां पर 'प्राप्त किया गया' शब्द प्रयुक्त किये गये हैं, इससे अर्जन का अर्थ प्रकट होता है । इंगलैंड में उसका इसी रूप में विकास हुआ है । इंगलैंड की विधि के अधीन इस शब्द का अपना अर्थ है । इसने विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया है । अर्जन का सदैव यह तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के शीर्षक का स्वामिनिष्कासन कर दिया गया है उस के पूर्ण शीर्ष का अधिग्रहण—शीर्षक की सीमा तथा स्वरूप कुछ भी हो । किसी दूसरे देश के अन्य अधिनियम में इसी उद्देश्य से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है इस बात से सरोकार न रखते हुये भी हमारा मापदण्ड 'प्राप्त किया गया' शब्दों का निर्वचन था । हमारे संविधान में प्रयुक्त 'प्राप्त किया गया' शब्दों का भी यही अर्थ होना चाहिये ।

क्या सरकार ने प्रस्तुत विधि पारित करते समय शोलापुर कताई और बुनाई मिल का शीर्षक प्राप्त कर लिया था और उनकी इच्छा अन्य निदेशकों द्वारा उसके प्रबन्ध में सुधार करना था ? यह केवल अनुच्छेद ३१ (१) के अधीन किया गया और ३१(२) कदापि लागू नहीं किया गया ।

'अधिकार में किया गया' शब्द भी अनुच्छेद ३१(२) में जानबूझ कर प्रयुक्त किये गये थे अतः यह स्पष्ट किया जा सके कि प्रतिकर उसी स्थिति में देने की आवश्यकता है जब अधिस्वामी के अधिकार से सम्पत्ति वस्तुतः राज्य के अधिकार में ले ली गई है; अधिकार में लेने की पद्धति स्वभावतः सम्पत्ति के स्वरूप पर निर्भर करती है । अतः माननीय सदस्य श्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुतः युक्ति जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है उचित नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय ने सुबोध गोपाल बोस के प्रसिद्ध मामले में यह निष्कर्ष निकाला था कि अनुच्छेद ३१ के खण्ड (१) और (२) प्रभाव और विषय के बारे में एक दूसरे से अलग थलग नहीं हैं और उन्हें इकट्ठे पढ़ना चाहिये और यह समझना चाहिये कि इनका सम्बन्ध उसी विषय से है जिस में राज्य के अधिकार को सीमित कर के सम्पत्ति पर अधिकार जारी रखा जाता है । न्यायालय ने यह गलती आरम्भ में ही कर दी और एक बार ऐसा कर देने के पश्चात् सारा मामला ही गलत हो गया । वे समझते हैं कि खण्ड (१) के अनुसार सम्पत्ति से वंचित करने का अभिप्राय खण्ड (२) में निर्दिष्ट सम्पत्ति के अर्जन से ही है । यह निष्कर्ष निकालने के लिये उन्होंने अमरीकन संविधान के उपबन्ध के इस निर्वचन पर ही अधिकतः विश्वास किया है । "निजी सम्पत्ति को बिना उचित प्रतिकर दिये अर्जित नहीं किया जायगा।" यह ठीक

[श्री पाटस्कर]

नहीं है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस आधार पर अनुच्छेद ३१ (२) और ३१ (१) के उपबन्धों का सम्बन्ध किसी प्रकार की समानता की युक्ति के द्वारा एक ऐसे देश के संविधान के उपबन्धों से जोड़ा है जहां शब्दावली भी भिन्न है। ऐसा करना ठीक नहीं है।

अनुच्छेद ३१ (२) लगभग उस अर्जन की विधि पर आधारित है जो इस संविधान से भी पूर्व लागू था। पहले यह भारत सरकार अधिनियम की धारा २९९ हुआ करती थी। अर्जन प्रायः साहित्य का शब्द बन गया और यह सर्वविदित है। पिछले कितने वर्षों से यह हमारे देश में लागू रहा है और भारत सरकार अधिनियम की धारा २९९ और हमारे संविधान के अनुच्छेद ३१ (१) और (२) में इसे उसे उसी प्रसंग में प्रयोग किया गया था। वे प्रायः एक समान हैं सिवाय इसके कि जहां हम जानबूझ कर कुछ परिवर्तन करना चाहते थे वहां हम ने परिवर्तन कर दिया था।

हमारा संविधान किसी संविधान पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक विकास, हमारे समक्ष हमारे उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये देश की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर इस का निर्माण किया गया है। इस के उचित निर्वाचन के लिये इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। यह समझना गलत है कि इस मामले में हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद् को प्रभुत्व सम्पन्न बना कर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं और अधिकारों की रक्षा करने के उस परम्परागत ब्रिटेन के दृष्टिकोण को अपनाने की बजाय अमरीकन दृष्टिकोण को अपनाया है। इस विषय के इस पहलू के सम्बन्ध में ही अनुच्छेद ३१(२) में यह उपबन्ध किया गया है :

"किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति का, किसी समवाय, किसी वाणिज्यिक या उद्योगिक अपक्रम या जिस पर उनका अधिकार हो के हित सहित तब तक किसी क़ब्जा लेने या अर्जन करने का प्राधिकार देने वाली किसी विधि के अधीन लोक प्रयोजन के लिये क़ब्ज़ा न लिया जायेगा या अर्जन नहीं किया जायेगा, जब तक क़ब्ज़ा में ली गई या अर्जित सम्पत्ति के लिये विधि में प्रतिकर का उपबन्ध न हो या जब तक विधि में या तो प्रतिकर की राशि निश्चित न की गई हो या वे मूल सिद्धांत या ढंग स्पष्ट रूप से व्यक्त न किये गये हों जिन के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जाना है या प्रतिकर दिया जाना है।"

इसलिये वस्तुतः यदि इस का ठीक और सरल निर्वचन किया जाये तो इन सब विषयों का निर्णय संसद् ने स्वयं करना है। इसी उद्देश्य से अनुच्छेद ३१(२) में ये शब्द रखे गये हैं :

"जब तक क़ब्जा की गई अथवा अर्जित सम्पत्ति के लिये विधि में प्रतिकर का उपबन्ध न हो और या प्रतिकर की राशि निश्चित न की गई हो...."

अतएव यह कहना गलत होगा कि यह सब न्यायिक विषय हैं।

इस सम्बन्ध में तो सर अलादी कृष्णस्वामी आयर जैसे प्रख्यात न्यायशास्त्रज्ञ और संविधान-निर्माता ने भी इस विशेष उपबन्ध के सम्बन्ध में इस के न्यायिक होने के बारे में इस प्रकार कहा है :

"हम जानते हैं कि संविधान में सब नागरिकों को कतिपय मूल अधिकार दिये गये हैं और उन अधिकारों की

रक्षा के लिये न्यायालय बनाये गये हैं। अब क्या इस से इस देश के उस उच्चतम न्यायिक न्यायाधिकरण पर अविश्वास प्रकट नहीं होगा, जो कि विधि के प्रशासन के लिये यहां स्थापित किया जायेगा ?"

यह प्रश्न नहीं है परन्तु कतिपय ऐसे विषय हैं जिन के सम्बन्ध में संसद् को निर्णय करना चाहिये। इस के साथ ही जब वे सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में विधि पारित करते हैं तो वही जान सकते हैं और उन परिस्थितियों को समझ सकते हैं जिन परिस्थितियों में प्रतिकर दिया जाता है और यह कि कितनी राशि दी जानी है और किन सिद्धान्तों के आधार पर प्रतिकर दिया जाना है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि :

"मैं बाध्य हो कर यह निवेदन करता हूं कि मुझे यह आशा कभी नहीं थी कि जिन प्रख्यात व्यक्तियों का इस संशोधन से सम्बन्ध है वे इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करेंगे।

पहली बात अर्थात् इस के न्याय योग्य होने के सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं कि यद्यपि मेरे मित्र ने संवैधानिक उपबन्धों की एक लम्बी सूची दी है परन्तु ये उपबन्ध संविधि पुस्तक में उस समय लाये गये थे जब सम्पत्ति सम्बन्धी धारणा आज की धारणा की अपेक्षा भिन्न थी। संविधान-निर्माताओं को विदित था कि वे क्या उपबन्ध बना रहे हैं और उन से पूर्व अन्य देशों के कुछ संविधान निर्माताओं ने क्या उपबन्ध बनाये थे तथा उन उपबन्धों और इन उपबन्धों में क्या अन्तर है। सम्पत्ति की पुरानी धारणा अन्य बातों के साथ साथ यह थी कि सम्पत्ति कुछ विद्यमान और स्थिर वस्तु है जब आज की सम्पत्ति सम्बन्धी धारणा यह है कि सम्पत्ति एक गत्यशील वस्तु है, और फिर मृत सर अलादी कृष्णस्वामी आयर ने इस का निर्वचन इन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में किया था :

"खण्ड (२) का दूसरे भाग जिस पर अत्यधिक वादविवाद हुआ है भारत सरकार अधिनियम १९३५ की धारा २९९ और अनुच्छेद २४, जिस का प्रारूप पहले तैयार किया गया था और जो वस्तुतः धारा २९९ का ही प्रतिरूप है, में प्रयोग हुये, 'प्रतिकर' शब्द के आधार पर रचाया गया है। एक ओर यह अनुरोध किया गया है कि 'प्रतिकर' शब्द का यह भी अर्थ है कि सम्पत्ति के अर्जन की तिथि को सम्पत्ति के मूल्य अर्थात् बाजार मूल्य के बराबर राशि का प्रतिकर होना चाहिये। दूसरी ओर इस बात का आग्रह किया गया है कि यदि खण्ड को इसी रूप में जैसा वह है जिसमें उस विधि की ओर निर्देश किया गया है जिस में वे सिद्धान्त और ढंग व्यक्त किये गये हों जिन के आधार पर प्रतिकर निर्धारित किया जाना है, इस से विधान मंडल को स्वतन्त्रता मिल जाती है कि वे प्रतिकर निर्धारण के लिये जो चाहें सिद्धान्त और ढंग बना दें। इस प्रसंग में यह जान लेना आवश्यक है कि अनुच्छेद में प्रयोग की गई भाषा उस भाषा से संगत नहीं है जो अन्य संविधानों में उपयुक्त प्रतिकर दे कर सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन से सम्बन्धित उपबन्धों में प्रयोग की गई है।

अतएव इस महान् न्यायशास्त्रज्ञ को पहले ही पता था कि अन्य ऐसे संविधान हैं जिन में कुछ अन्य प्रकार की शब्दावली है और यह परिवर्तन जान बूझ कर किया गया है :

" 'उपयुक्त' शब्द जो कि अमरीका और आस्ट्रेलिया के संविधान में प्रयोग

[श्री पाटस्कर]

किया गया है, वह धारा २९९ और अनुच्छेद ३४ में प्रयोग नहीं किया गया है। आस्ट्रेलिया या अमरीकन संविधान में उन सिद्धान्तों और ढंग की ओर भी कोई निर्देश नहीं है जिस के आधार पर प्रतिकर निर्धारित किया जाना है। संविधान विधि का यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि जब केन्द्र के संसद् या प्रान्तीय विधान मण्डल को संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी विशेष विषय के बारे में विधि बनाने का अधिकार सौंपा गया हो....."

संविधान इस प्रकार नहीं बनाया गया है कि संसद् अपनी उच्चतम वैधानिक शक्ति द्वारा किसी विषय के बारे में विधान बना सके परन्तु उस के सम्बन्ध में राज्य विधान मंडल विधान न बना सके। विपक्ष के मेरे विद्वान मित्र ने यह भी कहा है कि ऐसा हो सकता है कि राज्यों के विधान मंडल उसका लाभ उठा कर सम्पत्ति से वंचित करने का विधान पारित कर दें। मुझे पता नहीं कि यह किस आधार पर कहा गया है:

> "न्यायालय का काम यह नहीं है कि वह विधान मंडल के अधिनियम की आलोचना करे। न्यायालय अपने आप को उच्च विधान मंडल नहीं समझ सकता और अपील या पुनरावलोकन न्यायालय की तरह विधान मंडल के अधिनियम की आलोचना नहीं कर सकता।"

मेरा विचार है कि यदि न्यायालय उस समय जब वे इन उपबन्धों का निर्वाचन करने लगे थे, संविधान बनाने के समय सर अलादी कृष्णस्वामी आयर जैसे महान् न्यायशास्त्रज्ञ द्वारा कही गई इस बात की ओर ध्यान देते, तो सम्भवतः परिणाम भिन्न होता और इस संशोधन की, जिसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, आवश्यकता न रहती। इस समय इसकी प्रायः आवश्यकता ही हो गई है क्योंकि यदि हम यह न करें तो उस विधि का यही निर्वाचन बना रहेगा।

जैसा मैं ने बताया है इंगलैंड में बहुत पहले मैग्ना कारटा के दिनों में उन्होंने कहा था कि सिवाय किसी विधि अधीन ऐसा करने के किसी व्यक्ति को उस की स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा। हम प्रायः उसी सिद्धान्त का अनुसरण कर रहे हैं और इस लिये हम ने अनुच्छेद ३१(१) में यह उपबन्ध किया है कि यह विधान मंडल के अधिनियम द्वारा होना चाहिये। परन्तु निर्णयों में से एक में एक ऐसी बात कही गई है—मैं नाम नहीं बताऊंगा—जिस में इंगलैंड के न्यायालयों के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया कि संसद् उच्चतम शक्ति है वरन् कहा गया है कि न्यायिक शक्ति उच्चतम है। मैं नहीं समझता कि इस का क्या आधार है।

३ म० प०

यह समझना गलत है कि इस मामले में संविधान निर्माताओं का मत वह था जो कि अमरीकन दृष्टिकोण है। मैं नहीं जानता कि विद्वान न्यायाधीशों के मन में यह धारणा क्यों बनी। संविधान की कार्यवाही से कहीं भी यह पता नहीं लगता कि संविधान निर्माताओं के मन में अमरीका का दृष्टांत था। इस के बजाय जैसा मैं ने अभी कहा है श्री अलादी कृष्णस्वामी आयर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम ने जो उपबन्ध बनाये थे वे अमरीका या अन्य देशों के उपबन्धों से भिन्न हैं।

हम अपने संविधान में कतिपय ऐसे मामलों का उपबन्ध करना चाहते थे जो कि

हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो, और उसी उद्देश्य को लेकर हमने संविधान बनाना प्रारम्भ किया था। निर्णय में इन सारी बातों का आना बड़ा आश्चर्यजनक है। वस्तुतः हमारे संविधान की पृष्ठ भूमि ऐतिहासिक है। मैगना कार्टा में इस प्रकार के उपबन्ध हैं और हमने उन्हीं उपबन्धों को अनुच्छेद ३१(१) में सरल भाषा में रख दिया है। किन्तु वे अनुच्छेद ३१(१) को अनुच्छेद ३१(२) से मिलाना चाहते हैं और इसीलिये यह सब भ्रम पैदा हुआ है। यह ठीक है कि ऐसा जान बूझ कर नहीं हुआ किन्तु कैसे भी उन्होंने इस विषय पर उचित रूप से विचार नहीं किया है। उन्होंने इस बात का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया होगा कि संविधान-निर्माताओं ने क्या किया। किन्तु यह मत बनाने से पूर्व कि संविधान-निर्माता अमरीकी दृष्टिकोण से सहमत रहे या फिर कम से कम इसके पूर्व कि उन्होंने यह बात कही उन्हें कम से कम इस बात पर विचार कर लेना चाहिये था कि जब यह अनुच्छेद पारित हुआ था, तो संविधान-निर्माताओं ने क्या कहा था।

मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उनके उद्देश्य बुरे थे, किन्तु यह सब कुछ हुआ है। सम्पत्ति के अधिकार की पवित्रता का तर्क देना व्यर्थ है। यदि कोई ऐसा निर्वाचन है, जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ सकती है, तो उसके लिये यह संशोधन ही एकमात्र उपाय है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): क्या महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय को यह सुझाव नहीं दिया कि प्रतिकर का अभिप्राय यह है कि सम्पत्ति के बराबर का मूल्य मिले?

श्री पाटस्कर: वस्तुतः मुझे नहीं मालूम कि महान्यायवादी ने क्या कहा था। मेरी बातें निर्णयों के बारे में हैं। महान्यायवादी ने जो कुछ भी कहा होगा किन्तु उनके लिये तो उचित मार्ग यही था कि वे प्रस्तावना से मालूम करते कि वास्तविक उद्देश्य क्या था, यह उपबन्ध करते समय क्या कहा गया था तथा क्या संविधान-निर्माताओं ने आस्ट्रेलिया के संविधान तथा अमरीका के संविधान में भेद करके उनसे प्रेरणा ली थी। यह तर्क देना कि इस संशोधन के द्वारा हम न्यायलयों का प्राधिकार छीनना चाहते हैं, सही नहीं है। हम केवल वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संविधान निर्माता वस्तुतः चाहते थे।

श्री अशोक मेहता ने यह तर्क दिया कि एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने पर जब हमने उसको अपर्याप्त देखा तो हमने एक दूसरा प्रस्तुत कर दिया है। मेरे विचार में प्रस्तुत अनुच्छेद उस कार्य के लिये पर्याप्त है जो कि हम करना चाहते हैं। किन्तु न्यायालयों के निर्वचन के फलस्वरूप इस विधान को प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह मानना अधिक उचित होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं को यह विश्वास था कि विधान मंडल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिस प्रकार कि ग्रेट ब्रिटेन के लोग अपने संसद् में यह विश्वास रखते हैं कि वह लोगों की सम्पत्ति की रक्षा करेगा। इसके विपरीत, जैसा कि में कह चुका हूं कि यह उपबन्ध मैगना कार्टा में है और वह उपबन्ध अनुच्छेद ३१(१) में किया गया है। यदि इसका उचित प्रकार से निर्वचन नहीं किया जाता है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। अनुच्छेद ३१ के खण्ड (१) और (२) के उपबन्धों का गलत अर्थ लेने से न्यायालयों ने अनेक ऐसे निर्णय दिये हैं, जिससे देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा पड़ने का डर है।

अनुच्छेद ३१ के खण्ड (१) और (२) की रचना के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय

[श्री पाटस्कर]

के द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करने से प्रतीत होता है कि उन्होंने इन दोनों खण्डों का सम्बन्ध सर्वोपरि आधिपत्य से ही लिया है। इसके अलावा वे अनुच्छेद ३१ के खण्ड (२) में आने वाले शब्दों 'क़ब्जाकृत या अर्जित' का अर्थ खण्ड (१) में आने वाले शब्द 'वंचित' के समान ही समझते हैं। यह पूर्णतः गलत है और यह स्पष्ट करने के लिये प्रयत्न करना है कि अनुच्छेद ३१ के खण्ड (१) और (२) में क्या उपबन्ध किया गया है। उसी दृष्टिकोण से संशोधन करने वाला यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। किसी की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने का कोई प्रश्न नहीं है। विरोधी पक्ष के मेरे माननीय सदस्यों ने यह दिखाने की कोशिश की कि यह विधान बहुत आपत्तिजनक है। मैं ने इस सम्बन्ध में उनको विश्वास दिलाने का भरसक प्रयत्न किया है कि इस भ्रम का कारण अपने संविधान की कुछ अन्य संविधानों से गलत तुलना करना है और यह विधेयक केवल इसलिये प्रस्तुत किया गया है क्योंकि सारे प्रश्न पर उचित प्रकार से विचार नहीं किया गया है। इसका अभिप्राय किसी का निरादर करना नहीं है।

संविधान के पारित होने के बाद तुरन्त ही यह देखा गया कि कुछ मामलों में न्यायालयों ने इन संवैधानिक उपबन्धों की ऐसे रूप में निर्वचन करना शुरू कर दी, जिससे उन लोगों के साथ सामाजिक न्याय नहीं किया जा सकता था, जिनके साथ सामाजिक न्याय होना चाहिये था। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से अनेक मामले उठ खड़े हुये। यह सोचना गलत है कि हम व्यर्थ में ही समय समय पर ऐसे विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु जब सम्पूर्ण जनता के हित में उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, जिसको हमने अपने संविधान में रखा है, ऐसा आवश्यक हो जाता है तो हमें स्वभावतः ही सभा के समक्ष इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है।

एक न्यायालय ने तो इस उपबन्ध का निर्वचन इस प्रकार किया कि उससे परिवहन की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिये राज्य परिवहन सेवा चालू करना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने 'सम्पत्ति' शब्द की जो व्याख्या की उससे यह भी समझा गया कि बस सेवा चलाने के कारोबार का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। यह उत्तर प्रदेश का मामला था। वस्तुतः यदि एक अनुज्ञप्ति रोक ली जाये, तो उससे समस्यापूर्ण हानि होगी। किन्तु राज्य ने जो कुछ किया, वह लोक हित ही में किया। यहां तक कि यह अधिनियम भी शक्ति परस्तात् घोषित किया गया। अतः, हम अनुच्छेद ३१(१) और (२) की गलत व्याख्या होने के कारण ऐसा साधारण काम भी नहीं कर सकते। अतः, इस प्रकार का विधान बना कर मामलों को ठीक करने के लिये कुछ न कुछ करना ही पड़ा। इन सब चीज़ों को इसी प्रकार रहने देंने का अर्थ यह होगा कि राष्ट्र की प्रगति में बाधा पड़ेगी। यह कोई नहीं चाहता कि उनके साथ न्याय न किया जाये, और न कोई यह चाहता है कि कार्यपालिका मनमानी करे। इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि गलत निर्वचन द्वारा संविधान-निर्माताओं के निश्चय की पूर्ति में बाधा उत्पन्न की जाये या उसको अस्वीकार किया जाये। अनुच्छेद ३१(१) में रक्षा का उपबन्ध एक अनोखे ढंग से किया गया है। हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या बार बार यह दोहराना उचित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया निर्वचन गलत है ? अनुच्छेद १४१ में कहा गया है:

> "उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी ।"

श्री पाटस्कर : जैसा मैं ने कहा है, हम इसको पहले ही स्वीकार कर चुके हैं । मैं सभा को केवल यह बताना चाहता हूं कि इस विधान को प्रस्तुत करना आवश्यक क्यों हो गया है । कुछ भी अनुचित बात करने की हमारी इच्छा नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु विधि के हित के लिये उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की युक्तिसंगत तथा सद्भावनापूर्ण आलोचना तो की जा सकती है ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : यह बताया गया था कि सामान्यतः १५ मिनट और कुछ विशेष मामलों में आधे घंटे तक बोलने की ही अनुमति है । किन्तु मैं देखता हूं कि सरकारी सदस्यों ने आधे घंटे से भी कहीं अधिक समय ले लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा को सारे समय सरकारी सदस्यों के ही विचार सुनने पड़ेंगे या फिर अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री जयपाल सिंह ने प्रत्यक्षतः एक औचित्य प्रश्न उठाया है । किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है । अनेक दलों के प्रतिनिधियों अर्थात् श्री एन० सी० चटर्जी, श्री एच० एन० मुकर्जी, श्री अशोक मेहता को बोलने का अवसर दिया जा चुका है । उसके बाद में ने श्री पाटस्कर को बोलने के लिये बुलाया । श्री पाटस्कर ने अधिक समय ले लिया है । सामान्यतः हम मंत्रियों को ३० मिनट से भी अधिक देते हैं । ताकि वे सरकार के दृष्टिकोण की व्याख्या कर सकें । यह समय कांग्रेस दल को नियत कर दिया जायेगा । इस सभा के प्रत्येक दल को, जो कि निश्चित रूप से प्रतिनिधि दल है, चर्चा समाप्त होने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा ।

श्री जयपाल सिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि विभिन्न दलों के लिये जो समय नियत किया गया है, वह एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाना चाहिये । इसके अलावा सरकार की ओर से सभा के नेता द्वारा सब कुछ कह ही दिया गया है, और अब हम चाहते हैं कि उसी दल के अन्य सदस्यों के विचार सुनने को मिलें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उस दल को यह आज्ञा नहीं दे सकते कि उसको ऐसा ही करना चाहिये । वह जैसा उचित समझे, वैसा कर सकता है । उसने विधि मंत्रालय में मंत्री को अपना प्रवक्ता मान लिया है । इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है । माननीय मंत्री जितना समय चाहें ले सकते हैं । मैं उस समय की गणना कांग्रेस दल को नियत किये गये समय में कर लूंगा ।

श्री पाटस्कर : मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । मुझे इस बात का खेद है कि चर्चा के दौरान में इस तरह का भाव रहा कि मैं ने आधे घंटे से अधिक समय ले लिया है, किन्तु मेरे विचार में यह मेरा कर्त्तव्य था......

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को १५ मिनट और देता हूं । कांग्रेस दल

[उपाध्यक्ष महोदय]

के अन्य सदस्य कम समय लें। मैं उनके लिये अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री पाटस्कर : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करके अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। विरोधी दलों के तीन या चार सदस्यों के द्वारा की गई आलोचना का उत्तर देने के लिये ही मैं ने अपने ढंग से संवैधानिक उपबन्धों का अर्थ बताने का भरसक प्रयत्न किया और यह बताने की कोशिश की कि किस प्रकार उनका ठीक ठीक निर्वचन नहीं किया गया है और इस विधेयक की क्यों आवश्यकता है। यही सब कुछ मैं कहना चाहता था। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री बागावत (अहमदनगर दक्षिण): यह घोषणा होने के बाद कि सरकार का उद्देश्य समाज में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना है, क्या यह उचित नहीं है कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये यहां पर एक उपबन्ध कर दिया जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य के प्रश्न का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने का अवसर प्राप्त होने पर माननीय सदस्य जो चाहें कह सकते हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित--आंग्ल भारतीय): मेरी इच्छा है कि विषय के सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व मैं उन दुर्भाग्यमय विचारों के प्रति खेद प्रकट कर दूं जो कतिपय साम्यवादी सदस्यों ने व्यक्त किये हैं। यह बात स्वाभाविक है कि विधि के नियम को निन्दित करने और बची खुची वैयक्तिक स्वतन्त्रता को मिटाने के लिये आबद्ध साम्यवादी मित्र इस प्रकार की बातें करें। मेरा विश्वास है कि न्यायालय और विधि-व्यवसायी इस देश में विधि-नियम के सबल प्रहरी हैं और कदाचित इसीलिये वे साम्यवादी मित्रों के लिये अभिशाप हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो साम्यवादियों और समाजवादियों में परस्पर आरोप-प्रत्यारोप की होड़ लगी है। कांग्रेसी मित्रों से मेरा निवेदन है कि हम न केवल संविधान में संशोधन करने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रत्युत हम अत्यन्त महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार में संशोधन करने के लिये प्रयत्नशील हैं। मेरा निजी मत है कि सरकार पुलिस शक्ति और सर्वोपरि आधिपत्य में भ्रम उत्पन्न कर रही है। माननीय मित्र--विधि मंत्रालय में मंत्री--की युक्ति प्रत्यक्ष रूप में अस्थिर थी और उच्चतम न्यायालय के प्रति अकारण संकेत करने के अतिरिक्त मैं उनके भाषण में कुछ नहीं समझ सका। विधि मंत्री ने हमसे यह बात स्वीकार कराने का प्रयत्न किया कि अनुच्छेद ३१(१) और ३१ (२) दोनों की रचना में संविधान निर्माताओं की मंशा यह थी कि यह पुलिस शक्ति के प्रयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

विधि मंत्रालय के मंत्री का कथन है कि यह पुलिस शक्ति के प्रयोग से सम्बन्धित वक्तव्य का प्रतिनिधित्व करता है। मेरी सम्मति में अनुच्छेद ३१ का मुख्य उद्देश्य सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा करना है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के इस निष्कर्ष को व्यक्त कर संविधान निर्माताओं की मंशा को ही प्रकट किया है। माननीय मंत्री का कथन है कि अनुच्छेद ३१(२) पुलिस शक्ति के प्रमुक्तीकरण का मामला है। यह मेरी समझ में नहीं आता है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : उन्होंने यह नहीं कहा था।

सभापति महोदय : उन्होंने यह केवल अनुच्छेद ३१(१) के सम्बन्ध में कहा था।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिये । उन्होंने यह भी कहा था कि अनुच्छेद ३१(२) केवल पुलिस शक्ति का वक्तव्य है क्योंकि उस अवस्था में प्रतिकर पूर्णतः विधान मंडल के विवेकाधीन है । उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहने में त्रुटि की है कि प्रतिकर उचित प्रतिकर होना चाहिये । अनुच्छेद ३१(२) में दो बातें बताई गई हैं । प्रथम, सार्वजनिक हित और दूसरा, प्रतिकर जिसके विषय में उच्चतम न्यायालय ने उचित निर्वचन दिया है कि प्रतिकर का अर्थ है पूरा प्रतिकर । श्री एन० सी० चटर्जी के अत्यन्त विद्वतापूर्ण भाषण का एक उद्धृंश मेरे पास है ? यह पटना उच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें निकोलस रचित 'सर्वोपरि आधिपत्य' पुस्तिका का एक उद्धरण दिया गया है । इसमें लिखा है कि शब्द 'उचित' केवल पुनरुक्ति है । प्रतिकर का अर्थ है समुचित प्रतिकर; प्रतिकर विभिन्न रूपों में नहीं हो सकता है । उच्चतम न्यायालय ने सरल अर्थ में इसकी व्याख्या की है । 'निकोलस' के सर्वोपरि आधिपत्य में उचित प्रतिकर का अर्थ जो भूमि ली गई है उसका मूल्य और न ली जाने वाली भूमि को यदि किसी प्रकार की क्षति हुई है तो उसकी पूर्ति बताया गया है ।

मेरा निवेदन है कि विधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप में अनुच्छेद ३१(१) और अनुच्छेद ३१ (२) दोनों में प्रवर अधिकार का उपबन्ध कर रखा है । अब हम सरकार की शक्तियों का विस्तार ही नहीं कर रहे हैं किन्तु हम उस महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार को विशेषित कर रहे हैं जो भाग ३ के अन्तर्गत नागरिकों को दिया गया है । हम न्याय्यता के तत्व को निरसन करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि प्रतिकर की न्याय्यता के अधिक महत्वपूर्ण पहलू को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से छीन लिया जाये । मैं यह नहीं कहता हूं कि समस्त उपबन्ध निन्दनीय हैं, प्रत्येक सदस्य से मेरा निवेदन है कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के साथ इस बात पर विचार करे कि विधान निर्माताओं ने जिस महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार की प्रतिभूति की है उस पर कहां तक आक्रमण हुआ है ।

किसी सदस्य ने कहा कि हमें विधान मंडलों पर विश्वास करना चाहिये । किन्तु यह सर्वथा ग़लत दलील है । कोई किसी पर अविश्वास नहीं करता है लेकिन जब हम संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों का संशोधन कर रहे हैं तो हमें व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व की दृष्टि से नहीं सोचना चाहिये । यदि यह विधान मंडल पर विश्वास का प्रश्न होता तो संविधान की रचना का उद्देश्य ही निरर्थक था । जहां तक संसद् का सम्बन्ध है हमने जानबूझ कर संविधान की सर्वप्रभुता के पक्ष में अपने स्वत्व का त्याग किया है । जब तक हमारे अन्दर विधि-नियम के प्रति आदर की भावना का पूर्ण विकास नहीं होता है हमें विधान मंडलों की निरंकुशता पर जानबूझ कर कुछ नियंत्रण रखना चाहिये ।

श्री पाटस्कर ने श्री एन० सी० चटर्जी के इस कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ग़लत रूप में समझा गया है । उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अधिकार में कमी करना अधिकार से वंचित करना नहीं है । मेरा विचार है कि अनुच्छेद ३१ सम्पत्ति के सम्बन्ध में मूलभूत अधिकार की एक प्रतिभूति स्वरूप है । अनुच्छेद ३१ (२ ए) सम्पत्ति से वंचित करने के सम्बन्ध में असीमित शक्तियां प्रदान करता है, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है ।

वकीलों के विरुद्ध अनेक अनुचित बातें कही गई है तथा उन्हें निहित स्वार्थों

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

का अन्तिम भग्नावशेष बताया गया। मेरा विचार है कि साम्यवादी दल में भी वकील हैं। आप विधान-मंडलों को कौन-सी शक्तियां दे रहे हैं ? यहां सम्पत्ति से वंचित करने का असीमित अधिकार दिया गया है इस शर्त पर कि राज्य का कोई लाभप्रद हित न हो। यहां सार्वजनिक हित का कोई प्रश्न नहीं है' प्रतिकर का कोई प्रश्न नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि विधान निर्माताओं का ऐसा विचार था। जहां कहीं भी लोकहित के लिये उपबन्ध है हम में कोई इस विधान के विरुद्ध नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय भले ही सार्वजनक उपयोग की शर्त न रखे लेकिन जब हमारा यह मत है कि यह एक प्रकार का सामाजिक विधान है तो निश्चित है कि इसका उपयोग सार्वजनिक हित की प्रगति के लिये किया जायेगा।

जहां तक (घ) अर्थात् अपने मूल स्थानों से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता अथवा उन्हें बसाने की दृष्टि से अचल सम्पत्ति के अर्जन अथवा अधिग्रहण का सम्बन्ध है हम इसमें पूरा विश्वास करते हैं। हम इसमें कुछ बन्धन स्थापित कर सकते हैं कि एक निश्चित सीमा की आय वाले व्यक्तियों के मकान ही लिये जायेंगे। हमें राज्य के हाथों में इतनी शक्तियां नहीं देनी चाहिये कि वह निर्धन व्यक्तियों की सम्पत्ति भी जब्त कर ले।

हम अंशधारियों के अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। अथवा उसमें संशोधन कर सकते हैं। मेरी सम्मति में ऐसा कोई विचार नहीं है कि बिना जनहित अथवा युक्तिहीन आधार पर हम छोटे-छोटे अंशधारियों के अंश सम्बन्धी अधिकारों को समाप्त कर दें अथवा उनमें रूपभेद कर दें।

मैं प्रस्तावित संशोधनों का विरोध नहीं करता हूं। मैं उसकी कमी की ओर संकेत कर रहा हूं। हमें संयुक्त समिति में इस प्रकार का उपबन्ध रखना चाहिये कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धनी नहीं है उनकी सम्पत्ति जब्त की जाने से रोकी जाये। प्रधान मंत्री कहते हैं कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिये। कठिन परिश्रम दर्शन का समीचीन सिद्धान्त है किन्तु व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कठिन परिश्रम करता है। यदि मुझे मालूम हो जाये कि १६ घंटे प्रति दिन परिश्रम कर के मैं जिस मकान का निर्माण कर रहा हूं वह मेरे स्वामित्व से निष्कासित कर दिया जायेगा तो देश में कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा ही समाप्त हो जायेगी। किन्तु इस संशोधन का यह उद्देश्य नहीं है इसीलिये मैं कहता हूं कि हमें इस संशोधन में कुछ आवश्यक शर्तें रखना चाहियें।

हमें विधिवत् शासन पर व्याघात नहीं करने चाहियें। मैं नहीं समझता हूं कि कल्याणकारी विधान में कोई व्यक्ति बाधक है परन्तु हमें प्रत्येक उपबन्ध का विश्लेषण कर यह देख लेना चाहिये कि क्या वह नितान्त आवश्यक है। ब्रिटेन ने जनसमुदाय के कल्याण और विधि के प्रति सम्मान दोनों में संतुलन स्थापित कर अपने उद्देश्य की पूर्ति की है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमें इस देश में कल्याण राज्य की स्थापना नहीं करनी है किन्तु इसका माध्यम विधि के शासन की विनष्टि नहीं है। विधि तथा मूलभूत अधिकारों की उच्चता का निर्वहन करते हुये लोक कल्याण राज्य की स्थापना का समर्थक हूं।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्)। संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक के बारे में तीन प्रकार की आलोचना की गई है : (१) संविधान को लागू होने के पांच साल के अन्दर संशोधित करने की क्या आव-

श्यकता है ; (२) केवल पांच साल की अवधि में यह कैसे सिद्ध हो गया कि संविधान के निर्माताओं ने भूल की थी, (३) समाज सुधार, औद्योगिक तथा निजी सम्पत्ति के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ।

अनुच्छेद ३१ (१) और (२) भारत सरकार अधिनियम, १९३५ की धारा २९९ (१) और (२) की नकल है । संविधान के निर्माताओं ने इस विषय के कानून को ध्यान में रखा था ।

१९४६ में अवध के एक तालुकदार के मामले पर लार्ड राइट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है । संविधान के निर्माताओं ने उस निर्णय को ध्यान में रखा था । लार्ड राइट ने उस समय निर्णय दिया था जब भारत स्वतंत्र नहीं था । संविधान के निर्माताओं ने उमझा होगा कि उच्चतम न्यायालय लार्ड राइट के निर्णय को ध्यान में रखेगा । यह बात स्मरणीय है कि संशोधन विधेयक में जो धारा २ (क) है वह लार्ड राइट के निर्णय के बिल्कुल विरुद्ध है । निस्संदेह यदि सत्य बताया जाय तो वह वही होगा जिसके सम्बन्ध में पहले संविधान निर्माताओं ने सोचा था । मेरे विचार में हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं क्योंकि यहां यह प्रवृत्ति है कि किसी भी अमरीकी बात पर विवाद हो सकता है । मेरे विचार में जहां तक पुलिस के अधिकारों का सम्बन्ध है हम आस्ट्रेलिया के संविधान का अनुकरण कदापि नहीं कर सकते । पुलिस अधिकारों के बारे में अमरीकी राज्य का उल्लेख करने से पूर्व मैं प्रत्येक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य की तीन शक्तियों का संक्षेप में वर्णन करता हूं । वे हैं:—प्रधान राज्य अधिकार (Eminent Domain), पुलिस के अधिकार तथा कराधान के अधिकार । पुलिस के अधिकारों तथा कराधान के अधिकारों में मुआवजे का कोई प्रश्न नहीं उठता । वह कतिपय सामाजिक लाभों के अभ्युदय के निमित्त होती है । इस सम्बन्ध में अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों से उनके विस्तार आदि का पता लग सकता है । इनका सम्बन्ध केवल लोगों के संरक्षण से ही नहीं बल्कि सामान्य कल्याण से भी रहता है । सरकारी अधिकार तो नमनशील होने चाहियें किन्तु पुलिस के अधिकार सीमित होने आवश्यक हैं । इसके बाद न्यायाधीश श्री होम्स ने पुलिस के अधिकारों की विशेषता के बारे में भी कहा है । यदि इन अधिकारों का विस्तार कर दिया जाये तो प्रधान राज्य अधिकार सम्बन्धी शक्तियों का अपहरण हो जाता है । हमारे इस संशोधक विधेयक का उद्देश्य इन दोनों शक्तियों के मध्य एक प्रकार का समन्वय स्थापित करना है । यदि हम प्रधान राज्याधिकार का व्यापक अर्थ लें तो कभी भी किसी प्रकार की कोई सामाजिक विधि सम्भव नहीं होगी । यदि प्रत्येक वस्तु के लिये मुआवज़ा दिया जाने लगे तो भी किसी ऐसी विधि का बनाया जाना सम्भव न होगा और यदि यही कहा जाये कि पुलिस अधिकार द्वारा की गई प्रत्येक कार्यवाही में मुआवजे का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा तो यह भी एक अनुचित-सी बात होगी । माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है— किन्तु ३ वर्ष के भीतर ही उच्चतम न्यायालय ने दो एक-जैसे मामलों पर विभिन्न निर्णय दिये हैं । उनके अनुसार अनुच्छेद ३१ (५) के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त भूमि, आदि अर्जित ही समझी जायेगी और उसके लिये मुआवज़ा दिया जायगा ।

मैं माननीय मित्र से यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब यह समय नहीं आ गया है कि संसद् हस्तक्षेप करके स्थिति का स्पष्टीकरण करे । इसलिये संविधान में संशोधन

[डा० कृष्णस्वामी]

आवश्यक प्रतीत हुआ है। मैं अनुच्छेद ३१ (१) तथा (२) का निर्वचन नहीं करना चाहता क्योंकि इस विषय पर न्यायाधीश ही अन्तिम प्राधिकारी हैं—किन्तु आप इस बात पर विचार करें कि इन बातों के परिणाम सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से हानिकर होंगे। इस प्रकार यदि मुआवजा देना पड़ा तो सामाजिक विकास कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव हो जायगा। उसका परिणाम यह होगा कि देश भर में अराजकता फैल जायेगी। इस बात को हमने ध्यान में रखना है। इस सांविधानिक संशोधन से हमें पुलिस के अधिकारों तथा प्रधान राज्याधिकारियों में सह-अस्तित्व स्थापित करना है मैं संविधान के दो महत्वपूर्ण अध्यायों अर्थात् मूलभूत अधिकारों तथा निदेशक तत्वों के बारे में कहना चाहता हूं। जहां मूलभूत अधिकारों तथा निदेशक तत्वों के बीच का संघर्ष हो, वहां मूलभूत अधिकारों की ही विजय होनी चाहिये——किन्तु वास्तव में हमें दोनों के मध्य एकता स्थापित करनी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मूलभूत अधिकारों को कम किया नहीं जा सकता किन्तु यदि इनसे निदेशक तत्वों को खतरा होता है तो संसद् को कोई उपाय करना चाहिये—क्योंकि हमें निदेशक तत्वों का महत्व भी पहचानना है। हम निदेशक तत्वों को महत्व हीन नहीं समझ सकते। हमने यदि मूलभूत अधिकारों में कमी करनी है तो वह उतनी ही होगी जितनी सामाजिक विकास के लिये न्यूनतम रूप से आवश्यक हो। मुझे पता नहीं कि क्या माननीय मित्र इस संशोधक विधेयक के आश्चर्यजनक महत्व को समझते हैं या नहीं। पुलिस के अधिकार का वर्गीकरण विधि में एक नवीन वृद्धि है। इसके द्वारा इसे प्रयोग किया भी जा सकेगा और इसे सीमित भी रखा जा सकेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि निदेशक तत्वों के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकारों को एक विशेष खंड के अतिरिक्त, प्रत्येक पर प्रयोग किया जा सकता है।

यह बात ठीक है कि न्यायालय मुआवजे के प्रश्न का परीक्षण नहीं कर सकेंगे किन्तु उन्हें इस बात का तो निषेध नहीं है कि वे विधि की मान्यता का परीक्षण भी न कर सकें। एक विधि पुलिस के अधिकारों के अन्तर्गत है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार विधायी निकाय को दिया गया है—इस लिये न्यायालयों का क्षेत्राधिकार हटा देने का तर्क मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। यदि आप ध्यान से इस बात को देखें तो आप समझ जायेंगे कि न्यायालयों को इन बातों के परीक्षण का पूरा अधिकार है। वास्तव में, इसी कारण से कि न्यायालयों को मुआवजे के प्रश्न पर विचार करने का निषेध है, न्यायालयों को इस बात का अधिक अधिकार हो जाता है कि वे देखें कि क्या यह विधि पुलिस के अधिकारों के अन्तर्गत आती है और क्या यह विधि सद्भावना से पारित की गई है अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से यह विधायिनी निकाय पर एक अच्छी रोक है——अन्यथा मनमानी होने की सम्भावना रहती है। मैं समझता हूं कि जब इस विधि की मान्यता पर न्यायालय में आपत्ति की जाये तो न्यायालय अधिनियमों की विशेष ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परीक्षण भी करेगा। मुझे इस बात के लिये सन्तोष है कि न्यायालयों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

एक मामले पर मुझे पूरी तरह से सन्तोष नहीं है। कुछ लोगों की राय है कि रंचित विधि बनाई जा सकती है—किन्तु कैनाडा के संविधान से परिचय रखने वाले लोग इस बात को समझेंगे कि वहां इसक

आश्रय किसी दूसरे प्रयोजन के निमित्त लिया गया था । अतः मैं समझता हूं कि न्यायालयों को किसी भ्रष्ट विधि के निरसन करने का निषेध नहीं है । वास्तव में, बिहार जमींदारी अधिनियम इसी कारण से शून्य घोषित किया गया था कि मुआवजा थोड़ा रखा गया था और इसी कारण से न्याया-लयों को मुआवजे के प्रश्न पर चर्चा करने से निषेध किया गया, किन्तु इससे उन्हें विधि के परीक्षण करने से वंचित नहीं किया गया । मैं चाहता हूं कि संयुक्त समिति इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रश्न का स्पष्टीकरण करे ताकि विधान-मंडल पुलिस अधिकारों का प्रयोग निदेशक तत्वों को दृष्टि में रखते हुये करे ।

सभापति महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में खंड (ङ) पर बड़ी आपत्ति है । इसमें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये किसी भूमि, इमारत अथवा किसी खाली अथवा पड़ती भूमि के अधिग्रहण का उल्लेख है । ये बातें अनुच्छेद ३८, ३९ (ग) अथवा ४६ के अन्तर्गत आती हैं । हम पड़ती भूमि का उल्लेख तो समझ सकते हैं किन्तु खाली पड़ी भूमि का अर्थ समझ में नहीं आता । जहां तक मैं समझा हूं, इस बात में प्रारूपण खराब हुआ है । उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में भी लिखा है कि उचित योजना, आदि के लिये खाली अथवा पड़ती भूमि का उपयोग किया जायेगा । इस लिये यह खाली भूमि पड़ती तथा अनावश्यक प्रतीत होती है । यह तो निदेशक तत्वों का अपवाद है । हम ने इस सम्बन्ध में निदेशक तत्वों का ध्यान नहीं रखा । भविष्य में इससे यह भी समझा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के आवासों के निर्माण के लिये भी खाली भूमि का अर्जन किया जा सकता है ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : वह 'अधिग्रहण' नहीं, 'अर्जन' है ।

डा० कृष्णस्वामी : विशेषतया यह बात निदेशक तत्वों या समाज कल्याणकारी राज्य के अनुरूप नहीं है । इसलिये संयुक्त समिति को इस विषय पर भी पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये । उससे इसकी वास्तविक व्याप्ति प्रकट हो जायेगी । अन्यथा इस से मनमानी होने का खतरा रहेगा । हमें संविधान में संशोधन करते समय भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिये ताकि एक बात १०-१५ वर्ष तक तो बनी रहे ।

सभापति महोदय : उपखंड (ङ) में 'सार्वजनिक प्रयोजन' के लिये अधिग्रहण अथवा अर्जन है ।

डा० कृष्णस्वामी : श्रीमान, आपने जो 'सार्वजनिक प्रयोजन' का उल्लेख किया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक व्यापक एवं सामान्य शब्द है ।

सभापति महोदय : यदि यह शब्द भूमि तथा झोंपड़ों के लिये व्यापक है तो उसी प्रकार से पड़ती तथा खाली भूमि के लिये भी है ।

डा० कृष्णस्वामी : मैं यह कहना चाहता हूं कि निदेशक तत्वों के प्रयोजन से खाली भूमि का अर्जन वहां नहीं होना चाहिये । यही मेरा सन्देह है । इससे न्यायालयों को भी कठिनाई होगी और संविधान से वे इन्हें अलग करके हटा भी न सकेंगे । इससे कार्यपालिका को अत्यधिक अधिकार मिलने की भी आशंका है । यदि संयुक्त समिति में इस बात की ठीक ठीक व्याख्या हो जाये तो यह बहुत ही ठीक होगा । कतिपय संशोधनों के साथ इस विधेयक का पारित किया जाना हमारी संसद् के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कार्य होगा । लार्ड एकटन ने एक बार कहा था कि लोकतन्त्र का भाग्य उस चुनाव पर निर्भर करता है जो कि विरोधी सिद्धान्तों में से किया जाता है, अर्थात् एक ओर तो सम्पूर्ण

[डा० कृष्णस्वामी]

तथा निर्बाध सत्ता और दूसरी ओर वैधानिकता की रुकावटें तथा परम्परा का प्राधिकार। परम्परा के प्राधिकार तथा वैधानिकता को बनाये रख कर यह अधिनियम बनाया जा रहा है। यह रुकावटें हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के विकास के लिये आवश्यक है।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड-सोरठ) : इस विधेयक से हमें संविधान द्वारा दिये गये सम्पदा सम्बन्धी मूलभूत अधिकारों का संशोधन करना है। अतः हमें इस पर सहमति प्रकट करने से पूर्व इस बात पर पूरी तरह सन्तुष्ट होना चाहिये कि ऐसे विधेयक की अत्यन्त आवश्यकता है अथवा नहीं।

इस संशोधन की इस लिये आवश्यकता हुई कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद १९ तथा ३१ का निर्वचन किया। जिन मामलों में ऐसा हुआ मैं उनका संक्षिप्त वर्णन करना चाहता हूं। शोलापुर के मामले का उल्लेख श्री चटर्जी ने किया और कहा कि इसे रद्द करके हम उच्चतम न्यायालय का अपमान करेंगे। यह बात ग़लत है। यदि संविधान में कभी संशोधन किया जाये तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम उच्चतम न्यायालय का अपमान कर रहे हैं।

हमें संविधान में संशोधन करने का हक़ है, यदि हम यह देखें कि उच्चतम न्यायालय का निर्वचन ठीक नहीं है अथवा ऐसे निर्वचन से हमें यह प्रतीत हो कि उससे हमारा अभिप्राय पूरा नहीं होता। इस कारण यह कहना ग़लत है कि इस संशोधन से न्यायपालिका तथा विधान सभा में विरोध हो जायगा। हमारे संविधान में न्यायपालिका को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है किन्तु विधान-सभा का स्थान भी इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया अनुच्छेद ३१ का निर्वचन बहुत व्यापक है।

मेरे मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण की दो बातों का विरोध किया है; किन्तु उनका विरोध निराधार है। यह उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का यथार्थ सारांश है। मैं पहिले शोलापुर मिल के मामले को लूंगा। यह कपड़े की मिल एशिया की विशालतम मिलों में से एक है, जिसमें १३,००० व्यक्ति कार्य करते थे तथा जिसका मासिक उत्पादन २५ लाख गज कपड़ा तथा १५० लाख गज सूती धागा था। अगस्त १९४९ में यह अकस्मात् बन्द हो गई। कम्पनी के अंशधारियों ने बम्बई की सरकार को मामले की जांच करने के लिये याचिका भेजी जिस पर दो अनुभवी निरीक्षकों को मामले की जांच के लिये नियुक्त किया गया। उनके प्रतिवेदन से आश्चर्यजनक तथ्यों का उद्घाटन हुआ। निदेशकों के बोर्ड तथा प्रबन्धक एजेण्टों ने वहां बड़ी अव्यवस्था कर रखी थी। वे लोग ही हिसाब-किताब की गड़बड़ी करने के लिये भी उत्तरदायी थे। सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित समझा और उसने कम्पनी के हित में ही वहां का प्रबन्ध हथियाया। एक अध्यादेश जारी कर वहां के निदेशकों के बोर्ड तथा प्रबन्धक एजेण्टों को हटा दिया ऐसा कर के सरकार ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। वास्तव में, उसने बेकारी को दूर रखने तथा एक अनिवार्य पदार्थ के संभरण को जारी रखने के लिये ही यह कार्यवाही की।

एक अंशधारी ने इस कार्यवाही के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की। उसके दो आधार थे। पहिला यह कि यह अध्यादेश पक्षपातपूर्ण है क्योंकि यह अन्य

कम्पनियों पर लागू नहीं होता है तथा दूसरे, उसे कोई प्रतिकर दिये बिना ही सरकार ने उसका अधिकार लिया है। इस पर उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि यह पक्षपातपूर्ण विधान नहीं अपितु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उचित बात की गई है।

इसके उपरान्त एक अन्य अंशधारी ने भी उक्त आशय की अपील उच्चतम न्यायालय में भेजी। इस समय सभी न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि यह अध्यादेश तथा अधिनियम अमान्य है क्योंकि इससे अंशधारी तथा कम्पनी की सम्पत्ति का अपहरण होता है क्योंकि इसमें प्रतिकर नहीं दिया गया है।

इस प्रकार अधिनियम पारित करने के चार वर्ष पश्चात् हमें कम्पनी को, उन्हीं प्रबन्धक एजेण्टों को सौंप देना पड़ा, जिन्होंने कम्पनी की दुर्गति की थी। इस निर्णय से हमें संशोधन करने की आवश्यकता हुई।

दूसरा निर्णय जिससे हमें संशोधन करने की आवश्यकता हुई सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का मामला था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन अधिनियम पारित कर दिल्ली—बुलन्दशहर मार्ग पर अपनी ही बसें चलाने का एकाधिपत्य प्राप्त कर लिया था। संविधान के १९(१) (छ) अनुच्छेद के अनुसार इससे व्यापार तथा रोजगार के अधिकार पर हस्तक्षेप होता है अतः इसके विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की गई जिसने इसका समर्थन किया। तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय में अपील होने पर इस अध्यादेश को शून्य करार दिया गया।

तीसरा निर्णय बेल्ला बनर्जी के मामले में किया गया। इस मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार अर्जित भूमि का प्रतिकर ३१ दिसम्बर, १९४६ की बाजार दर के अनुसार दे रही थी, किन्तु अधिनियम १९४८ में पारित हुआ था। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने उक्त दर को मान्य नहीं ठहराया और यह कहा कि जब तक आप पूरी बाजार दर नहीं देते तब तक आप किसी सम्पत्ति का अर्जन अथवा अधिग्रहण नहीं कर सकते।

तत्पश्चात् सुबोध गोपाल बोस का मामला था। १८५९ के पश्चिमी बंगाल अधिनियम के अधीन उसे अल्प पदावधियों का निरसन कर कच्चे किसानों को बेदखल करने का अधिकार था। सरकार ने इन बेदखलियों को रोकने के लिये एक अधिनियम बनाया। बंगाल उच्च न्यायालय इस निर्णय पर पहुंची कि इससे अनुच्छेद १९(१) (ङ) का उल्लंघन होता है। उच्चतम न्यायालय ने दो के विरोध में तीन मतों से यह निर्णय किया कि इस मामले पर उक्त अनुच्छेद प्रयुक्त नहीं होता है, किन्तु यह प्रतिबन्ध उचित है तथा इससे सम्पत्ति का अपहरण नहीं होता, और इस कारण यह मान्य है।

संक्षेप में परिस्थिति इस प्रकार है। सम्पत्ति के अधिकारों के सम्बन्ध में इस प्रकार के विरोधी निर्णय लोक कल्याण के निमित्त व्यापक विधान बनाते समय हमारे मार्ग में बाधक होंगे तो क्या हम इन्हें इसी प्रकार रहने दें अथवा इन मामलों में ऐसे विलम्ब अथवा विरोधों को दूर करने के लिये कोई उपचार करें। मुख्य प्रश्न यह है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक मामले में बाज़ार दर से पूरी क़ीमत अदा की जाय किन्तु प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि न्यायाधीशों ने कहा है नियामक उपबन्ध भी इस प्रकार के हो सकते हैं कि वे सम्पत्ति से वंचित करने के समान हों। द्वारका दास के मामले में महा-अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि यदि ये नियामक उपबन्ध सम्पत्ति से वंचित करने के समान ही हैं और

[श्री सी० सी० शाह]

इन पर प्रतिकर देना पड़ेगा तो यह सारा विधान ही अमान्य हो जायेगा ।

इसलिये यदि हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो उच्चतम न्यायालय यह निर्णय भी दे सकता है कि ये नियामक उपबन्ध भी अमान्य है ।

तीसरा प्रश्न यह है कि 'सम्पत्ति से वंचित करना' क्या है ? श्री पांतजलि शास्त्री तथा श्री एम० सी० महाजन के निर्णयों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्येक मामले में जब हम सम्पत्ति के उपभोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप करने वाली विधि पारित करेंगे तो प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही उसका निर्णय करेंगे कि यह सम्पत्ति से वंचित करने के समान है तथा इस पर प्रतिकर दिया जाना चाहिये अथवा यह इसमें वंचित करने की बात नहीं, इत्यादि ।

मूल अधिकारों का मसविदा बनाते समय इन सभी मूलभूत अधिकारों पर सावधानी से विचार किया गया था। ये कठिनाइयां सभी विधानों में सन्निहित रहती हैं । सर बी० एन० राव ने अपनी पुस्तक "Constitutional Precedent" ["सांविधानिक पूर्ववादिता"] में ऐसी ही कुछ भावी सम्भावनाओं का निर्देश किया था—यथा विधान-मंडल यह नहीं जान सकता कि न्यायालय किसी विशेष अधिनियम का क्या अर्थ लगायेंगे जिससे विधान बनाने का कार्य कठिन हो जायेगा । विधि की वैधता के सम्बन्ध में मतभेद हो जायेगा तथा न्यायालयों को विधान पर विधान-मण्डलों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हो जायेगा, इत्यादि । संविधान के प्रवृत्त होने के पांच वर्ष समाप्त होते न होते उक्त सम्भावनायें सत्य प्रमाणित हो गई हैं । तब क्या हम इन विरोधों को दूर करने के लिये संविधान में संशोधन नहीं कर सकते ?

न्यायिक पुनर्विचार हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है । सभी मामलों में हम इसे नहीं छीन सकते—जैसे किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में न्यायिक पुनर्विचार की अनुमति है । किन्तु हम सम्पत्ति के अधिकारों को,—प्रगतिशील समाज के सामाजिक तथा आर्थिक विधान-निर्माण की जटिलता के कारण न्यायिक पुनर्विचार के लिये नहीं छोड़ सकते हैं ।

इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि यद्यपि हमारे संधिान में न्यायपालिका को सम्मानीय स्थान प्राप्त हैं, फिर भी यदि हम कहें कि एक विशेष मामले में विधान-मंडल ही प्रतिकर सम्बन्धी प्रकार तथा पद्धति पर विचार करेगा तो उसमें कुछ भी अनौचित्य नहीं है क्योंकि विधान-मण्डल ही प्रतिकर देने की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं का स[ब] से अच्छा निर्णायक हो सकता है ।

यह भी कहा जाता है कि न्यायपालिका ही जनता की केवल मात्र अभिभाविका है तथा उसके [बि]ना विधान मण्डल अपंगु हो जायेंगे । किन्तु मैं ऐसी धारणा को सरासर गलत समझता हूं ।

हमारे संविधान में दोनों का सम्मानीय स्थान है । एक दूसरे के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये तथा दोनों ही को अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता तथा उचित रीति से कार्य करना चाहिये ।

इस मामले में मैं यह कह सकता हूं कि उक्त दृष्टिकोण अप्रजातन्त्रवादी है क्योंकि जनता के चुने हुये प्रतिनिधि ही राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं । उनकी इच्छाओं की प्रतिष्ठा होनी चाहिये । इसमें

सन्देह नहीं, कभी-कभी बहुसंख्यक अपनी इच्छा अल्प-संख्यकों पर लाद देते हैं, फिर भी इसे प्रजातन्त्रवाद की कमजोरी कहा जायगा। इंगलैंड तथा अमेरिका इस दुर्बलता के होते हुये भी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सर बी० एन० राव की पुस्तक से उद्धृत करना चाहता हूं। वह लिखते हैं :—

> "न्यायिक पुनर्विलोकन जिस देश में शुरू हुआ वही, उस के आरम्भ से ही उस का तीव्र विरोध होता रहा है। जैफरसन और मैडिसन ने इसकी निन्दा की है; और संवैधानिक विधि के महावेत्ता जैसे जे० बी० थेयर, ने सुप्रीम कोर्ट में जनता के प्रतिनिधि की त्रुटि के विरुद्ध सुरक्षा खोजने का प्रयत्न करने के भय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। न्याय सम्बन्धी पुनर्विलोकन के अधिकार का इस रूप में प्रयोग करने के परिणामस्वरूप, जिससे सुप्रीम कोर्ट मिले हुये अधिकारों और सामाजिक वातावरण का रक्षक बन गया है, वह टीका-टिप्पणी विगत पचास वर्षों में घोर भर्त्सना की सीमा को पहुंच गई है।"

अतः, मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक सर्वथा आवश्यक हो गया है। जो बात इस विधेयक में नहीं है, उसे इसमें ढूंढना गलती है। विधेयक यह नहीं कहता कि सम्पत्ति के अर्जन और अधिग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति नहीं दी जायगी। वास्तव में यह इस सिद्धान्त को मानता है कि क्षतिपूर्ति दी जायेगी। यह केवल इस बात का निश्चय करता है कि दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का निर्धारक कैसे होगा और वह भी केवल कुछ विशेष श्रेणियों में विधान-मण्डल निर्धारक होगा, न कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय। यह केवल अनुच्छेद ३१ क को अर्जित सम्पत्ति पर लागू करता है। यदि हमें जमींदारी उन्मूलन करने पर पूर्ण क्षतिपूर्ति देने को कहा गया था, तो इस समय यह कहना इस विधेयक के बारे में गलत धारणा बनाना है कि सरकार किसी भी व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति को क्षतिपूर्ति दिये बिना लेगी। प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह एक एक व्यक्ति की सम्पत्ति के अर्जन के लिये लागू नहीं होगा अपितु बड़े पैमाने पर होने वाले अर्जन पर लागू होगा, जहां हम पूरी क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते, और न ही हम यह जोखिम उठा सकते हैं कि पांच छः वर्ष पश्चात् ऐसे विधान को अवैध घोषित कर दिया जाय। यह स्मरण करना भी आवश्यक है कि अर्ज या अधिग्रहण इस विधेयक के अधीन न्यायपालिका के आदेश द्वारा नहीं हो सकता। जब भी यह होगा तब ही संसद् या राज्य विधान-सभा का अधिनियम बनाना पड़ेगा, और उसके पारित होने में पूर्ण रूप से तथा स्पष्टतः विचार विनिमय होगा। इस प्रकार किसी भी अधिनियम को निस्वाम्य विधान नहीं कहा जा सकता। अन्त में, मेरा निवेदन यह है कि हम केवल विशेष श्रेणी की सम्पत्ति के लिये उपबन्ध कर रहे हैं, जो अनुच्छेद ३१ क के अधीन न्यायानुकूल नहीं होगी। अतः यदि हमारा अभिप्राय यह है कि दी जाने वाली क्षतिपूर्ति पूर्णता ऐसा विषय हो जो न्यायानुकूल न हो तो इस विधेयक से वह अभिप्राय पूरा नहीं होता, और उच्चतम न्यायालय का निर्वचन इस बात को छोड़ कर अन्य जगहों के सम्बन्ध में बना रहता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यथासम्भव शीघ्र भाषण समाप्त करें ताकि आज ही अन्य माननीय सदस्य भी भाषण दे सकें।

श्री सी० सी० शाह : गैर-सरकारी सम्पत्ति के अधिकार की पवित्रता और

[श्री सी० सी० शाह]

अनुल्लंघनीयता के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके है। गैर सरकारी सम्पत्ति सामाजिक संगठन की उपज है और यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति अर्जन करता है और धन,समूहन करता है तो इसका कारण यह है कि समाज उसे धन-समूहन करने की अनुमति देता है। वह समाज के हित के लिये सम्पत्ति रखता है और समाज तथा राष्ट्र को पूर्ण अधिकार है कि उसको स्थिति-अनुकूल क्षतिपूर्ति देकर सम्पत्ति को वापस ले। मेरा निवेदन केवल यह है कि हम सब भारतके निर्माण में व्यस्त हैं और प्रश्न यह है कि क्या धनाढ्य हमें सहयोग देंगे और समाज में समानता चाहेंगे? जो इस प्रकार के साधारण विधेयक का भी विरोध करते हैं, वे ही हिंसा के लिये लोगों को वाध्य करते हें।

श्री वी० जी० देशपांडे : इस संविधान का संशोधन यहां सामने रखते हुये हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिसप्रकार की बातें सभा के सम्मुख रखी हैं और उसका विरोध करते समय जो बातें कही गयी हैं उससे में समझता हूं कि इस संशोधन की गम्भीरता सभा के ध्यान में अच्छी तरह से आयी नहीं। एक तो खुशी की बात है कि आन्ध्र के चुनाव के पश्चात् हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दोनों का इस संशोधन के विषय में एक मत हो गया। परन्तु इसके साथ ही मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता ने न समझते हुये इस संशोधन का विरोध किया है, और मैं भी उनके साथ मैत्री करना चाहता हूं क्योंकि दोनों ने यह बताया है कि इस संशोधन में जो बातें करनी चाहियें थीं वह नहीं की गयीं। जो प्रिंसेज़ हैं, राजा महाराजा हैं उनकी सम्पत्ति को आपने छुआ नहीं, कोयले की खदानें हैं उनको आपने छुआ नहीं, ब्रिटिश पूंजीपति हैं उनकी पूंजी को आपने छुआ नहीं, और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आंखों से आंसू बहा रहे थे कि शायद पश्चिमी बंगाल के गरीब किसानों को जायदाद आप दोगे। इस बिल के बारे में जो करना चाहिये था वह आपने किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए वह ज़रूर कर रहे हैं। हमारे अशोक मेहता जी भी आज एक नई थ्योरी ले आये कि सम्पत्ति के विरोध में युद्ध करने के पक्ष में तो हम हैं लेकिन सम्पत्ति में भी दो क्लासेज़ हैं। सोसाइटी में तो क्लासेज़ नहीं हैं लेकिन सम्पत्ति वर्ग विहीन नहीं है। एक बड़ी सम्पत्ति है और एक छोटी सम्पत्ति। और आप कहते हैं कि छोटी सम्पत्ति जो है उसको छूना नहीं चाहिये, बड़ी सम्पत्ति को छू सकते हैं। लेकिन इस विधेयक से आप छोटी सम्पत्ति को छू रहे हैं और बड़ी सम्पत्ति को नहीं छू रहे हैं। हमारे प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी और श्री अशोक मेहता दोनों आपस में मिल कर समझ रहे हैं कि सब प्रागतिक मिल कर आज देश में एक नई क्रांति ला रहे हैं। पर मेरा विरोध इसलिये है कि मैं इस विधेयक को लीगलिस्टिक दृष्टि से नहीं देखता। यह बात तो मैं समझता हूं कि संविधान सब विधानों का एक महान् विधान है और इस दृष्टि से इस पर जो चर्चा होगी वह वैधानिक होगी परन्तु मैं इस को केवल लीगलिस्टिक दृष्टि से नहीं देखता। श्री पांतजलि शास्त्री गलत हैं या पाटस्कर साहब सही हैं यह समझने में मैं असमर्थ हूं। मैं तो समझता हूं कि पांतजलि शास्त्री ठीक हों या शायद पाटस्कर साहब भी ठीक हो सकते हैं। आज विधान को इंटरप्रीट करने का काम है और मैं समझता हूं कि आज जो चर्चा होगी वह इसी दृष्टि से होगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे संविधान पर प्रहार हो रहा है उसको देख कर मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं संविधान को

वेद के समान स्वतः प्रमाण तो नहीं मानता हूं कि इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिये। लेकिन परिवर्तन करने का भी कोई तरीक़ा है। आपने कान्स्टीट्यूशन बनाया है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपका क़ानून कांस्टीट्यूशन के मुताबिक़ नहीं है। तो आपको क़ानून को बदलना चाहिये आपको अच्छे ड्राफ्टमैन लाने चाहिये। आप संविधान बनाते हैं कि यह जो १५ क़ानून हैं यह ठीक हैं। आज भी आप दो चार क़ानूनों को वैलिड करना चाहते हैं। इस से मैं समझता हूं कि पूरा संविधान का शास्त्र बड़ा परिवर्तित हो जायगा। अब यह क़ानून संविधान के मुताबिक़ चलेंगे और यह संविधान के मुताबिक़ हैं या नहीं यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट रखने का रिटिन कांस्टीट्यूशन रखने का, मौलिक अधिकार रखने का प्रयोजन मेरी समझ में नहीं आता। मैं इस दृष्टि से इन कानूनों को नहीं देखता कि यह लीगलिस्टिक हैं या नहीं और यह टैकनिकली ठीक हैं या नहीं। मैं संविधान के सामने प्रणाम करता हूं और आप सब की वैधानिक बुद्धिमत्ता के लिये आदर रखते हुये मैं पातंजली शास्त्री और मेहर चन्द महाजन को पाटस्कर और पंडित नेहरू से विधान का ज्यादा पंडित मानता हूं। जैसे आपको उनको ठीक न मानने का अधिकार है उसी तरह मुझे उनको ठीक मानने का अधिकार है। हमने संविधान में लिखा है कि ला एज़ इंटरप्रीटेड बाई सुप्रीम कोर्ट फाइनल होगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह ठीक बात है। मैं हंसूंगा उन पर जो उन पर विश्वास नहीं रखते। आज यह कोई लीगलिस्टिक सवाल नहीं है। आज संविधान के बारे में एक बड़ी भारी प्रगतिशील प्रणाली लेकर आप आ रहे हैं। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आपका समर्थन इस लिये कर रहे हैं कि आप आज वैयक्तिक सम्पत्ति पर एक लड़ाई कर रहे हैं। अशोक मेहता जी ने ठीक कहा है कि ससा के साथ भागना चाहते हैं और कुत्ते के साथ शिकार भी करना चाहते हैं। हम लोगों के पास आते हैं या खेती करने वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कम्पेनसेशन तो हम जरुर देने वाले हैं। किन्तु इस का परिणाम देश में जो खेती करने वाले हैं, जितने किसान हैं उन पर सबसे अधिक होने वाला है। कांग्रेस में जो आप प्रस्ताव भेजते हैं उसके लिए कहते हैं कि यह तो फारमल है, प्रोसीज्योरल है, यह कोई मौलिक नहीं है, और भवन के सम्मुख जब आते हैं तो बड़े प्रागतिक होकर कहते हैं कि सोसाइटी बड़ी डाइनेमिक है, गतिमान है और जैसे जैसे ये कल्पनायें नई नई बनती जा रही हैं उनके अनुसार यह क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इसका परिणाम जमींदारी समाप्त करते समय जितना हुआ था उतना होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मेरे मित्रों ने शायद यह बिल ठीक तरीक़े से पढ़ा नहीं। एक बात मैं कहूंगा कि इस बिल के अनुसार सीलिंग के ऊपर का जमीन कम्पेन्सेशन आप नहीं देंगे। लेकिन जो सीलिंग बनने वाली है वह हमको पता नहीं है। कहीं यह तीस बीधा है, कहीं ५० एकड़ है और कहीं दस एकड़ है। हमारी लाखों देहातों में रहने वाली करोड़ों जनता लैंड ओनिंग प्रोपराइटर हैं। उनकी सीलिंग निश्चित करने के बाद जो भूमि बाहर निकलेगी उसके लिये आप मुआवजा नहीं देने वाले हैं। आपने जागीरदारों को कहीं पर तो १५ गुना दिया है, कहीं १० गुना और कहीं १२ गुना दिया है। दरभंगा के महाराज को आपने मुआवजा दिया है, रामगढ़ के महाराज को दिया है, बलरामपुर के महाराज को मुआवजा मिल गया है, किन्तु समाजवादी ढंग के समाज की रचना की प्रतिज्ञा लेकर,

[श्री वी० जी० देशपांडे]

और सामाजिक विषमता न रखने की प्रतिज्ञा लेकर आप पार्लियामेंट के सामने आकर कहने वाले हैं कि बंगाल के देहात में जिसके पास १५ एकड़ भूमि है उसकी १२ एकड़ निकालकर तीन एकड़ जो भूमि है वह बिना कम्पेन्सेशन के हम लेने वाले हैं। मुझे जवाब दिया जायगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित जवाहरलाल ने बताया कि मैं कम्पेन्सेशन देने वाला हूं, लेकिन कान्स्टीट्यूशन में तो यह लिखा नहीं है कि यावचन्द्रदिवाकरौ पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। हां, यह हो सकता है कि जनता की इच्छा से वह हमारे प्रधान मंत्री बने रहें लेकिन संविधान में तो ऐसा दिया नहीं है। आपने जो कानून बनाया है उसके मुताबिक़ देखें कि इस देश में एक बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन आने वाला है। आपकी वैयक्तिक सम्पत्ति की कल्पनायें बदली जाने वाली हैं। आप देहात में छोटे छोटे लोगों पर आघात करने वाले हैं। प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी ने बताया कि एक गांव में वैस्ट बंगाल में उन्होंने देखा कि छोटे छोटे लोगों के मकान और छोटे छोटे लोगों की जायदाद रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन के नाम से ली जा रही हैं। दिल्ली के अन्दर हमारे प्रधान मंत्री जी ने बड़े जोर से बतलाया कि स्लम्स के जो ओनर्स हैं उनको स्लम्स रखने का कोई अधिकार नहीं है। उनको हम कम्पेन्सेशन देंगे, नहीं, देना भी नहीं चाहिये। मुझे तो यह सुन कर बड़ी हैरानी हुई कि मानों स्लम्स का होना और इनका ओनर होना, कोई पूंजीवाद की जाती है। मुझे स्लम्स मालूम हैं जहां झोंपड़ियों में रहने वाले मामूली लोग भी इन स्लम्स के ओनर हैं। मैंने स्लम्स ज्यादातर शहरों में देखे हैं। नागपुर शहर में मैं ने ऐसे स्लम्स देखे। वहां पर छोटे धनतोली ग्राम में छोटे छोटे घरों में बेचारे अस्पृश्य जाति के और महार जाति के लोग रहते थे, अब चूंकि उस जगह पर बड़े बड़े पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों की कोठियां बननी थीं, इसलिये उन बेचारों को वहां से निकालना ज़रूरी हो गया और स्लम्स का क्लियरैंस करना जरूरी हो गया और कहा यह जाता है कि हम सामाजिक विषमता दूर करके आज इस देश में समाजवादी ढंग की समाज की रचना कर रहे हैं लेकिन उधर उस महार का झोंपड़ा बिना उसका उचित मूल्य या मुआविजा दिये हुये उसको वहां से निकाल रहे हैं। इस प्रकार की बातें यहां हो रही हैं। दिल्ली शहर के अन्दर ही इस स्लम्स की सफाई के नाम पर एक बस्ती के लोगों को उनके घरों से हटाया गया और हमने देखा कि उनको आठ मील की दूरी पर ले जा कर फेंक दिया और पूरा मुआविजा भी नहीं दिया और अब इस क़ानून के बनने के पश्चात् तो पूरा मुआविजा देने का सवाल ही नहीं रहेगा और इस क़ानून के बन जाने के पश्चात् तो उनको मुआविज़ा ही नहीं दिया जायगा। इस प्रकार का क़ानून जब आप बनाते हैं तब मैं उन को कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी को आपने स्वीकार किया है। आपने कहा कि हमने एक कमेटी नियुक्त की और इस पर विचार किया और उनकी निगाह में तो कांग्रेस इज इक्वैल टु नेशन। इस सम्बन्ध में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास हुआ, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पेश किया गया और वहां पर उन्होंने चर्चा की और इसलिये उनके विचार में अब इसको देश के सामने विचार के लिये रखने की कोई जरूरत नहीं है। वकीलों ने चर्चा की और जज ने मत दे दिया। आप डायनैमिक सोसायटी की बात कहते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि हमारी जो विचारधारा अथवा

विचार परम्परा है, वही समाज और देश की सम्पत्ति है, ऐसा विश्वास रखते हैं और इस सम्पत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिये होना ही चाहिये, यह मानने वाला मैं हूं और इस दृष्टि से समाज का नियंत्रण निजी सम्पति पर करने पर भी मेरा पूर्ण विश्वास है, इस प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तन जब आप किसी कल्पना में करते हों, जिसका परिणाम करोड़ों लोगों पर होने वाला है, तो मैं आपको आपकी इस नई कल्पना ले कर आने के लिये बधाई देता हूं लेकिन आपका कर्त्तव्य यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठकों में और वकीलों की लायब्रेरीज़ में इसकी चर्चा करने के बजाय हमारे प्रधान मंत्री देहातों में जनता के पास जाते और उनसे कहते कि देखो, हम तुम लोगों की जमीन बिना मुआविजा दिये लेने वाले हैं, तुम लोगों के घरबार बिना उसका मुआविजा दिये लेने वाले हैं। अब समाजवाद की गतिमान कल्पना आ गयी है, तुम्हारी सब की सम्पत्ति हम बिना मुआविजा लेंगे और आप लोगों का कर्त्तव्य है कि समाज कल्याण की दृष्टि से आप इसमें हमारा समर्थन करें और जनता के मत में परिवर्तन करते हुये, जैसे होली के दिन पंडित नेहरू ने प्रांतिक कांग्रेस कमेटियों को संदेश देते हुये कहा, मखौल में यदि न कहा हो, सब लोगों को और उन लोगों को भी हमारा विरोध करते हैं उनको भी साथ में लेते हुये नये समाज की रचना हम करने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि प्रधान मंत्री को इस वृत्ति को रख कर समाज के सब वर्गों के सामने जाना चाहिये था और सबका सहयोग पाने का प्रयत्न करना चाहिये था। यहां मैं देखता हूं कि जिनके पास सम्पत्ति है, अथवा जो पूंजीपति हैं, बड़े वर्ग के लोग हैं, उनको हाथ नहीं लगाना चाहते, हां अलबत्ता मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे जो देहाती लोग हैं, छोटी छोटी प्रापर्टी वाले लोगों को ही ध्यान में रख कर यह नये कानून बन रहे हैं और यह नया संशोधन बन रहा है। सभापति महोदय, मैं यह चीज साफ़ कर दूं कि मेरी शिक़ायत लोगों की सम्पत्ति ली जा रही है, इसके लिये नहीं है, केवल सरकार के हाथ में, लेजिस्लेचर के हाथ में आप एक शक्ति दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लेजिस्लेचर सावरन नहीं है यदि इस देश में हमने मौलिक अधिकारों का पाखंड न किया हो और सच्चे दिल से हमने मौलिक अधिकार दिये हों तो इस हाउस में रहने वाले हम अपोजीशन के मेम्बर विरोधी दल के सदस्य जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको कुचल कर उसके ऊपर पार्लियामेंट की पावर हम रखते हैं और प्रीवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट जैसे क़ानून लागू करते हैं तो मैं कहूंगा कि यह डेमोक्रेसी का मजाक़ है। और इलैक्शन के दिनों में जैसे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का इंटरफीयरेंस होता है और पार्लियामेंट ने अगर मदद की तो वह चल जायगी। बात यह है कि मौलिक अधिकार हमने जान बूझ कर लोगों को प्रदान किये हैं और डेमोक्रेसी के अन्दर मौलिक अधिकारों की एकतंत्रीय राज्य से भी ज्यादा आवश्यकता होती है और यह देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जनता के और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो और यह मौलिक अधिकार देने के पश्चात् मैं विरोध इसका नहीं करता हूं कि कांग्रेस पार्टी खुल्लम खुल्ला आती है और कहती है कि इस देश में निजी सम्पत्ति, वैयक्तिक सम्पत्ति इस कानून के पश्चात् नहीं रहेगी और हमने पूरा नेशनलाइजशन और पूरा सोशलाइजेशन कर दिया है। कम से कम समानता होती और सामाजिक विषमता न होती तो ठीक था लेकिन आप इस

[श्री वी० जी० देशपांडे]

प्रकार से अधिकार ले रहे हैं कि जिसके कारण यह साफ़ जाहिर होता है कि पार्टी-बाजी और इलेक्शन को दृष्टि में रख कर आप बड़े बड़े पूंजीपतियों पर निर्भर रहने की मनोवृत्ति नहीं त्याग पाये हैं। करोड़ों रुपया आपके पास है। मैं तो मखौल से कहता हूं कि जहां आप हर एक इंडिविजुएल की प्रापर्टी की सीलिंग फिक्स करना चाहते हैं तो पार्टी फण्ड पर भी कोई सीलिंग रखिये। किसी पार्टी के पास लाख दो लाख से ऊपर नहीं होना चाहिये। करोड़ों रुपये का फ़ण्ड किसी पार्टी के पास नहीं रहना चाहिये चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी के पास हो अथवा कांग्रेस पार्टी के पास हो....

श्री गाडगील : हिन्दू सभा के पास है।

श्री वी० जी० देशपांडे : पार्टी फंड्स के ऊपर भी इस तरह की कोई सीलिंग रहनी चाहिये। मैं यह कह रहा था कि आप लोगों के हाथ में अधिकार आने के पश्चात् मैं यह देख रहा हूं कि इस प्रकार का क़ानून आपने बना लिया है, जैसे कहने लगे कि भाई हम इतने लोगों को कैसे पैसा देंगे, बात यह है कि आपने वैयक्तिक सम्पत्ति का तत्व माना हुआ है, करोड़ों रुपये की जायदाद शहरों में रहने वालों के पास है, मिल वालों के पास है और आप क़ानून बना रहे हैं कि देहात में रहने वाला कोई आदमी सौ रुपये माहवार के ऊपर न कमाये और सौ रुपये माहवार के ऊपर यदि कोई हजार या दो हजार की भी जायदाद हो तो वह बिना मुआविजा दिये आप उसे ले लें। उसकी सम्पत्ति आप लेते नहीं तो उस सम्पत्ति का मुआविजा देने की जरूरत नहीं। ३१(२) धारा लीजिये इस सम्बन्ध में मैं स्वयं अपना उदाहरण पेश कर सकता हूं और आप कोई भी मेरे साथ चल कर देख सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह ठीक है या नहीं। हमारे खेत में से एक नाला जाता है, सरकार ने परसों ही एक ब्रिज ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है जिसके कारण आधा खेत नदी में चला गया है, ऐक्वीजीशन किया नहीं और कोई कम्पेन्सेशन देने की आवश्यकता नहीं, खेत चला गया है, खैर यह जाने दो। लेकिन मेरा आपके ऊपर आक्षेप यह है कि आपके हाथ में यह अधिकार देने के पश्चात् जितने सम्पत्तिवान हैं जो आपको फंड दे सकते हैं उन पर तो आप हाथ लगाने वाले नहीं हैं, कोई पूंजीवादी इसका विरोध करने के लिये तैयार नहीं है और डिवीजन के वक्त ऐबसेंट रहेंगे और चुप रहेंगे और रहना भी चाहिये क्योंकि पूंजीपतियों की सम्पत्ति में तो इससे हाथ लगने वाला नहीं है, यह तो केवल देहाती प्रापर्टी पर हाथ डालने के लिये हैं जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते और जिनके पास आप जाते नहीं। पन्द्रह दिन के अन्दर सब काम हो जाना है। पन्द्रह तारीख को प्रस्ताव आया, तीस तारीख को रिपोर्ट आनी है, व्हिप चला गया है कि कान्स्टीट्यूशन में परिवर्तन होगा, फिर कहेंगे कि पास हो जाने दो कोई बात नहीं है, कम्युनिस्ट अगर आ गये तो समूचा ही खा जायेंगे, यह तो आधा ही खाते हैं, खाने दो। दो साल के बाद इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिये आप सम्पत्ति के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं, इसके लिए मेरा आक्षेप नहीं है लेकिन आप इस को लेकर जो पूंजीवादी आपको चुनाव में मदद करेंगे या जो समाज के शक्तिमान् वर्ग हैं उनको मदद करने के लिये और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको और ज्यादा दबाने के लिये और समाज में आर्थिक विषमता को देखते हुये, ग्रामीण वर्ग के लोगों और हीन वर्ग के देहातियों को जो आप कानून बना देने वाले हैं कि देहात में कोई भी

ऐसा घर न हो जिसकी सौ रुपये माहवार आमदनी हो, इसको मैं ठीक व उचित नहीं समझता । मिनिस्ट्रों की तनख्वाहें हैं उनका नाम भी नहीं, उनकी सम्पत्ति आप छीन नहीं रहे हैं । मैं तो कहता हूं कि पार्लियामेंट के मेम्बर को जितनी तनख्वाह मिलती है उतना कमाने वाला देहात में एक भी नहीं रहेगा । उससे तो आप बिना मुआविजा दिये हुये सम्पत्ति छीनने वाले हैं और करोड़-पति और लखपति लोगों के वास्ते आप कहते हैं कि हमारे वहां इंगलैंड की अपेक्षा बहुत थोड़े लोग उस श्रेणी के हैं, लाख के ऊपर मुश्किल से सौ आदमी हैं, देहात में खेती करने वाले एक लाख की क्या एक हजार की इन्कम कमान वाले कोई भी नहीं रहेंगे । आप के सम्पत्ति के समानीकरण करने के बजाय मैं देखता हूं कि आप देहात के अनपढ़ लोगों को अधिक-से-अधिक गरीब बनाने के लिये, देहात के लोगों पर अधिक-से-अधिक अन्याय करने के लिये, जो लोग श्रीमान् और सम्पत्तिमान हैं और जो लोग आप को वोट देने वाले हैं उन को बलवान् करने के लिये और हमारे तथाकथित प्रगतिशील लोगों की पालिसियों का ख्याल रख कर, इस प्रकार से संविधान का संशोधन कर रहे हैं । इस विधेयक के एक एक क्लाज को आप ले सकते हैं और उस को लेने के पश्चात् आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की सम्पत्ति आप संविधान के इस संशोधन के अनुसार इस देश में लेने वाले हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : श्रीमान्, पांच बज गये ।

सभापति महोदय: वह लगभग बीस मिनट तक बोल चुके हैं और यदि वह दो या तीन मिनट बोलें तो हम बैठ सकते हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : श्रीमान्, मैं अधिक समय लूंगा ।

सभापति महोदय : तब तो कल के ११ बजे तक के लिये सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १५ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—713 LSD—13-8-55—000